मासिक

शिविरा पत्रिका

वर्ष : 53

अक्टूबर, 2012

अंक : 4

प्रकाशन तिथि : 2 अक्टूबर, 2012

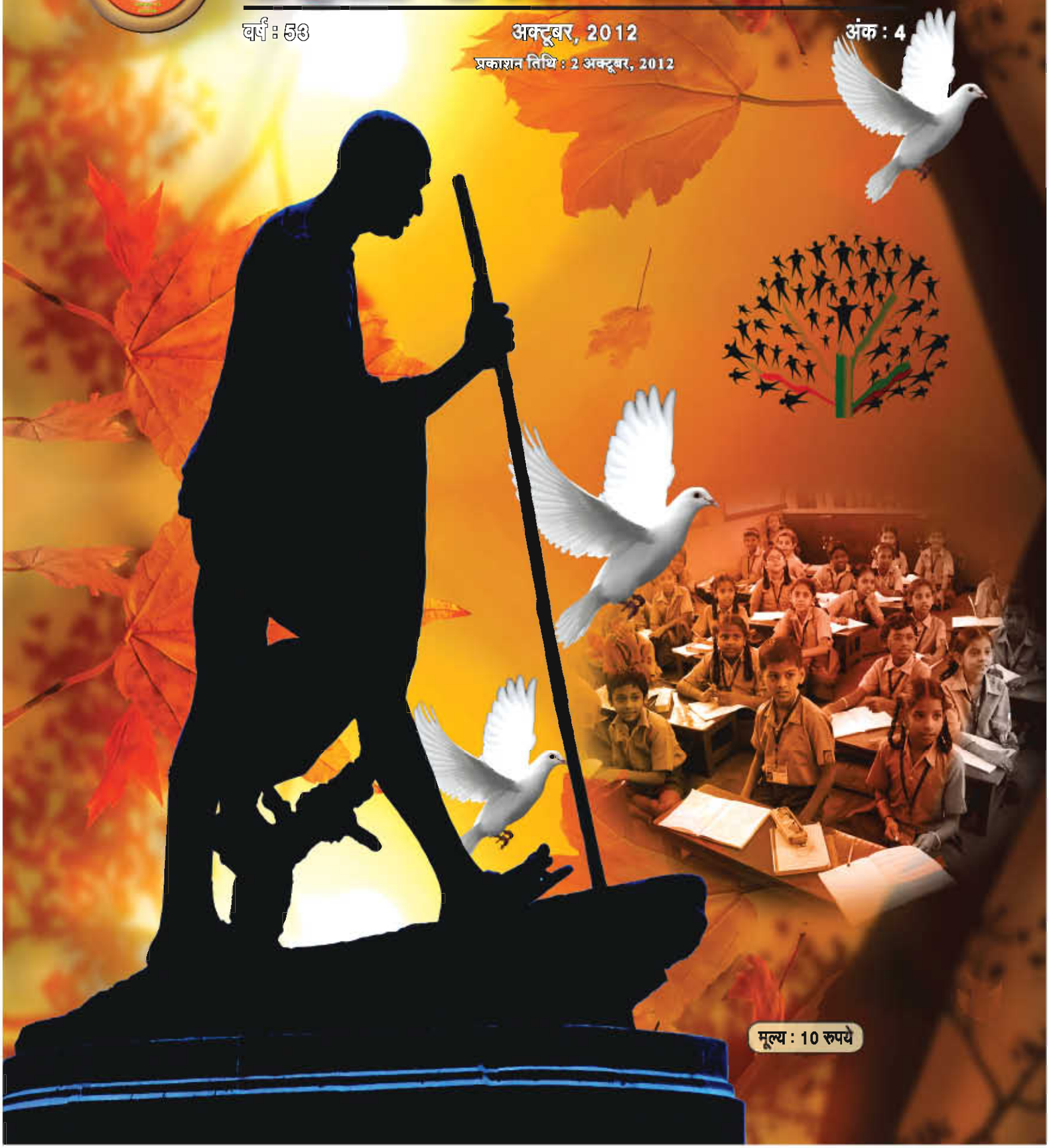

मूल्य : 10 रुपये

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, 2012

दिनांक 5 सितम्बर, 2012 **स्थान : बिड़ला सभागार, जयपुर**

बाएं : मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, मंत्री-जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार, माननीया श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, राज्य मंत्री-प्रा. एवं मा. शिक्षा, भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक विभाग, राज. सरकार - दीप प्रज्वलन करते हुए। **दाएं :** गरिमामय मंच पर मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथिगण के साथ अध्यक्ष माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार।

बाएं : मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, श्री हर सहाय मीणा, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान द्वारा सम्पादित पुस्तक 'हेलो ख्याल' का विमोचन करते हुए। साथ में हैं माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षामंत्री, राज. सरकार एवं माननीय श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार। **दाएं :** पुरस्कृत शिक्षकों के सम्मान में प्रकाशित 'प्रशस्ति पुस्तिका' का लोकार्पण करते मंचस्थ अतिथिगण एवं शिक्षा अधिकारी।

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, 2012 को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री राजस्थान, समारोह के अध्यक्ष माननीय श्री बृजकिशोर शर्मा, शिक्षामंत्री, राज. सरकार, विशिष्ट अतिथि माननीय श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, मंत्री-जनजाति क्षेत्रीय विकास, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. सरकार, माननीया श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, राज्य मंत्री-प्रा. एवं मा. शिक्षा, भाषा एवं भाषायी अल्पसंख्यक विभाग, राज. सरकार, माननीय श्री सुभाष गर्ग, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, श्रीमती वीनू गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राज. सरकार, श्री भास्कर ए. सावन्त, शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा, राजस्थान सरकार।

समारोह फोटो : मोहन मिरावा, जयपुर

शिविरा पत्रिका

प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा का समाचार-विचार मासिक

वर्ष : 53 अंक : 4

अक्टूबर, 2012

प्रकाशन तिथि : 2 अक्टूबर, 2012

प्रधान सम्पादक
हर सहाय मीणा, I.A.S.

●

वरिष्ठ सम्पादक
ओमप्रकाश सारस्वत

●

सहायक
सांग सिंह
मुकेश व्यास

- एक प्रति 10 रु.
- वार्षिक चंदा
  - शिक्षकों/लिपिकों के लिए 50 रु.
  - संस्थाओं/अन्य व्यक्तियों के लिए 100 रु.
- मनी ऑर्डर/बैंक ड्रॉफ्ट **निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर** के नाम देय है।
- पोस्टल ऑर्डर/चैक स्वीकार्य नहीं हैं।
- कृपया पूर्ण पता मय पिन कोड लिखें।

पत्र व्यवहार हेतु पता
वरिष्ठ सम्पादक, शिविरा पत्रिका
माध्यमिक शिक्षा, राज. बीकानेर-334 011
दूरभाष : 0151-2528875
E-mail : teacher.today@yahoo.com

शिविरा पत्रिका में व्यक्त विचार लेखकों के अपने विचार होते हैं। अभिव्यक्त विचारों से शिक्षा विभाग राजस्थान का सहमत होना आवश्यक नहीं है। –व.सं.

न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते
श्रीमद्भगवद्गीता 4/38

इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निःसंदेह कुछ भी नहीं है।
In this world there is no purifier as great as knowledge.

इस अंक में

आत्मावलोकन का समय	5	**दिशाकल्प**
वैष्णव जन तो तैने कहिए	6	**डॉ. के.के. पाठक**
सबको सन्मति दे भगवान	10	**ओमप्रकाश सारस्वत**
आश्रम का अनुमानित व्यय	13	**मोहनदास कर्मचन्द गाँधी**
शिक्षा का निराला व्यक्तित्व अनिल बोर्दिया	14	**चतर सिंह मेहता**
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम	15	**बी.एल. यादव**
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर राष्ट्रीय परिचर्या	17	**बी.एस. सान्दू**
गुरु-शिष्य सम्बन्धों की पुनर्स्थापना में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	18	**डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. प्रियंका पारीक**
वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीखना-सिखाना एवं मूल्यांकन	20	**वेद प्रकाश गुप्ता**
सीसीई के तहत विद्यालय सम्बलन	21	**डॉ. अमृता दाधीच**
पुस्तक चर्चा : लोक गायन विधा का अनमोल दस्तावेज	23	**ओमप्रकाश सारस्वत**
विशेष रपट : शिक्षक दिवस समारोह-2012 शिक्षकों के सम्मान में खिले श्रद्धा के सुमन	24	**ओमप्रकाश सारस्वत, महावीर प्रसाद गर्ग**
प्रतिबद्धता से मिली सफलता	31	**उषा बापना**
उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन	37	**भागचन्द शर्मा**
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत विषयाधारित मूल्यांकन व्यवस्था	38	**वन्दना गलुण्डिया**
सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कला, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों की भूमिका	40	**अमित गर्ग**
लहर कार्यक्रम तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सहसम्बन्ध	42	**बृजमोहन इष्टवाल**
बापू की सीख - 16 अद्भुत त्याग	46	**मो.क. गाँधी**
वैदिक सूत्रों के अनुप्रयोग	47	**डॉ. के.डी. शर्मा**

स्थाई स्तम्भ

पाठक पीठ - 4/आदेश परिपत्र 27-30

मुखावरण : नभांशु श्रीमाली

पाठक पीठ

श्रद्धांजलि

श्री अनिल बोर्दिया

महान शिक्षाविद्, मनीषी विद्वान तथा कुशल प्रशासक श्री अनिल बोर्दिया का 2 सितम्बर 2012 को स्वर्गवास हो गया। उनका जन्म 5 मई 1934 को हुआ था। भारतीय प्रशासनिक सेवा (1957) में चयनोपरांत 1964 से 1968 तक स्कूल शिक्षा के निदेशक रहे श्री बोर्दिया गत पाँच दशक से देश-प्रदेश में शिक्षा के अग्रणीय पुरोधा बने रहे। केन्द्रीय शिक्षा सचिव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षानीति 1986 तथा साक्षरता एवं सर्व शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की संरचना में आपकी उल्लेखनीय भूमिका रही। राजस्थान में लोकजुम्बिश परियोजना तथा वर्तमान में 'दूसरा दशक' के माध्यम से बोर्दिया साहब सदैव अमर रहेंगे।

संयुक्त राष्ट्रसंघ ने एविसेना सम्मान (1999) तथा गाँधी सेवा मेडल (2010) से आपको नवाज़ा। भारत सरकार से पद्म भूषण (2010) से विभूषित श्री बोर्दिया यूनेस्को शिक्षा संस्थान के अध्यक्ष रहने के साथ अनेक अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों में सहभागी रहे।

राजस्थान के शिक्षा निदेशक के रूप में आपका कार्यकाल कार्यालयी व्यवस्था को स्थापित करने तथा शिक्षकों की गरिमा बढ़ाने की दृष्टि से याद किया जाता है। शिविरा/नया शिक्षक पत्रिकाओं तथा राज्य में शिक्षक सम्मान समारोह एवं शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के सूत्रधार आप ही हैं।

महाप्रयाण पर विनम्र श्रद्धांजलि एवं अश्रुपूर्ण नमन्।

शिविरा का माह सितम्बर 2012 का अंक प्राप्त हुआ, शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ!

'गुरु बिना ज्ञान नहीं' लेख का शीर्षक एक शाश्वत सत्य है। भारतीय संस्कृति में गुरु को आदिकाल से ही पूज्य माना गया है और उन्हें भगवान से भी बढ़कर माना जाता था। समय ने करवट ली, आज गुरु गुरु न होकर वेतनभोगी कर्मचारी हो गया है। पहले वह अपने सामर्थ्य के आधार पर अपने शिष्य को ईश्वर से साक्षात्कार करा सकता था और जीवन को एक सार्थक रूप में जीना सिखाता था, अब यह कहाँ? गुरु के सम्मान को यदि आज के परिप्रेक्ष्य में लिया जाए तो यह एक चिंतनीय विषय है। गुरु को यदि प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना करनी है तो इसे आत्मसात करना होगा और अपनी मानसिकता को और सकारात्मक रूप देना होगा। अपने शिष्यों में मूल्यों की स्थापना करनी होगी ताकि एक स्वस्थ राष्ट्र और समाज का निर्माण हो सके।

–महेन्द्र कुमार शर्मा, भवानीखेड़ा (अजमेर)

सितम्बर माह की शिविरा का अवलोकन किया। मुखपृष्ठ पर द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चित्र मानो भारत के शिक्षाविदों को संदेश दे रहे हैं कि राष्ट्र का विकास शिक्षाविदों की नेक निष्ठा एवं निर्भीकता पर आधारित रहे। निदेशक महोदय ने दिशाकल्प में आह्वान किया कि शिक्षकीय गरिमा अध्ययन-अध्यापन के साथ विद्यार्थियों तक संचित ज्ञान को पहुँचाना ही शिक्षक की सच्ची सार्थकता है।

माननीय निदेशक महोदय ने आत्मचिन्तन करने की पहल को उजागर करने के साथ-साथ शिक्षकों को शिक्षा में गुणवत्ता बढ़ाने व सच्चाई को स्वीकार करने का संदेश दिया है। शिक्षकीय गौरव को प्राप्त करने में शिक्षक अग्रणी रहेंगे तब भारत का भविष्य सुनहरे पक्ष की ओर बढ़ेगा।

–सालगराम परिहार, बालोतरा (बाड़मेर)

शिविरा सितम्बर, 2012 के अंक 'दिशाकल्प' में निदेशक महोदय ने अच्छे शिक्षक के दो गुण बताए– ''पहला शिक्षक स्वयं को 'ज्ञानधनी' बनाए तथा दूसरा अर्जित 'ज्ञानधन' को अपने विद्यार्थियों में बाँटे। पहला काम स्वाध्याय की ताकत से तथा दूसरा सहज विसर्जन भाव से।'' निदेशक महोदय के उपर्युक्त प्रेरणादायी कथन को यदि सभी शिक्षक अपना लें तो यह शिक्षा के विकास में सहायक होगा और शिक्षा विभाग की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 'दिशाकल्प' स्तम्भ वास्तव में शिक्षकों के लिए प्रेरणा स्रोत व मार्गद्रष्टा का कार्य करता है। श्रद्धेय शिक्षक, शिक्षाविद्, बहुआयामी प्रतिभा के धनी श्री गोपालप्रसाद मुद्गल का आलेख नई ऊर्जा भर देता है। 'राष्ट्रीय एकता में भाषाओं का योगदान', 'देश में हिन्दी दशा व दिशा' दिल में गहराई तक असर करते हैं। 'वैदिक गणित' आलेख ज्ञान से परिपूर्ण है। यात्रा वृत्तान्त– मेरी ताशकन्द यात्रा - ऐतिहासिक तथ्यों से भरपूर, दिल को छू लेने वाली व ज्ञानवर्धक है। काव्य खण्ड, अनमोल वचन व लघु कथाएँ भी देते रहें ताकि रोचकता बनी रहे।

इससे पहले जुलाई अंक में श्री थानवी जी का लेख 'पुस्तक प्रेमी शिक्षक मोतीलाल जी' का जीवन प्रेरणादायी व अनुकरणीय है। संसार में ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो समाज को शिक्षित करते हैं, झंझोड़ते हैं, जगाते हैं, चेतना देते हैं। ऐसे तपस्वी शिक्षक को कोटि-कोटि नमन्।

शिविरा के अधिकांश आलेख पठनीय, मननीय, अनुकरणीय व संग्रहणीय हैं। पत्रिका की प्रिन्टिंग त्रुटिरहित व सुन्दर है। 'आदेश परिपत्र' अलग रंग में अपनी पहचान बनाए रखता है।

शिविरा पत्रिका के प्रत्येक अंक के कवर पृष्ठ का मुखावरण सदैव आकर्षक, लुभावना व उद्देश्यपूर्ण होता है। कवर पृष्ठ के दूसरे व तीसरे पृष्ठ पर आकर्षक फोटोग्राफी के साथ सुसज्जित 'चित्र-समाचार' चलचित्र व टी.वी. की तरह दृश्य प्रस्तुत कर देते हैं और विभाग में हो रही गतिविधियों का खाका खींच देते हैं और अन्तिम पृष्ठ 'हमारी धरोहर' चित्ताकर्षक व ऐतिहासिक सामग्री से परिपूर्ण होता है। नवीनतम सूचनाओं की भरमार के साथ आकर्षक, ज्ञानपूर्ण, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायी ऊर्जा से ओतप्रोत सामग्री को पाठकों तक सही रूप से परोसने के लिए वरिष्ठ सम्पादक श्री ओमप्रकाश सारस्वत व उनके सहयोगी बधाई के पात्र हैं। ऐसे तपस्वी सम्पादक मण्डल को मेरा कोटि-कोटि नमन्।

–मोहम्मद फारूक, बीकानेर

शिविरा पत्रिका अगस्त 2012 का मुखपृष्ठ राष्ट्रध्वज तिरंगा समाजसेवा की प्रतिमूर्ति माँ टेरेसा, राष्ट्रखेल हॉकी व युवा प्रधानमंत्री राजीव गाँधी के चित्रों के मेल से बड़ा ही आकर्षक बन पड़ा था व हमारी धरोहर में डीग के जल-महल का चित्र बहुत ही सुन्दर लगा।

प्रथम आलेख में गुरु की विस्तृत व्याख्या व गुरु पर दोहा के संकलन से ओतप्रोत आलेख बहुत अच्छा था। जालोर के भामाशाह ओंकारमल जैन का नाम व छायाचित्र देखकर मन को असीम प्रसन्नता हुई व कन्हैयालाल किराडू के द्वारा लिखा लेख सहायक कर्मचारी की भूमिका पढ़कर प्रथम बार में भी यह सोचने को मजबूर हो गया कि वास्तव में यह पद बड़ा ही महान है। आलेख आत्मावलोकन का दर्पण कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। नेत्रदान का आलेख भी ज्ञानवर्द्धक है।

यह अंक विविध क्षेत्र के आलेखों को समेटे आकर्षक पठनीय व संग्रहणीय अंक लगा सभी लेखकों व सम्पादक मण्डल को साधुवाद!

–सरदार सिंह चारण, डाइट, जालोर

सत्यमेव जयते

हर सहाय मीणा, आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

"सम्बलन अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का भाषा व गणित में वांछित स्तर नहीं मिलना चिन्ता और चिन्तन की बात है। चिन्ता इसलिए कि विद्यार्थियों के रूप में हम शिक्षक अपनी उपलब्धियों को उस स्तर की नहीं बता सके जितने की हमसे अपेक्षा थी। आखिर हमारे काम के पैमाने बालक और उनका शैक्षिक स्तर ही तो है और चिन्तन इसलिए कि कमियों को दूर कर वांछित गुणवत्ता की स्थापना करने का काम भी हमें ही करना है।"

दिशाकल्प

आत्मावलोकन का समय

पिछले महीने की 20-22 तारीख को राज्य में विद्यालय पर्यवेक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत **सम्बलन 2012-13 अभियान** चलाया गया। यह अपने आपमें एक अनूठा अभियान था जिसमें शिक्षामंत्री महोदय से लेकर शिक्षा एवं शिक्षा प्रशासन से जुड़े तमाम अधिकारियों ने स्कूलों में पहुंचकर न केवल शिक्षण कार्य एवं एक-एक प्रवृत्ति का सूक्ष्म अवलोकन ही किया वरन् शिक्षकों को अपना कार्य बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन भी प्रदान किया। वस्तुतः अभियान के दौरान विद्यालयों में गए अधिकारियों ने वहाँ निरीक्षणकर्ता के साथ शिक्षक की भूमिका अदा की। शाला प्रबन्धन समितियों की बैठकों का भी निरीक्षण के दिन आयोजन किया गया।

यह सम्बलन कार्यक्रम कुल तीन चरणों में चलेगा। प्रथम चरण में 6000, द्वितीय चरण में 8000 तथा तृतीय चरण में 6000 विद्यालयों को सम्बलन प्रदान करने की योजना है। तीसरे चरण में 6000 विद्यालय वे ही होंगे जिनका निरीक्षण हाल ही में प्रथम चरण के अन्तर्गत किया गया है। प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। अब समीक्षा एवं आत्मावलोकन का समय है। सम्बलन अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी छात्र-छात्राओं का भाषा व गणित में वांछित स्तर नहीं मिलना चिन्ता और चिन्तन की बात है। चिन्ता इसलिए कि विद्यार्थियों के रूप में हम शिक्षक अपनी उपलब्धियों को उस स्तर की नहीं बता सके जितने की हमसे अपेक्षा थी। आखिर हमारे काम के पैमाने बालक और उनका शैक्षिक स्तर ही तो है और चिन्तन इसलिए कि कमियों को दूर कर वांछित गुणवत्ता की स्थापना करने का काम भी हमें ही करना है। आप इस पर चिन्तन करें और नवाचारों के माध्यम से उत्कृष्टता की ओर कदम बढ़ाएं।

शिक्षक दिवस, 5 सितम्बर 2012 के अवसर पर राजधानी जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में प्रदेश के 60 आदर्श शिक्षकों को सम्मानित किया गया। यह सम्मान हमें और बेहतर काम करने की प्रेरणा देने वाला होना चाहिए। सम्मानित शिक्षकों को नजीर बनने के लिए कड़ी मेहनत लगन एवं प्रतिबद्धता के साथ काम करना चाहिए। इस माह में राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी एवं देश के द्वितीय प्रधानमंत्री श्री लालबहादुर शास्त्री के जन्मदिन हैं। इन महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर हमें तद्नुकूल आचरण करना चाहिए।

गत 2 सितम्बर 2012 के दिन राजस्थान में पिछले पचास वर्षों से शिक्षा की अलख जगाने वाले महान शिक्षाविद्, मनीषी विद्वान तथा कुशल प्रशासक श्री अनिल बोर्दिया का स्वर्गवास हो गया। शिक्षा निदेशक के रूप में उनका कार्यकाल (1964-1968) शैक्षिक नियोजन, प्रबन्धन, अकादमिक कौशल के विकास एवं शिक्षकों की गरिमा-महिमावर्द्धन की दृष्टि से अत्यन्त उल्लेखनीय रहा। केन्द्रीय शिक्षा सचिव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, साक्षरता एवं शिक्षा के लोकाव्यापीकरण कार्यक्रमों की संरचना में उनकी भूमिका से हम सब परिचित हैं।

राजस्थान में लोकजुम्बिश परियोजना तथा वर्तमान में 'दूसरा दशक' के माध्यम से बोर्दिया साहब सदैव अमर रहेंगे। कर्मयोगी महापुरुष को विभाग की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि। मुझे विश्वास है कि राजस्थान के शिक्षक बोर्दिया जी के जीवन एवं कर्म से शिक्षा ग्रहण कर सम्पूर्ण शिक्षित राज्य के उनके स्वप्न को साकार करेंगे।

(हर सहाय मीणा)
hsmeena2001@yahoo.com

गाँधीगिरी का मैनेजमेंट

वैष्णव जन तो तैने कहिए

❑ डॉ. के.के. पाठक

गुजराती भक्त कवि नरसी मेहता का यह भजन गाँधीजी को अत्यंत प्रिय था–

वैष्णव जन तो तैंने कहिए, जे पीर पराई जाने रे।
पर दुःखे उपकार करे तो, मन अभिमान न आने रे।

अर्थात् विष्णु का भक्त तो वही है, जो दूसरों की पीड़ा को समझता है। दूसरों के दुःख को दूर करता है, किन्तु इसके लिए मन में अभिमान नहीं रखता।

यह धर्म का सार है। कहते हैं कि अठारहों पुराण वेद व्यास है। वही वेद व्यास जिन्होंने वेदों का विभाजन व संकलन किया तथा जिन्होंने ब्रह्मसूत्र जैसे ग्रन्थ की रचना की। वैसे तो भारत में व्यासों की परम्परा रही है और ऐसे धार्मिक वाङ्मय की रचना में अनेक व्यासों का योगदान रहा है। किन्तु इनमें सभी ने जो बात सार के रूप में कही है, उसे किसी अन्य कवि ने निबद्ध किया है–

अष्टादशपुराणेशु व्यासस्य वचनद्वयम्।
परोपकाराय पुण्याय, पापाय परपीड़नम्॥

अर्थात् अठारह पुराणों में व्यास ने दो ही बातें कही हैं– परोपकार ही पुण्य है और पर पीड़ा (दूसरों को दुःख देना) ही पाप है।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी इसी का अनुवाद किया है–

परहित सरिस धर्म नहिं भाई।
परपीड़ा सम नहिं अधमाई॥

दूसरों के दुःख में दुःखित होना मनुष्यत्व है, दूसरों को दुःखी करना राक्षसत्व है, किन्तु दूसरों का दुःख दूर करना देवत्व है। हमारे लिए किसी के दुःख में दुःखी होना सरल है, किन्तु स्वयं दुःख उठाकर दूसरों के दुःख दूर करना अत्यंत कठिन है। परन्तु सर्वाधिक कठिन है कि हम जिसके दुःख दूर करने के लिए दुःख उठा रहे हैं, वह भी हमें दुःख दिए जा रहा है; लेकिन तब भी हम उसके लिए उतने ही करुणापूर्ण हैं। गाँधी का व्यक्तित्व कुछ ऐसा ही है। **गाँधी ऐसे व्यक्ति हैं, जो उनके लिए भी लड़ रहे होते हैं, जो उनके ख़िलाफ़ हैं।**

मुझे एक कहानी याद आती है–

एक संत नदी में स्नान कर रहे थे। नदी की धारा में एकाएक एक बिच्छू बहता दिखा। संत ने वहीं बहते एक पत्ते पर बिच्छू को बचाने की कोशिश की, किन्तु बिच्छू ने डंक मारा और हाथ हिलने से वह पुनः पानी में गिर गया। संत ने फिर से प्रयास किया, किन्तु पत्ते पर आते ही बिच्छू ने फिर से संत की उँगली पर डंक मार दिया। जब उन्होंने तीसरी बार फिर से कोशिश की, तो घाट पर बैठे लोगों ने कहा– महाराज ! बिच्छू को क्यों बचाते हो? वह आपको ही डंक मार रहा है, फिर भी आप उसे बचाने में लगे हो।

संत ने दंश की पीड़ा में भी हँस कर कहा– ''बिच्छू तो नादान है मगर मैं तो समझदार हूँ। अगर वह अनजाने में भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, तो मैं जान बूझकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ दूं?''

संत की इस कथा में कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता; मगर उसकी बात में पूरी सच्चाई थी। महात्मा गाँधी का आदर्श भी यही था। डरबन में गोरों ने उन पर हमला किया, किन्तु गाँधी ने उनके विरुद्ध पुलिस कार्यवाही से इनकार कर दिया। मीर आलम ने उन पर हमला कराया, उनकी आलोचना की; किन्तु गाँधी ने उनके ख़िलाफ़ कार्यवाही नहीं की और अन्ततः वह व्यक्ति उनका अनुयायी बन गया।

हम सभी सुख चाहते हैं और दुःख से भागते हैं। ओशो ने कहीं बड़ी अच्छी बात कही है– **''सुख बाँटा जा सकता है, मगर कोई बाँटना नहीं चाहता। दुःख बाँटा नहीं जा सकता और हर कोई बाँटना चाहता है।''**

यह सच है, मगर हम दूसरों का दुःख बाँट सकते हैं, उन्हें सुख दे सकते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था– **''अपना दुःख कम करना हो तो सबसे अच्छा उपाय है कि दूसरों का दुःख कम करें।''**

मुझे इस बात पर पक्का यक़ीन है। जिस दिन हम सचमुच अपना दुःख भूलकर दूसरों का दुःख दूर कर रहे होते हैं, सारी कायनात हमारे ऊपर सुखों की बरसात करने में जुट जाती है। जीवन के इस महानियम को समझने वाले दुःखों से मुक्ति और सुखों की प्राप्ति का वह रहस्य ढूँढ़ लेते हैं, जो अब तक केवल ऋषियों और मनीषियों तक सिमटा हुआ था।

मैं तीन लघु कथाओं से अपनी बात पूर्ण करना चाहूँगा– ''रेगिस्तान में कोई कारवाँ जा रहा था। सारे लोग प्यास से बेहाल थे, मगर दूर-दूर तक कहीं पानी का स्रोत नहीं दिख रहा था। कारवाँ के एक आदमी ने पथरीली पहाड़ियों में जल तलाशने की सोची, सचमुच वहाँ एक निर्मल जल का सोता मिल गया। क़ाफ़िले के सभी लोगों ने उससे अपनी प्यास बुझाई और निकल पड़े,

डॉ. के.के. पाठक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अत्यन्त ऊर्जस्वी व गतिमान युवा अधिकारी हैं। आप उच्च कोटि के चिन्तक, लेखक एवं उद्‌भट विद्वान हैं। आपने लगभग दो दर्जन पुस्तकें लिखी हैं जिनमें धर्म की विज्ञान यात्रा (दो भाग), प्रेम : एक वैज्ञानिक अध्ययन, नकारात्मक सोच : महानता का सूत्र, गाँधीगिरी का मैनेजमेंट, गाँधीवाद और मार्क्सवाद, भारतीय संस्कृति के आधार स्तम्भ, मृत्युपथ : अमृत की तलाश आदि प्रमुख हैं। आपके व्यक्तित्व एवं कृतित्व में गाँधी जी के सहज ही में दर्शन होते हैं। अपनी प्रशासनिक कार्य कुशलता के लिए विख्यात डॉ. पाठक माध्यमिक शिक्षा निदेशक एवं शिविरा पत्रिका के प्रधान संपादक रहे हैं। वर्तमान में आप राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर में सचिव पद पर कार्यरत हैं।

मगर वह आदमी वहीं रुक गया, क्योंकि वह चाहता था कि प्यास से बेहाल पीछे के क़ाफ़िले के लोग भी यहाँ प्यास बुझा सके।''

संभव है कि वह आदमी सही समय पर मंज़िल पर न पहुँच पाया हो, मगर उसने इंसानियत की वह मंज़िल पा ली, जो स्वयं हमें बड़ी सिद्धि के बाद प्राप्त होती है।

दूसरी कहानी इंसानियत से ही जुड़ी है– ''एक प्यासा आदमी तपती गर्मी में किसी गली से गुज़र रहा था कि उसे किसी सेठ की हवेली दिखी। सेठ बाहर ही बैठा था। उसने कहा– ''बाबूजी ! थोड़ा पानी मिलेगा क्या?'' सेठ ने कहा– ''अभी घर में कोई आदमी नहीं है।'' उस आदमी ने कहा– ''तो थोड़ी देर के लिए आप ही आदमी बन जाइये।''

हम सचमुच भूलते जा रहे हैं कि हम किस जगह पर मानवता खो चुके हैं और पशुता तो दूर, राक्षसत्व की ओर क़दम बढ़ा चुके हैं।

''एक पादरी किसी धर्मसभा में प्रवचन देने जा रहा था। रास्ते में एक कराहता हुआ व्यक्ति मिला। पादरी ने अनदेखी कर दी, क्योंकि उसे धर्मोपदेश के लिए देर हो रही थी।''

तभी उस व्यक्ति ने करुण–आर्त्त स्वर में पुकारा– ''मैं बहुत बीमार हूँ, क्या आप मुझे किसी डाक्टर तक नहीं छोड़ देंगे।''

पादरी का धर्मसभा में सम्मान किया जाना था। सैकड़ों या हज़ारों की भीड़ थी। इस एक आदमी के लिए उतनों को छोड़ना बुद्धिमत्तापूर्ण न था, क्योंकि धर्मसभा का मार्ग चिकित्सालय के मार्ग के विपरीत दिशा में था। वह बहाने कर चल पड़ा।

तब उस आदमी ने फिर से कहा– ''आप पादरी हैं। अगर आपने मेरी सहायता न की, तो मैं उस धर्मसभा में जाकर आपके इस व्यवहार को बता दूँगा।''

पादरी इस धमकी से सहम गया। उसकी मानवतावादी प्रतिष्ठा खतरे में पड़ गई। विवश होकर उसने उस आदमी को सहारा दे दिया। चलते-चलते आदमी ने कहा– ''मैं शैतान हूँ।''

पादरी भगवान का उपासक और शैतान का विरोधी होता है। वह और घबराया। फिर उस व्यक्ति ने कहा– ''फ़ादर ! सच-सच बतलाना, क्या तुम्हारी जीविका हमारे ही भरोसे नहीं चलती?''

वैष्णव जन तो तैने कहिए

वैष्णव जन तो तैंने कहिए
जे पीड़ पराई जाणे रे।
पर दुःखे उपकार करे तोये
मन अभिमाण न आणे रे।

सकल लोकमां सहुने वंदे,
निंदा न करे केनी रे।
वाच काछ मन-निश्चल राखे,
धन धन जननी तेरी रे।

समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी,
परस्त्री जेने मात रे।
जिह्वा थकी असत्य न बोले,
पर धन नव घाले हाथ रे।

मोह माया व्यापे नहि जेने,
दृढ़ वैराग्य जेना मनमां रे,
रामनामशुं ताली लागी,
सकल तीरथ तेना तनमां रे।

वण लोभी ने कपट रहित छे,
काम क्रोध निवार्या रे,
भाणे नरसैयो तेनुं दरसन करतां
कुल एकोतेर तार्या रे।

–नरसी मेहता

पादरी मुस्कुरा पड़ा और ईमानदारीपूर्वक बोला– ''सच है, अगर तुम न हो, तो हमें कौन सुने और कौन पूछे?''

यह फ्रेडरिक नीत्शे की प्रसिद्ध लघुकथा है। ''पीड़ा दूर करने का उपदेश देने वाले प्रायः स्वयं पीड़ा दूर करने से बचते हैं। वे अपने भावपूर्ण शब्दों में सबको यातनामुक्त करने की प्रार्थना कर रहे होते हैं, तब भी स्वयं के लिए ही याचना कर रहे होते हैं। इसीलिए वे मात्र महात्मा होते हैं, महापुरुष नहीं। गाँधी आचरण से महात्मा हैं और उपलब्धि से महापुरुष, क्योंकि वे मात्र उपदेशक नहीं, सेवक भी हैं। गाँधीजी अपने बचपन में गुजराती कवि शामलदास की एक कविता से बहुत प्रभावित थे, जिसका भाव कुछ इस तरह था–

अगर कोई तुझे पानी की एक घूँट दे,
तो तुम उसे भोजन की थाली दो।
अगर कोई तुझे एक कौड़ी ही दे दे,
तो तुम उसे सोने की दीनार दो।
अगर कोई तुम्हारा अभिवादन करे,
तो तुम उसे झुककर नमस्कार करो।
अगर कोई तुम्हारा भला करे
तो तुम उसे दुगुना कर लौटाओ
क्योंकि .....
ज़िन्दगी हर चीज़ को दुगुना कर लौटाती है।
इसलिए
अगर कोई तुम्हारा अपकार भी करे,
तब भी तुम उसका उपकार ही करो
क्योंकि
वह बुराई के बदले की गई भलाई फिर
दुगुना होकर लौट आती है।

काश की हम इस बात को समझ और समझा पाते, फिर अपनत्व के साथ अपना पाते।

गाँधी अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी हैं। वे राजनैतिक इतिहास के सबसे प्रमुख अहिंसावादी हैं।

बहुत पहले शायद एल्डुअस हक्सले ने कहा था– *''जियो और जीने दो''* (Live and Let Live)

उनसे पहले गोडफ्रित्ज हीगल ने कहा था– *''जीने के लिए मरो''* (Die to Live)

हक्सले शांति के समर्थक थे और हीगल युद्ध के। गाँधी हक्सले के साथ थे, मगर उनके सिद्धांत को हम निम्न रूप में अभिव्यक्त कर सकते हैं– *''मारो मत, भले ख़ुद मरो।/दूसरों को जिलाने के लिए मरो॥''*

मृत्यु से भयग्रस्त होना सहज जैविक स्वभाव है, क्योंकि जिजीविषा हमारी मूलवृत्ति है।

हम अहिंसक कई रूपों में हो सकते हैं– भयवश, नैतिकतावश, स्वभाववश।

इनमें भयवश आई अहिंसा को गाँधी निकृष्टतम मानते हैं। उनके अनुसार इससे बेहतर तो प्रतिहिंसा है। हिंसा को रोकने के लिए की जाने वाली हिंसा भी परोक्षतः एक अहिंसा है और वह भयवश अपनाई जाने वाली अहिंसा से बढ़कर है।

नैतिकता के कारण हम अहिंसक हैं, तो यह बेहतर है, किन्तु सर्वश्रेष्ठ तो यह है कि हम स्वभाव से ही अहिंसक हो जाएँ। फिर हम मानसिक रूप से भी अहिंसक हो सकेंगे। फिर हमारी अहिंसा प्रेम और करुणा बनकर धनात्मक रूप ले लेती है।

अगर हम यह सहज न भी कर पाएँ, तब भी अहिंसा धनात्मक भाव ही बनी रहती है, क्योंकि अहिंसा नैतिकता के रूप में भी स्वयं एवं अन्य में प्रतिक्रिया स्वरूप प्रेम व मैत्री भाव ही जगाती है।

हिंसा की शक्ति पाशविक शक्ति और वह ऊपर से प्रहार करती है। अहिंसा की शक्ति आंतरिक शक्ति है, जो हममें रहकर सबका सुधार करती है।

हिंसावादियों के अपने तर्क हैं। वे कह सकते हैं कि सारा जीवन ही हिंसा चक्र से भरा है। यहाँ बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही होती है, बड़ी चिड़िया छोटी चिड़िया को मार रही होती है। बड़ा जीव कमजोर जीव का शिकार कर रहा होता है। मनुष्य भी इस प्राकृतिक व्यवस्था की एक कड़ी है।

सामान्यतया हिंसा की शक्ति अहिंसा की शक्ति पर भारी पड़ती दिखती है। परन्तु इसके विरुद्ध गाँधी का अपना वज़नदार तर्क है। उनका कहना है कि इस प्रकृति का अब तक बचा रहना ही इसका गवाह है कि उसमें समग्रता में अहिंसक शक्तियाँ हिंसक शक्तियों की तुलना में अधिक प्रभावी हैं। हिंसा विध्वंस कर रही होती है, किन्तु यदि यह प्रकृति न केवल बची हुई है, बल्कि विकास भी कर रही है, तो इसका मतलब ही यह है कि अहिंसा के कारकों ने इसे संभाल रखा है।

जैविक रूप से मनुष्य के हिंसापरक होने के भी अपने तथ्य हैं। उसके कैनाइन दाँत बताते हैं कि वह शिकारी रहा है। उसकी आँखें सामने की ओर खुलती हैं, जो ज़्यादातर शिकारी जीवों का लक्षण है। वह रात में भी देर तक जागता है, जो उसे अर्द्धशिकारी प्रकृति के होने का संकेत देता है। हमारी मानवीय विकास यात्रा ही शिकारी अवस्था के प्रारम्भ होने से शुरू होती है।

परन्तु मनुष्य के साथ कोई बात पूरी तरह से लागू नहीं होती। उसके कैनाइन शिकारी जीवों की तरह होती हैं। कोई भी व्यक्ति केवल कच्चा मांस खाकर जीवित नहीं रहता है। कोई भी व्यक्ति स्वभावतः निशाचर नहीं होता, वह अपनी प्रकाशीय खोजों के बिना ऐसा नहीं कर सकता। सामने की ओर आँखों का खुलना भी उसकी नरवानर कालीन विशेषता है और एक अपवाद को छोड़कर या कुछ अपवादात्मक परिस्थितियों को छोड़कर सभी वानर या नरवानर शाकाहारी होते हैं। शिकारी अवस्था में प्रवेश करने से ही विकास प्रारम्भ भले हुआ, किन्तु उसके कृषक होने से ही वह सभ्य हुआ है।

मनुष्य यदि अतीत में हिंसक रहा भी है, तो वह उसकी विलुप्तप्राय प्रक्रिया का अंग है। इतिहास साक्षी है कि वह क्रमशः हिंसा की बजाय अहिंसा को आदर्श बनाता गया है। आज की दुनिया में न तो युद्ध को आदर्श माना जाता है और न ही शौर्य को महत्त्वपूर्ण गुण।

शौर्य या वीरता का तात्पर्य आज किसी की हत्या करने में नहीं, किसी दुर्गम लक्ष्य को प्राप्त करने या किसी के प्राणों की रक्षा करने में माना जाता है। शौर्य की पुरातन परिभाषा में पशुता थी, शौर्य की वर्तमान परिभाषा में मानवता है और बड़ी सीमा तक देवत्व भी है। देवत्व में भी ऐसा दिव्यत्व है कि देवता भी लज्जित हो जाएँ।

मैंने कहीं एक प्रार्थना सुनी थी–

''या ख़ुदा ! अगर मैं जन्नत में होऊँ और तब भी मुझे/ज़मीन पर रह रहे लोगों के दुःख दूर करने का मौक़ा मिल सके,/तो तू मुझे जन्नत से ज़मीन पर भेज देना।''

कहते हैं कि पौराणिक काल में राजा रघु मरणोपरांत यमलोक पहुँचे, तो उन्हें स्वर्ग का भागीदार माना गया; किन्तु किसी नाममात्र के पाप के कारण उन्हें नरक के मार्ग से जाना पड़ा। नरक में लोग यातना में थे, किन्तु रघु के पुण्य प्रभाव से उनसे होकर हवा जहाँ-जहाँ गुज़रती, लोग शान्ति पाते जाते। नरकवासियों ने प्रार्थना की कि यदि वे पलभर वहाँ रुक जाएँ, तो थोड़ी देर के लिए सभी को चैन आ जाए। यमदूतों ने समझाया कि उनके रुकने का तात्पर्य होगा कि उनके पुण्य क्षीण होकर उन पापी नरकवासियों को मिल रहे हैं। रघु वहीं रुक गए। उनके पुण्य प्रताप से लोग शांति प्राप्त करते रहे। अंत में जब यमदूतों ने उनसे चलने को कहा तो उन्होंने कहा कि अब तो उनके पुण्य क्षीण हो गए, फिर भला वे स्वर्ग कैसे जा पाएँगे। अब तो उन्हें नरक में ही रुकना होगा। बात यमराज तक पहुँची। उन्होंने निर्णय दिया– अगर पृथ्वी पर दुःख दूर करना पुण्य है, तो वह यमलोक में भी पुण्य ही माना जाएगा। देवों के न्याय पर मानव की करुणा भारी पड़ गई। सच है– पाप अगर बाँटने पर बढ़ता है, तो पुण्य बाँटने पर घट नहीं सकता।

हम हिंसा क्यों करते हैं? इसके तीन ही कारण होते हैं–

- कोई हमारी इच्छा या लक्ष्यपूर्ति के प्रतिकूल खड़ा होता है। इसे हम मुक्तिकारी हिंसा कहते हैं।
- कोई हिंसा द्वारा दमित या मृत होकर हमारी किसी इच्छा या लक्ष्य की पूर्ति कर रहा होता है। इसे हम तृप्तिकारी हिंसा कहते हैं।
- हिंसा बिना किसी उद्देश्य के अनजाने में हो जाती है या हो रही होती है इसे हम वृत्तिकारी हिंसा कहते हैं।

इस अंतिम हिंसा से हम प्रायः नहीं बच सकते, परन्तु पूर्व दो प्रकार की हिंसाओं से तो हम बच ही सकते हैं। जीवन में हिंसात्मक व्यवहार व व्यापार से सफलता पाने वाले तमाम लोग दिख सकते हैं, मगर जो लोग अहिंसात्मक मार्ग से सफल हुए हैं, उनकी ओर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम भूल जाते हैं कि भारत में व्यवसाय में सर्वाधिक सफल वैश्य व जैन वर्ग सर्वाधिक अहिंसक वर्गों में से हैं। यहाँ बात केवल शाकाहार की नहीं, व्यवहार की भी है।

भगवान महावीर के लिए प्रसिद्ध है कि वे जहाँ जाते वहाँ से अस्सी कोस की दूर तक हिंसा स्वतः रुक जाती। योगाचार्य महर्षि पतंजलि के लिए प्रसिद्ध है कि उनके आश्रम के पास विभिन्न वन्य जीव भी अपनी सहज हिंसा त्याग कर रहने लगते थे। यह बात थोड़ी-बहुत सीमा तक अन्य ऋषियों-मनीषियों के लिए भी विख्यात है। आज के वैज्ञानिक युग में इन बातों पर यक़ीन करना

कठिन हो जाता है। परन्तु संसार के कुछ भौतिक नियमों के पीछे नैतिक नियमों की भी शक्ति मानी जा सकती है। इसके प्रमाण कम हैं, किन्तु सूक्ष्म हैं और केवल उन्हीं के लिए उपयोगी हैं, जो आध्यात्मिक शक्ति या मन की शक्ति में यक़ीन करते हैं।

मेरा मानना है, आप परीक्षा करके देखें। जिस आवेश और प्रयत्न के साथ कोई हिंसा की ओर बढ़ता है, उसी आवेश और प्रयत्न के साथ आप अहिंसा की ओर बढ़कर देखें, जीत आपकी होगी।

बुद्ध के जीवनकाल की घटना है। एक बार वे कहीं बाग में टहल रहे थे कि किसी के बाण से घायल एक हंस तड़फड़ाता हुआ आ गिरा। बुद्ध ने उसके शरीर से बाण निकालकर उसकी परिचर्या की। तभी दूर से उनका चचेरा भाई देवदत्त तीर-धनुष लिए आया। उसने अपना शिकार माँगा, किन्तु बुद्ध ने देने से इनकार कर दिया। अंत में बात राजा तक पहुँची कि हंस किसको दिया जाए। राजा शुद्धोदन ने निर्णय दिया– ''मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, अतः हंस बुद्ध का है।''

हम अहिंसा के पक्ष में सोचते अवश्य हैं, किन्तु उसकी दुर्बलता से डरते हैं। गाँधी कहते हैं कि यही सोचने की बात है। अहिंसा साहसी लोगों की शक्ति है। वह ऐसी वीरता है, जो प्रतिहिंसा भी नहीं करती।

बहुत से लोगों का मानना है कि गाँधीजी का वास्ता अपेक्षाकृत नरम और कानूनप्रिय शासकों से पड़ा था। अगर उनका सामना हिटलर जैसे तानाशाह से पड़ता, तो अहिंसा की बातें खत्म हो जातीं। ओशो ने तो यहाँ तक कहा कि अंग्रेज़ भी वणिक् थे और गाँधी भी; इस कारण दोनों की निभ गई।

हिटलर ने हिंसा की जो नृशंसता दिखलाई वह चंगेज़ ख़ाँ और नादिरशाह में भी दुर्लभ है। उसने अकेले जर्मनी में पचास लाख से अधिक यहूदियों को अलग-अलग तरीक़े से यातना देकर मारा। यह बर्बरता की चरम सीमा थी। उसके आगे अगर गाँधी अहिंसा की बात करते, तो शायद न गाँधी बचते न उनके अनुयायी।

मगर गाँधी यहीं अपना तर्क देते हैं। वे कहते हैं कि जब यहूदी मर ही रहे थे तो वे स्वयं से मरण का वरण कर देखते। वे अपनी माँग की पूर्ति में स्वतः पहाड़ी से कूद कर या समुद्र में कूदकर जाने देने लगने, तब नाज़ी भी अवश्य सोचते। हुआ उल्टा। उनसे लड़ने-भागने में सभी उससे अधिक बर्बर मौत मारे गए।

मैं गाँधी के तर्क से सहमत हूँ। मगर भीड़ की मनःस्थिति अलग होती है और विशेषतया मृत्यु व आपदा की स्थिति में तो वह बिल्कुल नहीं सुनती। भारत-पाकिस्तान विभाजन में कुल पाँच लाख से अधिक लोग मारे गए। जिन्ना सफल हो गए, गाँधी हार गए।

मगर जिन्ना की जीत मानवता की हार थी। पाकिस्तान बनने का रास्ता उनकी जिस 'सीधी कार्यवाही' रूपी नृशंस साम्प्रदायिक हिंसा से गुज़रा, उसका दंश हम आज तक सह रहे हैं। पेट-पीठ की चोट तो फिर भी मिट जाती है, मगर दिल की चोट हमेशा के लिए दरार बन जाती है। आज दोनों देश उन दरारों के दंश झेल रहे हैं।

हिंसा की सबसे बुरी बात है कि वह अंततः आत्महंता बन जाती है। इसे हम अफ़ग़ानिस्तान में भी देख सकते हैं और पाकिस्तान में भी। हिंसा केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है और अगर इसका कोई निदान है तो केवल अहिंसा का मार्ग।

आज विज्ञान के विकास के साथ विनाश की जो चरम संभावनाएँ परिलक्षित हुई है, उनसे सिद्ध होता है कि गाँधी ही हमारे भविष्य हैं। अमेरिका के पूँजीवाद और रूस के समाजवाद दोनों ने जिस तरह की हिंसा फैलाई है, उससे मुक्ति केवल भारत के गाँधीवाद में ही है। गाँधी राष्ट्र स्तर तब जितने प्रासंगिक थे, उससे अधिक वे आज विश्व स्तर पर प्रासंगिक हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूँ ही तो उनके जन्मदिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस घोषित नहीं किया।

(लेखक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं)

–सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

प्रबन्ध कौशल का अद्भुत दस्तावेज

गाँधीगिरी का मैनेजमेंट

❑ डॉ. कृष्णाकान्त पाठक

प्रबन्ध, प्रशासन एवं फिलासॉफी के मर्मज्ञ डॉ. कृष्णाकान्त पाठक कृत दो दर्जन से भी अधिक कृतियों में 'गाँधीगिरी का मैनेजमेंट' कृति प्रबन्ध कौशल का अद्भुत दस्तावेज है। पुस्तक में 26 अध्याय हैं जिन्हें तीन भागों में बाँटकर प्रस्तुत किया गया है। इनमें गाँधीवाद के मूलतंत्र शीर्षकाधीन तीसरे भाग में 18 अध्याय हैं जो जीवन व प्रबन्ध पर गाँधीजी के विभिन्न प्रसंगों के साथ प्रकाश डालते हैं।

डॉ. पाठक भारतीय दर्शन के गहन अध्येता, विश्लेषक-समीक्षक हैं। उनकी व्याख्यान व लेखन शैली सरल, सरस एवं प्रभावशाली है। छोटे-छोटे वाक्य, समझाने के लिए लघु कथाएँ, विश्व प्रसिद्ध चिन्तकों के कोटेशन, स्वयं के अनुभव, अपना मत इन अध्यायों में पढ़ने को मिलता है। उनके लेखन में वाक्य इतने सुन्दर हैं जो भीतर तक असर करते हैं और कोटेशन की तरह उपयोग करने हेतु कण्ठस्थ करने की अपील करते हैं।

पुस्तक में महात्मा गाँधी के समकालीन नेताओं के साथ प्रसंग, वेद, रामायण और गीता, आज के युवाओं का स्वप्नलोक व गाँधी की स्मृति जैसे अध्याय हैं जिनमें भाषा व भावना की शानदार जुगलबंदी है। सिविल सेवा की तैयारी कर रहे एक तरुण (?) को नायक बनाकर स्वप्न में गाँधीजी के तीन बन्दरों को देखकर शुरू हुई कहानी सब कुछ छोड़कर कथ्य को पढ़ने के लिए मजबूर करती है। दरअसल यह एक चाबी है जो आगे के अध्यायों को पढ़ने के लिए मस्तिष्क के ताले खोलती नज़र आती है।

गाँधीवाद के डेढ़ दर्जन मूलमंत्रों में आत्म परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन, नीति की रणनीति, सत्यमेव जयते, न दैन्यं न पलायनं, दिल बदलो - दुनिया बदलेगी, परावलम्बन से परस्परावलम्बन, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, तेरा तुझको अर्पण, दो हाथों का काम, वैष्णवजन तो तैंने कहिए, मारो मत - मरो, मन लागा यार फकीरी में, अन्ततः, सात महापाप, बार-बार पढ़ने, दिल में सहेजने व व्यवहार में उतारने लायक हैं। पुस्तक पढ़ने से दार्शनिक से प्रशासक बने एक मनीषी के ज्ञान व कौशल की झाँकी देखने को मिलती है जो पूरे समय जीवन्त व जीवनोपयोगी लगती है। उबाव व थकाव तिल मात्र भी नहीं है। शिक्षकों को यह पुस्तक प्रभावी शिक्षण तथा अधिकारियों को कुशल व सफल प्रशासन की राह दिखाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्कृष्ट कागज पर छपी 120 पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य 80.00 रुपये उचित है। पुस्तक के प्रकाशक हैं– *हिलव्यू पब्लिकेशन्स प्रा.लि., 601 महिमा क्लासिक, बी-84, रमन मार्ग, तिलक नगर, जयपुर; फोन 0141-2620340, 2620496*

–ओमप्रकाश सारस्वत

गाँधी जीवन दर्शन

सबको सन्मति दे भगवान

❑ ओमप्रकाश सारस्वत

महात्मा गाँधी को स्मरण करना तीर्थ करने से कम नहीं है और उनके चिन्तन-दर्शन के अनुसार जीवन व कार्यशैली को ढालने का प्रयास करना देवपूजन के समान है। सामान्य कद-काठी व अत्यन्त साधारण वेशभूषा वाली इस असाधारण विभूति ने देश दुनिया को कार्य व व्यवहारशैली के लिए इतने अद्‌भुत सूत्र दिए हैं कि उन्हें जानकर हैरानी के साथ अचम्भा हुए बिना नहीं रहता। प्रत्यक्ष की कहें तो भारतीय उपनिवेश को अंग्रेजी दासता से मुक्त करवाना और परोक्ष की बात करें तो जीवन से जुड़े सभी सरोकारों के सम्बन्ध में यथार्थ विचार एवं एक मूल्यपरक व्यवस्था का केनवास। देश के आम, आम से भी आम व्यक्ति का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह गाँधी को देश की आजादी का नायक मानता है। कदाचित उसका इससे अधिक सरोकार नहीं है; मगर मध्यम व उच्च शैक्षिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति के लिए गाँधी इससे ऊपर भी कुछ है।

हम गाँधीजी को राष्ट्रपिता कहते हैं। नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने दिया था यह सम्बोधन। पिता का काम न केवल अपनी सन्तान के लिए घर व एक स्वतंत्र परिवेश प्रदान करना है बल्कि उसे एक जीवनशैली प्रदान करने तथा उसका अभ्यास कराने का काम भी पिता का है। गाँधी का काम भी दो पक्षीय था। प्रथमतः वे भारत को विदेशी दासता से स्वतंत्र करवाना चाहते थे अर्थात् भारतीयों को स्वयं अपना घर (लोकतंत्र) देना चाहते थे। और द्वितीयतः स्वतंत्र भारत की एक ऐसी शासन व व्यवस्था प्रणाली चाहते थे जो मूल्यों पर आधारित हो यानी हमें यह सिखाना चाहते थे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् घर में कैसे रहना है? गाँधी की रामराज्य संकल्पना उसी व्यवस्था और दर्शन का नाम है। इसलिए गाँधी जहाँ एक ओर अंग्रेजों से टक्कर ले रहे थे, वहीं दूसरी ओर स्वतंत्रता प्राप्ति उपरान्त भारत के संविधान, प्रबन्ध, प्रशासन, शिक्षा प्रणाली, चिकित्सा, अर्थशास्त्र, सामाजिक जीवन, खेतीबाड़ी, पशुपालन, उद्योगधन्धों, विदेश नीति आदि के बारे में समान्तर विचार कर दस्तावेज तैयार करवाते रहे। गाँधी वाङ्मय को पढ़ने से यह सब जानकारी हमें मिलती है।

दक्षिण अफ्रीका से लौटकर आने के पश्चात् सन् 1915 में महात्मा गाँधी ने गुजरात अहमदाबाद के समीप स्थित साबरमती में अपना आश्रम स्थापित किया। (देखें इसी अंक में पृष्ठ 13) साबरमती आश्रम उनके अनुयाइयों के लिए सेवा-साधना का स्थान होने के साथ ही अभ्यास एवं विभिन्न विषयों पर चिन्तन मनन का एक केन्द्र भी था। साबरमती आश्रम विस्तृत क्षेत्र में फैला है जिसका चप्पा-चप्पा गाँधी की साधना से सिद्ध किया हुआ है। गाँधी विचार में विश्वास व श्रद्धा रखने वालों के लिए साबरमती, गंगा के समान पवित्र एवं वरेण्य है। अहिंसा के शस्त्र को सत्ता के संग्राम में एक अमोघ शस्त्र के रूप में स्थापित करवा देना बीसवीं शताब्दी का एक अद्‌भुत उपाख्यान है जिसे मानना तक असहज है; लेकिन पिछले एक शतक पूर्व प्रारम्भ हुए तथा छः दशक पूर्व साकार हुए इस अहिंसा यज्ञ को स्मरण करने मात्र से हृदय मानसरोवर में निर्मल जल की लहरें जैसे तरंगित हो उठती हैं। विश्व क्षितिज में भारतीय उपनिवेश की स्वतंत्रता इसका साकार स्वरूप है। साधु-सा जीवन और रणबांकुरों-सी उपलब्धियाँ जीवन एवं कर्म का ऐसा दर्शन शायद ही कहीं और देखने को मिले।

महात्मा गाँधी के वैविध्यपूर्ण व बहुदिश चिन्तन पर विचार करने पर एक जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर उस दुबले-पतले आदमी के पास वह कौनसी शक्ति थी जिसने उसे यह सब करिश्मा करने का अवसर प्रदान किया। गाँधी के व्यक्तित्व के बाहरी पक्ष यथा उनकी शारीरिक स्थिति, पोशाक आदि को देखकर उनके भीतर की अकूत ताकत को मानना, स्वीकार करना आज की पीढ़ी के लिए किंचित मुश्किल है। यह तो वह दौर है जिसमें गाँधी को साक्षात अपनी आँखों से देखने वाले अथवा उनके साथ काम किए चन्द लोग जीवित हैं। अगले चार-पाँच दशक अथवा एक शतक के बाद के किशोरों एवं युवाओं को ये बातें सहज ही में स्वीकार नहीं होगी। इसी बात का पूर्वानुमान विज्ञान के पुरोधा अलबर्ट आइंसटीन को था। आइंसटीन ने गाँधीजी की हत्या का समाचार सुनकर 64 वर्ष पहले व्यथित मन से कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि गाँधी जैसा हाड़ मांस के पुतले वाला इंसान कभी धरती पर पैदा हुआ था। आइंसटीन का यह कथन सत्य है। धन्यवाद आइंसटीन महोदय का कि उन्होंने गाँधी के बारे में ऐसे उद्‌गार प्रकट किए। विज्ञान का निरन्तर विकास हो रहा है और आइंसटीन विज्ञानियों व छात्र-छात्राओं के लिए सदैव सम्माननीय व विश्वसनीय रहेंगे। ऐसे में सौ साल बाद भी लोग गाँधीजी के इस स्वरूप को स्वीकार करेंगे, यह निश्चित है।

गाँधी के जीवन व कर्म पर गोपालकृष्ण गोखले का बड़ा प्रभाव था। वस्तुतः गोखले उनके राजनैतिक गुरु थे। हम जानते हैं कि गाँधी सत्य के उपासक हैं। उनके एकादश व्रतों में पहला ही व्रत सत्य है। उनके लिए सत्य ही परमेश्वर है। पेशा वकालात और व्रत सत्य का। उनके अन्य व्रतों का भी प्रसंगवश उल्लेख करना उचित होगा। शेष दस व्रत क्रमशः अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह, अभय, अस्पृश्यता

निवारण, परिश्रम, सर्वधर्म समभाव एवं स्वदेशी है। बहरहाल सत्य का दामन थामकर वकालात करने वालों को जो परिणाम मिलना चाहिए, वह सत्य दोहराया गया। अन्ततः कचहरी में न्याय दिलाने के काम में पराजित गाँधी गरीब, असहाय, पीड़ित व गुलाम जनता को इनसे मुक्ति दिलाने के लिए जनता के बीच आ गए। इस परिवर्तन के पीछे रहे कारणों में एक कारण दक्षिण अफ्रीका का है।

गाँधी एक मुकदमें की पैरवी करने के लिए 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। यद्यपि उस मुकदमें का पंच फैसला हुआ तथापि वहाँ शोषित जन की आवाज बनकर वे मुखर हो गए। नतीजा यह हुआ कि 1896 में अपने छः माह का भारत प्रवास पूर्ण कर वापिस डर्बन लौटने पर उनके विरोध में प्रदर्शन किए गए जिससे उनके जीवन में महान परिवर्तन आया। उन्होंने अपने जीवन का प्रमुख उद्देश्य ही जनसेवा बना लिया।

गाँधीजी गीता-ग्रंथ से अत्यन्त प्रभावित थे। वे कहते थे कि गीता में जीवन दर्शन भरा पड़ा है। ऐसी कोई भी जीवन से जुड़ी समस्या नहीं होगी जिसका वर्णन व समाधान उसमें नहीं हो। गीता के बाद जान रस्किन की पुस्तक अंटू दिस लास्ट (Unto this last) ने गाँधी के जीवन को प्रभावित किया। अंटू दिस लास्ट का अर्थ सर्वोदय है जो अन्ततः सत्याग्रह के रूप में गाँधी के जीवन का अभिन्न अंग हो गया। स्वयं सत्य के व्रती और दूसरों के लिए अहिंसापूर्ण तरीके से सत्य के लिए अनुरोध– यह था गाँधी का पावर। इसमें भी कहीं दुराव अथवा कपट नहीं, सन्मति एवं सद्भावना की नाव में सवार थे। गाँधीजी जो कहते थे, उसे पहले स्वयं पर अजमा कर देखते थे और उसे अंगीकृत करने के पश्चात ही दूसरों को अपनाने का आग्रह करते थे। सत्य को उसके व्यापक रूप से अपनाया था। वे कहा करते थे कि मेरे लिए सत्य ही ईश्वर है। सत्य आग्रह, सत्य विचार, सत्य वाणी और सत्य कर्म– ये सब उसके भाग हैं। सत्य को आनन्द की कुंजी मानते थे गाँधी। वे कहते थे कि जहाँ सत्य है, वहाँ ज्ञान है और जहाँ ज्ञान है वहाँ आनन्द हो सकता है, प्रसन्नता हो सकती है। दया, प्रेम और करुणा के भण्डार गाँधी ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग अहिंसा को मानते थे। वे कहते थे कि अहिंसामय व्यवहार से सफलता भले ही देरी से मिले लेकिन मिलती अवश्य है तथा वह बरकत करने वाली होती है।

गाँधीजी की ताकत अहिंसा एवं सत्य थी। इनके समान्तर सद्भावना एवं सन्मति गाँधी की अबूझ शक्ति थी। सत्य, अहिंसा एवं अन्य व्रतों के बारे में तो बार-बार कहा गया है मगर सन्मति को गाँधी ने सर्वोपरि स्थान दे रखा था। वे कहते थे कि चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हों और चाहे कोई हमारा कितना ही बड़ा अहित कर दे, मगर हमारे दिल में सबके प्रति सद्भावना, प्रेम व सन्मति हर समय मौजूद रहनी चाहिए। गाँधी इतने सद्भावी थे कि नाथूराम गोडसे के गोली प्रहार के बाद यदि घायल होकर जीवित रह जाते तो कदाचित, कदाचित नहीं निश्चय ही उसे माफ कर देते। माफी के अनेक दृष्टांत गाँधी के जीवन में देखने को मिलते हैं।

गाँधीजी की नित्य प्रार्थना से हम वाकिफ हैं। वे प्रार्थना को खुराक की तरह जरूरी मानते थे। गुजरात के प्रसिद्ध सन्त नरसी मेहता से प्रभावित गाँधी की प्रार्थना सभा में भगवान से क्या माँगा जाता था।

ईश्वर अल्लाह तेरे नाम।
सबको सन्मति दे भगवान॥

यहाँ जरा विचार करें। गाँधी को भगवान से माँगना ही था तो धन-सम्पदा, सम्पन्नता, सम्पूर्ण साक्षरता, सर्व शिक्षा जैसी माँग भी तो रख सकते थे। लेकिन गाँधी पक्के बनिये हैं ईश्वर भक्त होने के साथ। जैसे कोई बनिया एक कारोबार करता है तो चाहता है कि चार काम उसके साथ स्वतः हो जाएँ। प्रोडक्ट के साथ बाई-प्रोडक्ट। ऐसे ही गाँधी सन्मति माँगते हैं। यह तो एक चाबी से कई ताले खोलने वाली बात है। आइये, एक कहानी सुनते हैं। एक सेठ है। घर में चार बेटे और बहुएँ। बढ़िया कारोबार। परिवार के सब लोग एक-दूसरे के प्रति सद्भावी। बड़ा प्रेम। सेठजी को एक रात सपने में एक धवल वस्त्रधारी महिला दिखती और कहती है, 'सेठ जी, मैं आपके घर की लक्ष्मी हूँ और अब जा रही हूँ।' सेठ ने धन्यवाद के साथ लक्ष्मी को जाने की अनुमति दे दी। रात के दूसरे प्रहर में एक धवल वस्त्रधारी पुरुष सपने में दिखकर जाने की अनुमति माँगते हैं। वे दान हैं। सेठ ने सोचा कि जब धन सम्पदा नहीं रहेगी तो दान कैसे होगा? अतः दान को भी प्रस्थान करने की अनुमति दे दी। तीसरे प्रहर में फिर एक महिला स्वयं को यश-प्रतिष्ठा बताकर जाने की अनुमति माँगती है और सेठ प्रसन्नतापूर्वक हामी भर देते हैं। धन, दान और यश की कोई चिन्ता नहीं है सेठ को। कैसा अजीब आदमी है अन्यथा तो धन लक्ष्मी के जाने की बात सुनकर आदमी बेहोश हो जाता है। बहरहाल स्वप्न जारी रहता है। रात के चौथे पहर में एक सफेद वस्त्रधारी महिला फिर जाने की अनुमति माँगती है। सेठ पूछते हैं– 'आप कौन हैं देवी।' जवाब मिलता है, 'मैं सन्मति हूँ– आपके परिवार की सन्मति, सद्भावना।' सेठ इस देवी के पैर पकड़ लेता है और रोता बिलखता जिद करता है कि वह उसे नहीं जाने देगा। आखिर सद्भावना देवी का दिल पिघल गया और वह वहीं बनी रही। कहते हैं कि सन्मति के पीछे नहीं आने पर लक्ष्मी, दान व प्रतिष्ठा वापिस आ गए। यह है सन्मति की ताकत। गाँधी इसे समझते हैं। अतः सन्मति माँगते हैं। वे जानते हैं कि बाकी सब काम मतोमत होते जाएँगे।

रामचरित मानस में कहा है– 'जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना'। सन्मति की महिमा पर और विस्तार में चलते हैं। तुलसीदास जी को रामचरितमानस में 'जहाँ सुमति तहाँ सम्पति नाना' से मन नहीं भरा। रामचरितमानस पूर्ण हो गई और मन अब भी अभरा। अब तो बस आरती रह गई है। तुलसीदास जी आरती में एक बार फिर सन्मति को रेखांकित करते हैं। वे एक तरह से शोध करते हैं कि आखिर कौन सन्मति से बड़ा और किनसे सन्मति बड़ी। उन्हें लगा कि सन्मति तो सब ताकतों की ताकत, महाताकत है। वेद, पुराण, कथा, भागवत, उपदेश, प्रवचन सबसे सम्मति बड़ी है और तुलसी बाबा रामायण की आरती में आर्त होकर कह गए–

चारों वेद पुराण अष्ट दस
छहों शास्त्र सब ग्रन्थन को रस
मुनिजन धन सन्तन को सरवस
सार अंश सम्मत सब ही की
आरती श्री रामायण जी की।

यह है सम्मति की ताकत। गाँधी इसे जानते ही नहीं मानते भी हैं। अजमाने की सलाह देते ही नहीं, पहले स्वयं पर अजमा कर बताते हैं उसके बाद कहते हैं– *सबको सन्मति दे भगवान।*

गाँधी का कहना है कि हम सद्भावना, सन्मति रखकर एक दूजै को आगे बढ़ाने के भाव से रहें। इनसे क्या नहीं हो सकता, का प्रमाण गाँधी के स्वतंत्रता आन्दोलन नीति से चलता है। इससे यदि दुनिया के महाशक्तिधर अंग्रेज भारत को छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो सकते हैं तो घर-परिवार चलाना कौनसी बड़ी बात है। जैसे यदि मैं (Individual) आत्मसुधार की प्रतिज्ञा कर लें तो हम (we) का सुधार होने में क्या देर लगेगी। आखिर समस्त मैं (All I's) का जोड़ ही तो हम (we) है। गणित की भाषा में कहें तो समस्त मैं = हम (All I's = We) हम सुधरेंगे, जग सुधरेगा। कहने का भाव यह है कि गाँधी की सन्मति मार्ग के अनुगामी बनकर यदि हम अपना घर-परिवार चलाएँगे तो समाज व राष्ट्र का चलना स्वतः ही हो जाएगा। इसे समाजवाद व समतावाद कह सकते हैं।

दरअसल गाँधी आजादी के बाद देशवासियों को जीने की कला के सूत्र देना चाहते थे। उनकी चिन्ता इस बात को लेकर कम थी कि देश को आजादी कैसे मिलेगी। यह काम तो उन्हें करना ही था। उनकी चिन्ता व चिन्तन बाद के वर्षों में हमारे जीने के रंग-ढंग के बारे में थी। वे एक विकृतिविहीन समाज की रचना चाहते थे। सन् 1925 में उन्होंने इस विषय में अपने विचार प्रकट किए थे। गाँधी इन सामाजिक विकृतियों को सात सामाजिक पाप भी कहते हैं जिनसे मुक्त रहना आवश्यक है। आइए, इन सात सामाजिक विकृतियों अथवा पापों को जानें, जो इस प्रकार हैं– 1. श्रमविहीन सम्पत्ति (Wealth without labour)। 2. चरित्रविहीन शिक्षा (Education without character)। 3. नैतिकताविहीन व्यापार (Business without morality)। 4. मानवताविहीन विज्ञान (Science without Humanity)। 5. त्यागविहीन पूजन (Worship without sacrifice)। 6. विवेकविहीन भोगविलास (Pleasure without conscience)। 7. सिद्धान्तविहीन राजनीति (Politics without principle)।

श्रम के बिना प्रथमतः तो सम्पति अर्जित होगी ही कैसे और यदि अन्यान्य अमान्य तरीकों से सम्पति का जुगाड़ कर लिया जाएगा तो वह बरकत कैसे करेगी। अतः अपने पसीने से कमाई सम्पति में ही भरोसा करना चाहिए। शिक्षा का अन्ततोगत्वा उद्देश्य व्यक्ति का चारित्रिक विकास करना है और हमारे यहाँ गुरुकुल से लेकर काफी आगे के काल में शिक्षा में चरित्र जमा रहा। नतीजतन हम दुनिया के सिरमौर बने रहे। विगत कुछ दशकों के कालखण्ड में इसमें गिरावट आई है तो उसका नतीजा हम और हमारा समाज भुगत ही रहा है। परीक्षा व अध्ययन व्यवस्था में नैतिकता एवं मूल्यपरकता आवश्यक है। नैतिक एवं मूल्यपरक लोग भले ही श्रेणी व अंकों की परीक्षा में फेल हो जाएँ लेकिन जीवन की परीक्षा में उन्हें कोई फेल नहीं कर सकता। वे संघर्षों व बाधाओं से नहीं घबराते और अपनी राह स्वयं निकालते हैं। चरित्र की ताकत का अन्दाजा स्वयं चरित्रवान बनकर ही लगाया जा सकता है। यह पाठ्यपुस्तक अथवा अन्य शिक्षण सामग्री से सीखे जाने की चीज नहीं है। इसे तो व्यक्ति स्वयं अपने चरित्र व व्यवहार से सीखता-सिखाता है। गाँधीजी कहते हैं कि उन्हें वह ज्ञान बहुत कम याद रह गया है जो शिक्षकों ने पुस्तकों से पढ़ाया था लेकिन वह समस्त ज्ञान हृदय में स्थाई है जो उनकी वाणी, व्यवहार व कर्तव्यपालन भाव को देखकर सीखा था। सब कुछ भूल जाने के बाद भी जो याद रह जाता है, उसी का नाम शिक्षा है और वह नैतिक एवं चरित्रमूलक ही हो सकती है।

अब जरा व्यापार, काम धन्धे की बात करें। गाँधी कहते हैं कि उसमें नैतिकता हो। बुनियादी शिक्षा का ताना-बाना रचने के लिए वर्धा समिति ने सैद्धान्तिक रूप से लिखे पाठों में भी व्यावसायिक नैतिकता पर जोर दिया था। एक व्यक्ति ने चार आने में चार सेव खरीद कर एक रुपये में बेच दिए, बताओ कितना लाभ हुआ? इसका उत्तर बारह आना बताने के स्थान पर बेचने वाले को सजा करवाने की बात नैतिकता के प्लेटफार्म पर ही कही जा सकती है अन्यथा गणितीय क्रिया के हिसाब से तो उत्तर शत-प्रतिशत सही है। काला बाजारी, मिलावट, भावों की लूट गाँधी की आत्मा को तकलीफ पहुँचाने वाली बातें हैं। गाँधी चाहते थे कि व्यापार में यथोचित शुद्धता, प्रामाणिकता एवं उचित मूल्य निर्धारण हो। अब से 87 वर्ष पहले गाँधी को चिन्ता हुई थी और उन्होंने नैतिकताविहीन व्यापार को सामाजिक विकृति एवं पाप समझकर यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया।

गाँधी के अनुसार वह विज्ञान अज्ञान अथवा कुज्ञान (Bad Knowledge) है जिससे मानवता का भला नहीं हो रहा है। बम तथा अन्य युद्ध सामग्री- बनाने के लिए विज्ञान के प्रयोग को वे पाप कहते हैं। व्यक्ति के जीवन को सरल व सुखमय बनाने, रोगों के निदान, उन्नत कृषि, उन्नत उद्योग धन्धों के लिए विज्ञान का उपयोग हो ताकि मानव का भला हो सके। विलासितापूर्ण जीवन व भोग विलास में विवेक नहीं रखने वालों को कफन खरीदकर घर में रखने की सलाह एक दार्शनिक ने दी थी। सैंतीस वर्ष की युवा अवस्था से पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन कर उसकी नजीर रखने वाले गाँधी विवेकविहीन भोगविलास को सामाजिक विकृति अथवा पाप करार देते हैं।

इस प्रकार महात्मा गाँधी का जीवन के बारे में चिन्तन व संदेश सफल व सुखी जीवन का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने बड़े आत्मीय भाव से इन सूत्रों को इजाद किया था। वे चाहते थे कि स्वतंत्र भारत में उनकी संतानें, जैसा कि उन्हें हम अपना राष्ट्रपिता कहते हैं, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हुए प्रतिबद्धता व प्रामाणिकता के साथ जीवनयापन करें जिसकी जड़ें नैतिकता, मूल्यबोध एवं कर्मशीलता पर टिकी हों। कहना न होना गाँधी के रामराज्य का सपना इन्हीं सिद्धान्तों में फलीभूत हो सकता है।

–वरिष्ठ संपादक (शिविरा)

गाँधी नियोजन

आश्रम का अनुमानित व्यय

❑ मोहनदास कर्मचन्द गाँधी

अहमदाबाद में स्थापित आश्रम का संविधान स्वयं गाँधीजी ने तैयार किया था। गाँधीजी ने किस प्रकार वहाँ जरूरतों एवं वस्तुओं का मसौदा तैयार किया, की जानकारी इस आलेख में दी गई है। वस्तुतः यह सातवीं कक्षा की हिन्दी भाषा की पुस्तक का उन्नीसवाँ पाठ है। मैं गाँधी के जीवनदर्शन पर काम कर रहा था; तभी एक दिन परिवार के एक ग्यारह वर्षीय बालक अनिल ने मुझे अपनी पुस्तक लाकर दिखाई– देखो, बाबा, यह पाठ। बच्चे के प्रजेन्स ऑफ माइन्ड की प्रशंसा के साथ यह महत्त्वपूर्ण आलेख यहाँ प्रस्तुत है। इससे यह पता चलता है कि गाँधी किस तरह काम का सूक्ष्म नियोजन करते हैं। –ब.सं.

आरंभ में संस्था (आश्रम) में चालीस लोग होंगे। कुछ समय में इस संख्या के पचास हो जाने की संभावना है।

हर महीने औसतन दस अतिथियों के आने की संभावना है। इनमें तीन या पाँच सपरिवार होंगे, इसलिए स्थान की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि परिवारवाले लोग अलग रह सकें और शेष एक साथ।

इसको ध्यान में रखते हुए तीन रसोईघर हों और मकान कुल पचास हजार वर्ग फुट क्षेत्रफल में बने तो सब लोगों के लायक जगह हो जाएगी।

इसके अलावा तीन हजार पुस्तकें रखने लायक पुस्तकालय और अलमारियाँ होनी चाहिए।

कम-से-कम पाँच एकड़ जमीन खेती करने के लिए चाहिए, जिसमें कम-से-कम तीस लोग काम कर सकें, इतने खेती के औज़ार चाहिए। इनमें कुदालियों, फावड़ों और खुरपों की ज़रूरत होगी।

बढ़ईगिरी के निम्नलिखित औज़ार भी होने चाहिए– पाँच बड़े हथौड़े, तीन बसूले, पाँच छोटी हथौड़ियाँ, दो एरन, तीन बम, दस छोटी-बड़ी छेनियाँ, चार रंदे, एक सालनी, चार केतियाँ, चार छोटी-बड़ी बेधनियाँ, चार आरियाँ, पाँच छोटी-बड़ी संडासियाँ, बीस रतल कीलें-छोटी और बड़ी, एक मोगरा (लकड़ी का हथौड़ा), मोची के औज़ार।

मेरे अनुमान से इन सब पर कुल पाँच रुपया खर्च आएगा।

रसोई के लिए आवश्यक सामान पर एक सौ पचास रुपये खर्च आएगा। स्टेशन दूर होगा तो सामान को या मेहमानों को लाने के लिए बैलगाड़ी चाहिए। मैं खाने का खर्च दस रुपये मासिक प्रति व्यक्ति लगाता हूँ। मैं नहीं समझता कि हम यह खर्च पहले वर्ष में निकाल सकेंगे। वर्ष में औसतन पचास लोगों का खर्च छह हज़ार रुपये आएगा।

मुझे मालुम हुआ है कि प्रमुख लोगों की इच्छा यह है कि अहमदाबाद में यह प्रयोग एक वर्ष तक किया जाए। यदि ऐसा हो तो अहमदाबाद को ऊपर बताया गया सब खर्च उठाना चाहिए। मेरी माँग तो यह भी है कि अहमदाबाद मुझे पूरी ज़मीन और मकान सभी दे दे तो बाकी खर्च मैं कहीं और से या दूसरी तरह जुटा लूँगा। अब चूँकि विचार बदल गया है, इसलिए ऐसा लगता है कि एक वर्ष का या इससे कुछ कम दिनों का खर्च अहमदाबाद को उठाना चाहिए। यदि अहमदाबाद एक वर्ष के खर्च का बोझ उठाने के लिए तैयार न हो, तो ऊपर बताए गए खाने के खर्च का इंतज़ाम मैं कर सकता हूँ। चूँकि मैंने खर्च का यह अनुमान जल्दी में तैयार किया है, इसलिए यह संभव है कि कुछ मदें मुझसे छूट गई हों। इसके अतिरिक्त खाने के खर्च के सिवा मुझे स्थानीय स्थितियों की जानकारी नहीं है। इसलिए मेरे अनुमान में भूलें भी हो सकती हैं।

यदि अहमदाबाद सब खर्च उठाए तो विभिन्न मदों में खर्च इस तरह होगा–

किराया–बंगला और खेत की ज़मीन।

किताबों की अलमारियों का खर्च बढ़ई के औज़ार, मोची के औज़ार, चौके का सामान, एक बैलगाड़ी या घोड़ागाड़ी, एक वर्ष के लिए खाने का खर्च– छह हज़ार रुपया।

घरेलू सामान : चार पतीले–चालीस आदमियों का खाना बनाने के योग्य; दो छोटी पतीलियाँ– दस आदमियों के योग्य; तीन पानी भरने के पतीले या ताँबे के कलशे; चार मिट्टी के घड़े; चार तिपाइयाँ; एक कढ़ाई; दस रतल खाना पकाने योग्य; तीन कलछियाँ; दो आटा गूँधने की परातें; एक पानी गरम करने का बड़ा पतीला; तीन केतलियाँ; पाँच बाल्टियाँ या नहाने का पानी रखने के बरतन; पाँच पतीले के ढक्कन; पाँच अनाज रखने के बरतन; तीन तड़ियाँ; दस थालियाँ; दस कटोरियाँ; दस गिलास; दस प्याले; चार कपड़े धोने के टब; दो छलनियाँ; एक पीतल की छलनी; तीन चक्कियाँ; दस चम्मच; एक करछा; एक इमामदस्ता-मूसली; तीन झाड़ू; छह कुरसियाँ; तीन मेज़ें; छह किताबें रखने की अलमारियाँ; तीन दवातें; छह काले तख्ते; छह रैक; तीन भारत के नक्शे; तीन दुनिया के नक्शे; दो बंबई अहाते के नक्शे; एक गुजरात का नक्शा; पाँच हाथकरघे; बढ़ई के औज़ार; मोची के औज़ार; खेती के औज़ार; चार चारपाइयाँ; एक गाड़ी; पाँच लालटेन; तीन कमोड; दस गद्दे; तीन चैंबर पॉट; चार सड़क की बत्तियाँ। (वैशाख बदी तेरह, मंगलवार, 11मई, 1915)

मेरा खयाल है कि हमें लुहार और राजमिस्त्री के औज़ारों की भी ज़रूरत होगी। दूसरे बहुत से औज़ार भी चाहिए, किन्तु इस हिसाब से मैंने उनका खर्च और शिक्षण-सम्बन्धी सामान का खर्च शामिल नहीं किया है। शिक्षण के सामान में पाँच-छह देशी हथकरघों की आवश्यकता होगी।

–प्रस्तुति : अनिल पंचारिया, कक्षा-VII
पी.टी.एस. विद्यापीठ, गंगाशहर (बीकानेर)

शिक्षा का निराला व्यक्तित्व अनिल बोर्दिया

❑ चतर सिंह मेहता

मूर्धन्य चिन्तक व शिक्षाविद्, पद्मभूषण व यूनेस्को के सर्वोच्च पुरस्कार एविसिना अवार्ड से सम्मानित भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अनिल बोर्दिया ने शिक्षा के क्षेत्र में प्रवेश 30 वर्ष की आयु में किया था। वे राजस्थान के शिक्षा निदेशक सन् 1964 में बने। बाद में भारत सरकार में विभिन्न उच्च पदों पर कार्य करते हुए शिक्षा सचिव के सर्वोच्च पद से सन् 1992 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 50 वर्ष शिक्षा में चिन्तन, नवाचारों को प्रोत्साहित करने और उन्हें मूर्त रूप देने में समर्पित किए। जहाँ भी उन्हें कहीं थोड़ी सी प्रतिभा दिखी, राह में आवरण में ढका हीरा दिखाई दिया उसे उठाया, तराशा, पहचान दी, अभिप्रेरित किया और उचित अवसर देकर स्वप्रेरित कार्यकर्ताओं की एक लम्बी कतार खड़ी की।

वे स्वप्नदृष्टा थे। भारत में राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम 1978, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ही नहीं शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के निर्माण और क्रियान्विति की रूपरेखा तैयार करने में भी महत्वपूर्ण व अग्रणी भूमिका निभाई। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दक्षिण अफ्रीका और अन्य देशों की शिक्षा नीतियों के निर्माण में भी योगदान दिया व परामर्शद रहे। प्रारम्भिक काल के चार वर्षों व फिर अन्तिम बीस वर्षों में राजस्थान की शिक्षा को जो विशेष दिशा दी, नई चेतना जागृत की, शिक्षकों के हित में पहल कर उनका सम्मान बढ़ाया, उसे पारदर्शी व्यवहार देकर मनमाने प्रशासन से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया वह स्वर्ण अक्षरों में लेखन करने योग्य और कभी भुलाए जाने वाला नहीं है।

वे शिक्षकों के पूर्ण हितैषी थे। जब वे राजस्थान के शिक्षा निदेशक बने तो शिक्षकों की किसी भी स्तर पर विधिवत बनी वरिष्ठता सूचियाँ नहीं थी अतः पदोन्नति में अनियमितता की आशंका स्वाभाविक थी। उन्होंने प्राथमिकता से वरिष्ठता के नियम सरकार से स्वीकृत कराकर अभियान के रूप में वरिष्ठता सूचियाँ निर्मित कराई। हर स्तर का शिक्षक आश्वस्त हुआ कि उसे समय पर पदोन्नति व न्याय मिलेगा। विभाग में हर वर्ष सैकड़ों, हजारों की संख्या में शिक्षकों की नई भर्तियाँ होती हैं पर भर्ती के भी सुसंगत नियम नहीं थे, ऐसे में भर्तियों में भी मनमानी होती थी। शिक्षकों की भर्ती के वस्तुनिष्ठ, पारदर्शी, योग्यता व कौशल आधारित नियम बनाए। अन्याय की आशंका को ही निर्मूल करने के लिए मेरिट सूची के अंक ही समाप्त कर दिये। आश्चर्य की ही बात है कि उस पारदर्शी तरीके से प्रत्येक जिला व संभाग स्तर पर शिक्षा विभाग द्वारा वर्षों तक की जाने वाली नियुक्तियों के विरुद्ध एक भी मामला उच्च न्यायालय में नहीं गया और न किसी पर बिना वरीयता नियुक्ति के आरोप लगे।

नियुक्तियों व पदोन्नतियों की तरह ही शिक्षकों का स्थानान्तरण भी सेवा का प्रमुख मुद्दा होता है, शिक्षा के स्तर व शिक्षकों के मनोबल को प्रभावित करता है। इस बारे में भी कोई नीति, नियम न होने से मनमाने व्यवहार से शिक्षा पर कुप्रभाव होता था। सर्वप्रथम सन् 1966 में स्थानान्तरण नियमों को लागू किया। प्रक्रिया में कई बार उतार चढ़ाव आये पर पारदर्शी प्रक्रिया चलती रही। वर्ष 1993-94 में राज्य सरकार ने शिक्षकों के स्थानान्तरण नियम बनाने के लिए फिर बोर्दिया समिति का गठन किया। अनिल बोर्दिया समिति ने विभिन्न वर्गों से विशद चर्चा कर राज्य सरकार को सर्वसम्मत नियमों का प्रारूप प्रस्तुत किया।

राज्य में पुराने अनुभवी शिक्षक जो प्रशिक्षित नहीं थे वे अगली पदोन्नति से वंचित रहते थे। शिक्षा की इस दशा व प्रभावित शिक्षकों की पीड़ा को समझते हुए उन्होंने नियम परिवर्तन कराकर जिन शिक्षकों की सेवा दस वर्ष की हो गई उन्हें प्रशिक्षित के बराबर ही पदोन्नति में लाभ दिलाया। शिक्षकों के पुत्र-पुत्रियों को सीधी भर्ती में राहत देने के लिए विशेष अंकों का प्रावधान कराया व शिक्षक-परिवार को सम्मान व गौरव प्रदान किया। पहली बार उन्होंने ही प्राथमिक व माध्यमिक दोनों स्तर की प्रशिक्षण संस्थाओं में वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रवेश की प्रणाली लागू की। शिक्षकों व शिक्षा सेवा के अधिकारियों के सेवा नियम तैयार किये जो बाद में अनेक मार्गों को पार करते हुए 1970 व 1971 में जारी हुए। इन नियमों में भी शिक्षक हितैषी पक्ष पर बल दिया गया जिसके कारण वर्ष 1960 से 1970 के बीच तदर्थ रूप से नियुक्त सैकड़ों माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक नियमित किये गये।

वे हमेशा शिक्षा में नवाचारों के प्रणेता रहे। शिक्षकों को हर समय नवीन विचारों से परिचित रखने, नीतियों में उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से उन्होंने विभाग में 'शिविरा-पत्रिका' मासिक आरम्भ की व त्रैमासिक पत्रिका 'नया शिक्षक' को नया रूप दिया। इससे राजस्थान में शिक्षा की राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ी। गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सुबद्ध शिक्षा प्रकाशन की नई शृंखला आरम्भ की। शिक्षकों के सम्मान और पुरस्कार समारोह की वर्ष 1985 से शुरुआत की व शिक्षक-कवियों, शायरों, लेखकों, संगीतज्ञों को भी सम्मान दिया जाने लगा। शिक्षा सुधारों के अनेक कार्यक्रम चालू किए। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़े गांवों की स्थिति सुधारने के लिए स्थानीय युवाओं को नियुक्ति व लगातार प्रशिक्षण देकर शिक्षाकर्मी योजना आरम्भ की जिससे नामांकन, शिक्षा की गुणवत्ता व शिक्षा में जनभागिता में वृद्धि हुई। परियोजना को अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग व सराहना भी मिली। सार्वजनीन शिक्षा के लोक जुम्बिश कार्यक्रम में जनभागीदारी व शिक्षकों की पहल को उन्होंने नये आयाम दिये। अन्त में युवाओं की शिक्षा 'दूसरा दशक' के माध्यम से शिक्षा में एक अनूठा सफल प्रयोग किया जिसे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया।

वे अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे जिसका कोई सानी नहीं है। राजस्थान ही नहीं पूरे देश की शिक्षा को उन्होंने अनुपम देन दी। वे शिक्षा जगत के एक देदीप्यमान सितारे थे। उनसे शिक्षा जगत हमेशा प्रेरणा व प्रकाश लेता रहेगा। हम उनके जीवन-आदर्श व अभिनव कार्यशैली को अपनाकर सर्वजनहिताय कार्य करें तो यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी।

–2/192, कुड़ी भगतासनी
हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, जोधपुर

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम

❑ बी.एल. यादव

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा परम्परागत मूल्यांकन पद्धति– जो पाठ्य पुस्तकों में पढ़ाई गई विषयवस्तु को रटकर अर्जित जानकारी के आकलन तक सीमित थी– के विपरीत इस सिद्धान्त पर आधारित है कि मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व उसमें सुधार का एक अभिन्न अंग है। अर्थात् मूल्यांकन अधिगम का ही हिस्सा है और अधिगम को प्रभावी बनाता है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा अनुभवों के आधार पर विकसित पद्धति है। शिक्षा पर बने दस्तावेजों में समय-समय पर परम्परागत मूल्यांकन पद्धति की खामियों की ओर इंगित किया जाता रहा है एवं श्रेष्ठता के लिए मूल्यांकन की सततता एवं व्यापकता की ओर ध्यान दिलाया जाता रहा है। यूनिवर्सिटी एज्युकेशन कमीशन रिपोर्ट (1948) में कहा गया है कि पाठ्यक्रम में कक्षागत गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाये। कुल अंकों में से एक तिहाई अंक कक्षा में पढ़ाते समय किये गये कार्य के लिए सुरक्षित रखे जाएँ। मुदालियर कमीशन रिपोर्ट (1953) में कहा गया है कि वार्षिक आकलन के नम्बर देते समय शिक्षक द्वारा संधारित किए गए रिकार्ड को भी ध्यान में रखा जाए। कोठारी कमीशन रिपोर्ट (1966) में कहा गया कि शिक्षार्थियों को उपलब्धि प्रमाण-पत्र देते समय उनके आन्तरिक एवं बाह्य दोनों मूल्यांकन के अंकों को शामिल किया जावे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) में आंतरिक मूल्यांकन को विस्तृत रूप से परिभाषित किया गया जिसके आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् स्कूलों में समग्र मूल्यांकन (1989) पर एक दस्तावेज तैयार किया। परन्तु उक्त सभी दस्तावेज सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बीजारोपण तक सीमित रहे इसे पल्लवित एवं विकसित किया गया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 ने।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या दस्तावेज का आरम्भ कविन्द्र-रविन्द्रनाथ टैगोर के निबंध Civilisation and Progress के उद्धरण से होता है जिसमें कहा गया है कि Creative spirit and generous joy are key in childhood, both of which can be distorted by an unthinking adult world. जैसा कि दस्तावेज की उक्त प्रारम्भिक पंक्तियों से स्पष्ट है कि दस्तावेज इस सिद्धान्त पर आधारित किया गया है बचपन के आनन्द को किस प्रकार सुरक्षित रखते हुए बच्चों को शिक्षा में चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर किया जाए। इस दस्तावेज में पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं– (1) ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, (2) पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, (3) पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन कि वह बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर मुहैया करवाए बजाए इसके कि पाठ्यपुस्तक– केन्द्रित बनकर रह जाए,(4) परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना और (5) एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य-व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अध्याय 3 के बिन्दु 3(II) में आकलन और मूल्यांकन के विषय में कहा गया है "In the Indian education System the term 'evaluation' is associated with examination, stress and anxiety ..... Currently the board examinations negatively influence all testing and assessment throughout the school years beginning with pre school" अर्थात वर्तमान मूल्यांकन प्रक्रिया नकारात्मक है जिसमें यह देखा जाता है कि बच्चा क्या नहीं जानता बजाए यह देखने के कि बच्चा क्या जानता है। सामान्यतया परीक्षा तनाव और चिन्ता को जन्म देती है। अतः हमारा यह दायित्व है कि परीक्षा के इन दुष्प्रभावों को दूर करते हुए सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों के सार्थक और आनन्ददायी अनुभवों एवं संदर्भों को जोड़ते हुए भय मुक्त मूल्यांकन के प्रयास किये जाए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में मूल्यांकन के उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए यह भी कहा गया है कि शिक्षा का सरोकार एक सार्थक जीवन की तैयारी से होता है और मूल्यांकन प्रतिपुष्टि (फीडबैक) देने का एक सकारात्मक माध्यम होना चाहिए। इसी अवधारणा को स्थापित करने के लिए इस दस्तावेज में निम्न प्रस्ताव रखे गये हैं– • 'अंक' बिना दिए भी बच्चों का आकलन किया जा सकता है। • प्रत्येक बालक-बालिका महत्वपूर्ण है तथा बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं। • बच्चों के अनुभव सीखने का महत्वपूर्ण आधार होते हैं। सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की भागीदारी सीखने को मजबूती प्रदान करती है। • प्रत्येक बालक-बालिका अपने स्तर व गति के अनुसार सीखते हैं। अतः उन्हें सीखने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध करवाये जावें। • सामान्यतया बच्चे होशियार या मंद बुद्धि नहीं होते हैं बल्कि पृथक-पृथक क्षेत्रों में विशिष्टता लिए हुए होते हैं। • सीखने-सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित हो और शिक्षक सम्बलनकर्ता की भूमिका में हो। अर्थात अध्यापक की यह भूमिका रहे कि वह प्रत्येक बच्चे को उसकी क्षमता के अनुसार सीखने का सर्वश्रेष्ठ अवसर दें और विद्यार्थी के बहुमुखी विकास में सहायक बने। शिक्षक को ऐसा प्रयास भी करना चाहिए कि बालक विद्यालय में अर्जित ज्ञान को अपने आसपास के वातावरण से जोड़ कर देख सकें। • मूल्यांकन अधिगम का ही हिस्सा है और अधिगम को प्रभावी बनाता है अतः इसे शिक्षण प्रक्रिया से अलग करके न देखा जाए। इसलिए मूल्यांकन को बच्चे के संज्ञानात्मक, भावात्मक व मनोवैज्ञानिक विकास में सहायक होना चाहिए। • मूल्यांकन का आशय बच्चों का नियमित परीक्षण करना नहीं है, बल्कि उसकी दैनिक गतिविधियों तथा उनके ज्ञानोपयोग का अवलोकन करना है।

● मूल्यांकन का उद्देश्य, सीखने-सिखाने की प्रक्रिया व सामग्री में निरन्तर सुधार करना है। ● पाठ्यपुस्तकों के अतिरिक्त भी सीखने के अन्य साधन हो सकते हैं। ● मूल्यांकन प्रक्रिया ऐसी हो जिसमें बच्चों और अभिभावकों को उसके सृजित ज्ञान व प्रगति के बारे में निरन्तर फीडबैक प्राप्त होता रहे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में निहित सिद्धान्तों को आधार मानते हुए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकारी अधिनियम 2009 के अध्याय 5 में मूल्यांकन प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं। अधिनियम की धारा 29(2) में प्रावधान किया गया है कि शिक्षा प्राधिकारी, उपधारा (1) के अधनी पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया अधिकथित करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान में रखेगा– (क) संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों से अनुरूपता, (ख) बालिका का सर्वांगीण विकास, (ग) बालक के ज्ञान, अन्तः शक्ति, योग्यता का निर्माण करना, (घ) पूर्णतम मात्रा तक शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का विकास, (ङ) बाल अनुकूल और बालकेन्द्रित रीति में क्रियाकलापों, प्रकटीकरण और खोज के द्वारा शिक्षण, (च) शिक्षा का माध्यम, जहाँ तक साध्य हो बालक की मातृभाषा में होगा, (छ) बालक को भय, मानसिक अभिघात और चिन्तामुक्त बनाना और बालक को स्वतंत्र रूप से मत व्यक्त करने में सहायता करना, (ज) बालक के समझने की शक्ति और उसे उपयोग करने की उसकी योग्यता का व्यापक और सतत मूल्यांकन।

अधिनियम की धारा 29(2) के प्रावधान की क्रियान्विति का दायित्व धारा 24(1) में शिक्षकों पर डालते हुए प्रावधान किये गये हैं कि धारा 23 के अधीन नियुक्त शिक्षक निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा अर्थात– (क) विद्यालयों में उपस्थित होने में नियमितता और समय पालन। (ख) धारा 29 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करना और उसे पूरा करना। (ग) विनिर्दिष्ट समय के भीतर सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करना, (घ) प्रत्येक बालक की शिक्षा ग्रहण करने के सामर्थ्य का निर्धारण करना और तद्नुसार यथा अपेक्षित अतिरिक्त शिक्षण, यदि कोई हो, जोड़ना, (ङ) माता-पिता और संरक्षकों के साथ नियमित बैठकें करना और बालक के बारे में उपस्थिति में नियमितता, शिक्षा ग्रहण करने का सामर्थ्य, शिक्षण में की गई प्रगति और किसी अन्य सुसंगत जानकारी के बारे में उन्हें अवगत कराना। (च) ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का पालन करना, जो विहित किए जाएँ।

अधिनियम की धारा-16 में जब यह प्रावधान किया गया है कि किसी विद्यालय में प्रविष्ठ बालक को किसी कक्षा में रोका नहीं जाएगा या विद्यालय से प्रारम्भिक शिक्षा पूरी किये जाने तक निष्कासित नहीं किया जाएगा तो इसका भी सकारात्मक पक्ष यही है कि जब बच्चे का निरन्तर मूल्यांकन होता रहेगा तो उसकी कमजोरियाँ प्रारम्भिक स्तर पर ही शिक्षक के ध्यान में आ जाएँगी और शिक्षक अपनी पाठ योजना इसी तरह तैयार करेगा कि सभी बच्चे अपने स्तर एवं गति के अनुसार सीखते रहें। कोई बच्चा पिछड़ रहा है तो उसे विशेष ध्यान देकर या विशेष प्रशिक्षण देकर अन्य के समकक्ष लायें। चूँकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उल्लेख किया गया है कि 'प्रगति-पत्र (रिपोर्ट कार्ड) तैयार करने से शिक्षक को अपने प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में यह सोचने का मौका मिलता है कि उसने सत्र के दौरान क्या सीखा और किस क्षेत्र में उसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। ऐसे रिपोर्ट कार्ड को लिख पाने के लिए शिक्षक को प्रत्येक विद्यार्थी के बारे में सोचना होगा और इसीलिए रोजमर्रा के शिक्षण के दौरान उस पर ध्यान देना होगा। इसके लिए विशिष्ट परीक्षाओं की जरूरत नहीं है। स्वयं सीखने वाली गतिविधियाँ बच्चों में निरन्तर चलने वाले अवलोकनात्मक एवं गुणात्मक आकलन का आधार बनती हैं। अवलोकन के आधार पर रोज की दैनंदिनी रखने से निरंतर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मदद मिलती है।' अतः इसी सिद्धान्त को शिक्षा का अधिकार अधिनियम की धारा-24 (1)(घ) में समाहित किया गया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि शिक्षक का कर्तव्य है कि प्रत्येक बच्चे के पढ़ने के स्तर और गति को जाँचें, दर्ज करें और उसके आधार शिक्षण योजना तैयार करके पढ़ाएँ।

–उपायुक्त
राज. प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

शास्त्री जी का अमिट योगदान

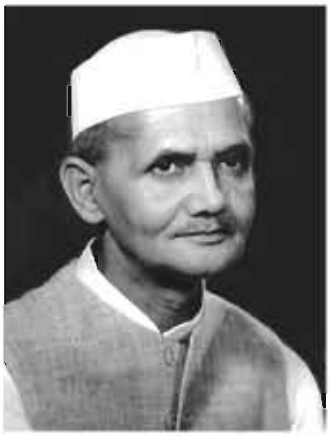

लाल बहादुर शास्त्री के मन-मस्तिष्क में गाँधीजी की अद्भुत-अभूतपूर्व छवि अंकित थी। वह देश-सेवा में अपने को होम करने के लिए उद्यत व संकल्पित हुए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पूर्व की गतिविधियों का अध्ययन करने के साथ महात्मा गाँधी, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेन्द्र नाथ बैनर्जी, विपिनचन्द्र पाल, लाला लाजपत राय जैसे नेताओं के ओजस्वी-तेजस्वी भाषणों का भी उन्होंने अध्ययन किया।

उनकी जीवनी के लेखक डॉ. आर. मनकेकर ने उल्लेख किया है कि इतनी छोटी उम्र में ही उन्होंने संतों की पावन वाणी को आत्मसात कर लिया था। सिक्खों के प्रथम गुरु श्री नानकदेव जी के एक पद को वे अक्सर मंत्र के रूप में गुनगुनाते रहते थे–

''नानक नन्हें ह्वै रहो, जैसे नन्हीं दूब।
और रूख सब सूखी हैं, दूब रहेंगी खूब॥''

जब तक अमृत न मिला तब तक देवता लोग न तो अमूल्य रत्नों को पाकर ही सन्तुष्ट हुए, न भयानक विष से ही डरे। वे समुद्र-मन्थन में लगे ही रहे। आखिर अमृत प्राप्त कर ही लिया। ठीक इसी प्रकार हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों ने अंग्रेज रूपी असुरों से आज़ादी हासिल कर अपने उद्देश्य को सिद्ध किये बिना विश्राम नहीं लिया, जिसमें शास्त्रीजी का योगदान अमिट है।

पड़ताल

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर राष्ट्रीय परिचर्या

❑ बी.एस. सांदू

एसआईईआरटी उदयपुर, एसएसए जयपुर तथा यूनिसेफ के संयुक्त तत्वावधान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर एक दो दिवसीय राष्ट्रीय परिचर्या दिनांक 18.01.2012 से 19.01.2012 तक उदयपुर में आयोजित की गई जिसमें विभिन्न राज्यों की एससीईआरटी, एनसीईआरटी, सीबीएसई तथा कई सीबीएसई विद्यालयों के लगभग 75 प्रतिनिधियों ने भाग लेकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सम्बन्ध में गहन विचार विमर्श कर विचारों का आदान प्रदान किया। आरटीई के परिप्रेक्ष्य में राज्य के सभी प्रारम्भिक स्तरीय सरकारी विद्यालयों में सीसीई लागू करने की अनिवार्यता के मद्देनजर देश के विभिन्न राज्यों के सीसीई विशेषज्ञों व शिक्षाविदों के अनुभवों से लाभान्वित होने के उद्देश्य से इस परिचर्या का आयोजन किया गया। चूँकि राज्य में यह कार्य अभी शैशव अवस्था में है, अन्य राज्यों के अनुभव निश्चय ही राज्य को इस कार्यक्रम की सफल क्रियान्विति में उपयोगी सिद्ध होंगे– इसी आशा विश्वास के साथ राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम का आयोजन एसआईईआरटी द्वारा किया गया।

परिचर्चा की अध्यक्षता तत्कालीन आयुक्त राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् एवं वर्तमान में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग श्रीमती वीनू गुप्ता द्वारा की गई तथा मुख्य आतिथ्य एनसीईआरटी, नई दिल्ली के मूल्यांकन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ. अवतार सिंह द्वारा किया गया। माननीया प्रमुख शासन सचिव ने प्राथमिक शिक्षा में सुधार लाने हेतु तथा एनसीएफ 2005 तथा आरटीई 2009 की भावना के अनुरूप राज्य में सीसीई को लागू करने पर बल दिया तथा एक ऐसा मॉडल विकसित करने का आह्वान किया जो सरल, सुग्राह्य हो तथा बालकों का सही आकलन कर उनकी अधिगम क्षमता को बढ़ाये।

डॉ. अवतार सिंह के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य बालकों को उनकी सफलता-असफलता का प्रमाण-पत्र देना नहीं बल्कि उनकी योग्यता को सही दिशा प्रदान करना है। मूल्यांकन अपने आप में कोई उद्देश्य न होकर शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने वाला एक उपकरण है। यूनीसेफ की शिक्षा सलाहकार श्रीमती सुलग्ना राय ने सीसीई को आरटीई का सर्वाधिक चुनौतिपूर्ण बिन्दु बताया।

सीसीई सोर्स बुक के निर्माण में महती भूमिका निभाने वाली एससीईआरटी के प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के प्रोफेसर डॉ. मन्जू जैन तथा डॉ. लता पाण्डे ने सोर्स बुक के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए एक अच्छी सोर्स बुक की विशेषताओं पर प्रकाश डाला। सीसीई पद्धति प्रक्रिया आधारित होनी चाहिए न कि परिणामों पर आधारित। इसके अन्तर्गत बालक का सम्पूर्ण परिप्रेक्ष्य में व्यापकता से तथा सततता से अवलोकन किया जाना अपेक्षित है।

सीबीएसई में अपनाई गई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति के बारे में डॉ. नीलिमा शर्मा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली ने जानकारी प्रदान की। सीबीएसई विद्यालयों में यह पद्धति 2001 से ही लागू की जा रही है, जिसे क्रमिक रूप में अलग-अलग कक्षाओं में लागू किया गया।

राष्ट्रीय परिचर्या में केरल, आन्ध्रप्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित लगभग 10 राज्यों की एससीईआरटी के प्रतिनिधियों ने अपने राज्य में प्रचलित सीसीई कार्यक्रम की वस्तुस्थिति, विशेषताओं का प्रसार प्रशिक्षण तथा क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों तथा चुनौतियों की विहंगम तस्वीरें प्रस्तुत कीं। लगभग सभी राज्यों ने एनसीईआरटी द्वारा तैयार मॉडल को आधार बनाकर अपनी पद्धति विकसित की है। अधिकांश राज्यों ने सीसीई के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली, पोर्टफोलियो, रचनात्मक तथा योगात्मक मूल्यांकन सह शैक्षिक क्षेत्रों तथा व्यक्तित्व-सामाजिक गुणों को महत्व इत्यादि बिन्दुओं को स्वीकार कर अपने कार्यक्रम में स्थान दिया है। अपवाद स्वरूप कुछ राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों ने सीसीई को पॉयलेट प्रोजेक्ट के रूप में विद्यालयों में लागू किया है। अध्यापकों की सहायता हेतु 'सोर्स बुक' अथवा संदर्भ पुस्तिका इत्यादि नामों से एक डॉक्यूमेन्ट विकसित किया है।

राजस्थान में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति को पायलेट करने में सहयोग बोध शिक्षा समिति, जयपुर ने दिया है जिसके तथा एसएसए, जयपुर, एसआईईआरटी, उदयपुर के सम्मिलित प्रयासों से राज्य के लगभग 60 विद्यालयों में सत्र 2010-11 से यह योजना पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई जिसकी परिणति सन् 2013-14 में राज्य के सभी प्रारम्भिक स्तरीय विद्यालयों में सीसीई को लागू करने के साथ ही होगी। सत्र 2012-13 में इस कार्यक्रम को अपस्केल कर राज्य के लगभग 3059 चयनित लहर प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इन प्राथमिक विद्यालयों में सीसीई लागू करने के साथ-साथ उस विद्यालय अथवा उसके आसपास स्थित आँगनवाड़ी केन्द्रों में ईसीई कार्यक्रम भी लागू किया जा रहा है। राजस्थान राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की विकास यात्रा, पायलेट स्कूलों अध्यापकों की ट्रेनिंग व अभिमुखीकरण, सीसीई सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की सामग्री का निर्माण इत्यादि बिन्दुओं पर श्री योगेन्द्र उपाध्याय, निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर द्वारा प्रकाश डाला गया।

इस राष्ट्रीय परिचर्चा के अन्य में डॉ. अवतार सिंह ने सभी प्रतिनिधियों के समक्ष यह विचार व्यक्त किया कि वे इस बात के लिए प्रयास करें कि उनके राज्य में लागू सीसीई पद्धति अन्य राज्यों से बहुत भिन्न न हो। एक ऐसा मॉडल विकसित किया जाए तो लगभग सभी राज्यों द्वारा मान्य हो। यह राष्ट्रीय परिचर्या एक सार्थक कार्यक्रम था। जिसमें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को ऐसा मंच प्रदान किया जहाँ उन्हें अन्य राज्यों से तुलनात्मक अध्ययन, आत्मावलोकन व सुधार के लिए नये मार्ग खोजने का अवसर मिला।

–निदेशक, एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

गुरु-शिष्य सम्बन्धों की पुनर्स्थापना में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

❑ डॉ. गोविन्द सिंह एवं डॉ. प्रियंका पारीक

शिक्षक एक समन्वयक है, जो विभिन्न बालकों का विद्यालयों में समन्वय करते हैं। वे विभिन्न परिस्थितियों, विभिन्न पाठ्यक्रमों एवं अन्य सामग्री से बालक का सामंजस्य स्थापित करते हैं। शिक्षक एक निर्देशक है, जो विभिन्न क्रियाओं, कार्यक्रमों में बालकों को निर्देश देते हैं, जिसके अनुसार बालक लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। इन सबके साथ शिक्षक ही वह परीक्षक है जो मूल्यांकन अथवा आकलन के माध्यम से यह जानने का प्रयास करता है कि बच्चों ने कितना ग्रहण कर लिया है। शिक्षक की भूमिका निश्चित रूप से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है परन्तु जहाँ तक शिक्षक की भूमिका को एक परीक्षक के रूप में देखें तो वहाँ उसकी भूमिका उचित प्रतीत नहीं होती है। इसका कारण हमारे विद्यालयों की परीक्षा प्रणाली है। इसी परीक्षा-प्रणाली का अनुकर्त्ता बन शिक्षक यह जानने का प्रयास नहीं करता कि क्या बच्चों ने सीखने की तरीके सीख लिए हैं? चूँकि बच्चों के सीखने के और रुचि में अन्तर होता है; इसलिए परीक्षा की यह प्रणाली सभी बच्चों के लिए तनाव और चिन्ता का कारण बन जाती है। इस प्रणाली के माध्यम से बच्चों को सफल या असफल घोषित कर दिया जाता है। इस तरीके के पीछे मान्यता यह है कि सीखने की प्रक्रिया में प्रमुख जवाबदेही बच्चे की थी, उसने नहीं निभाई इसलिए उसे वह असफल हो गया।

इस घोषणा का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है– गुरु और शिष्य के सम्बन्धों पर तथा जिन बच्चों को परीक्षा की इस आंकिक प्रणाली के द्वारा असफल घोषित किया जाता है, उससे उन बच्चों की असफलता के कारणों का पता नहीं चलता। साथ ही जिन बच्चों को सफल घोषित किया गया है उनके बारे में परीक्षा परिणाम यह नहीं बताता कि बच्चों ने दरअसल क्या सीख लिया, क्या सीखना अभी शेष है जो कि पाठ्यचर्या की मूल भावना और शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप है।

शिक्षाविद् ए.एस. अल्तेकर ने प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में यह विचार रखे कि– 'छात्र तथा अध्यापक के मध्य सम्बन्ध किसी संस्था के माध्यम से नहीं अपितु सीधे उन्हीं के बीच था। छात्र विद्याध्ययन के लिए उन्हीं लब्ध-प्रतिष्ठित गुरुओं के पास जाते थे, जिनकी ख्याति उनकी विद्वता के लिए थी। उस प्राचीन गुरुकुल शिक्षा-पद्धति का उद्देश्य जहाँ एक ओर बालक का आध्यात्मिक, चारित्रिक एवं सामाजिक विकास करना था, वहीं दूसरी ओर कर्त्तव्यपालन की शिक्षा, राष्ट्रीय संस्कृति संरक्षण की शिक्षा देना था।' आज की शिक्षा पद्धति पर यदि दृष्टि डाली जाए तो यह सर्वथा इसके विपरीत दिखाई देती है।

महात्मा गाँधी ने कहा कि– 'शिक्षा से मेरा तात्पर्य है– बालक के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले सर्वोत्तम गुणों का चहुँमुखी विकास', वहीं गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा सम्बन्धी धारणा है– 'सर्वोत्तम शिक्षा वह है, जो हमें सूचना एवं ज्ञान ही प्रदान नहीं करती है, अपितु हमारे जीवन का विश्व के समस्त जीवों के साथ मेल उत्पन्न करती है।' इसी सन्दर्भ में विवेकानन्द ने कहा– 'शिक्षा विविध जानकारियों का ढेर नहीं है, जो तुम्हारे मस्तिष्क में ठूँस दिया गया है और जो आत्मसात हुए बिना वहाँ आजन्म पड़ा रहकर हलचल मचाया करता है। हमें उन विचारों की अनुभूति कर लेने की आवश्यकता है, जो जीवन-निर्माण, मनुष्य-निर्माण तथा चरित्र-निर्माण में सहायक हो। यदि तुम केवल पाँच ही परखे हुए विचार आत्मसात कर उनके अनुसार अपने जीवन और चरित्र का निर्माण कर लेते हो तो तुम पूरे ग्रंथालय को कण्ठस्थ करने वाले की अपेक्षा अधिक शिक्षित हो।'

शिक्षा और परीक्षा के सम्बन्ध में सभी शिक्षाविदों के विचारों का केन्द्र बालक का चहुँमुखी विकास है। आज की शिक्षा-पद्धति पूरी तरह से बच्चे की जाँच पर निर्भर है न कि उसके चहुँमुखी विकास पर। इसका कारण है– समय-समय पर ली जाने वाली परीक्षाएँ। इन परीक्षाओं के माध्यम से यह जाँच की जाती है कि बालकों ने क्या ग्रहण कर लिया? मात्र यह जाँच ही उनकी स्थिति को बताने का माध्यम बना ली गई हैं जबकि यह जाँच कभी-कभी बालक के उन पक्षों की परख नहीं कर पाती जो उसने सीख लिए हैं।

कक्षाओं में बच्चे एक मशीन की भाँति पाठों को रटते रहते हैं और पाठ पर आधारित प्रश्नों को हल करके अच्छे या बुरे अंक लाते हैं। बच्चे पाठ्यपुस्तकों से बाहर की बातों पर अपनी प्रतिक्रिया ठीक से नहीं दे पाते। कुछ निश्चित प्रश्न और उनका निश्चित और उनका निश्चित जवाब, यदि नहीं मिलता तो बालक की असफलता घोषित कर दी जाती है। यही कारण है कि गुरु और शिष्य के जो सम्बन्ध हुआ करते थे आज वे पीछे छूट गये हैं।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली इसी तामस् ज्ञान का प्रतिनिधित्व करती है। जिन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हम अपने बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, वे क्या हैं? हम बच्चों को भेजते हैं एक सक्रिय व्यक्ति के रूप में पनपने के लिए न कि ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कि चिंतनविहीन प्रक्रियाओं में दक्ष है। माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का वैसा ही विकास हो जिसे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिकार कानून 2009 में समग्र विकास कहा गया है। यह तभी संभव है जब हमारे शिक्षण और जाँचने के तरीकों में प्रत्येक बच्चों को अलग-अलग समझा जाए। बच्चों में आपस में तुलना करके हम एक बड़ी गलती करते हैं तथा हम बच्चों की पृथक पहचान पर प्रहार करते

हैं। यही वो बात है जिसके कारण परम्परागत परीक्षा प्रणाली का विरोध किया जाता रहा है। उसमें न ही यह पता चलता है कि किस बच्चे ने कितना, क्या और कैसा सीखा है और न ही यह पता चलता है कि उसके साथ किस तरह का काम किए जाने की आवश्यकता है?

ऐसा माना जाता है कि बच्चे कुछ महीने या साल भर में सीखे हुए को एक बार में ही एक दिन में कुछ घंटों में ही बता देंगे। बच्चों को उनके दिए हुए जवाबों के आधार पर अंक दिए जाते हैं, जिनके निर्धारण का कोई वैज्ञानिक आधार तो हो सकता है मगर वो तुलनात्मक हो ही जाता है। बच्चों का वह पक्ष जो अमूर्त है, उसे भी अंकों में ढालने का प्रयास किया जाता है। बहुत प्रयासों के बाद भी बच्चों के अकादमिक पक्षों से ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी चुनौती है कि यह प्रणाली सीखने या न सीखने की जिम्मेदारी पूर्णतः बच्चों पर आ जाती है। इसी कारण उन्हें पास या फेल होने का तमगा देकर आगामी कक्षाओं में प्रवेश दिया जाता है या रोक लिया जाता है। अगर बच्चों को फेल कर दिया तो उसके साथ उस कक्षा का काम फिर से शुरू किया जाता है और यदि आगामी कक्षा में भेज दिया तो यह मान लिया जाता है कि पिछली कक्षा से सम्बन्धित सब बातें और पाठ्यक्रम के उद्देश्य उस बच्चे के द्वारा पूरे कर लिए गये हैं परन्तु इसे पूर्णता का द्योतक नहीं माना जा सकता।

सम्पूर्ण शिक्षा : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन– विवेकानंद के अनुसार मनुष्य की अन्तर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिकार कानून 2009 भी यह कहता है कि कक्षा में सीखने की प्रक्रियाएँ ऐसी हों जो कि बच्चों में छिपी हुई प्रतिभा और सम्भावना को उभारती हों। बच्चों को सिखाने का एकमात्र माध्यम है शिक्षक। शिक्षक इस उद्देश्य में सफल हो इसके लिए आवश्यक है शिक्षकों द्वारा बालकों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग नहीं है जिससे शिक्षक और छात्र के मध्य वही सम्बन्ध स्थापित हो सके जो शिक्षा के आदर्शवादी दर्शन को अभिव्यक्त कर सके।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की भूमिका– सतत् एवं व्यापक आकलन में शिक्षक की भूमिका सर्वाधिक महत्व रखती है क्योंकि शिक्षक को यह ध्यान रखना होता है कि क्या बच्चों ने वह सीखा है जो उन्हें सीखना चाहिए? दूसरा उनके सीखने की गति क्या है? तीसरा उनकी सतत उपलब्धि क्या है? इन सबके लिए शिक्षक द्वारा बच्चों का आकलन दो स्थितियों में किया जाना आवश्यक है। पहला बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र में तथा दूसरा सामूहिक कार्यक्षेत्र में। इसका अर्थ है कि बच्चे कक्षा में या तो समूह में होते हैं या व्यक्तिगत कार्य कर रहे होते हैं। आकलन के कुछ आयाम समूह में विशेष तौर पर देखे जा सकते हैं जैसे– समूह भावना, सहयोग लेने व देने का कौशल, न्याय एवं समता के प्रति दृष्टिकोण इत्यादि। शिक्षक यह ध्यान रखे कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं? यानी बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं? उनमें क्या किसी बदलाव की गुंजाइश है? शिक्षक यह भी देखे कि जो विषयवस्तु बच्चे को सीखनी थी वह सीखी या नहीं? इसे दर्ज किया जा सकता है। कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का आकलन किया जा सकता है।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की सफलता पूर्णरूपेण शिक्षक और अभिभावकों की सोच और व्यवहार पर निर्भर करती है। शिक्षक को अपनी कार्यप्रणाली में सतत् एवं व्यापक शिक्षण को शामिल करना होगा तभी सतत् एवं व्यापक आकलन हो सकेगा एवं इसी आधार पर पुनः नई कार्ययोजना बनाकर कार्य करने से अपेक्षित परिणाम सहज लाये जा सकेंगे।

शिक्षक द्वारा प्रत्येक बच्चे का ध्यान रखना और उसके अनुसार अपनी शिक्षण योजना को लगातार बदलना ही सतत एवं व्यापक शिक्षण है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन आज के कम्प्यूटर युग में शिक्षकों की चिरस्थाई भूमिका को भी रेखांकित करता है। इस मूल्यांकन से यह सुनिश्चित हो गया है कि शिक्षकों का स्थान भविष्य में कम्प्यूटर कभी नहीं ले सकता। बालक और शिक्षक के मध्य सम्बन्धों की सुरक्षा करने वाले माध्यम के रूप में सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन की सदैव महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।

शिक्षक की भूमिका– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सतत् एवं व्यापक मूल्यांकन में तीन काम किए जा रहे होते हैं। पहला यह देखना कि बच्चों ने क्या वो सीखा है जो कि उन्हें सीखना चाहिए? दूसरा उनके सीखने की प्रगति क्या है? और तीसरे सतत् उपलब्धि क्या है? इन तीनों कामों में शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि– - शिक्षक द्वारा बच्चों का मूल्यांकन दो स्थितियों में किया जाना आवश्यक है। पहला बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र में और दूसरा सामूहिक कार्यक्षेत्र में। इसका अर्थ है कि बच्चे कक्षा में या तो समूह में होते हैं या व्यक्तिगत कार्य कर रहे होते हैं। मूल्यांकन के कुछ आयाम समूह में विशेष तौर पर देखे जा सकते हैं जैसे– समूह भावना, सहयोग लेने व देने का कौशल, न्याय एवं समता के प्रति दृष्टिकोण, नेतृत्व का गुण इत्यादि। - देखें कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं। यानि बच्चों के सीखने के तरीके क्या हैं? उनमें क्या किसी बदलाव की गुंजाईश है? शिक्षक इन बातों को अपनी डायरी में अपने अनुसार लिख लें ताकि बाद में उस बच्चे के बारे में लिखते समय यह टिप्पणी काम आ सके। क्योंकि एक शिक्षक के लिए सभी बातों को याद रखना संभव नहीं है। अतः शिक्षक को स्वयं की मदद के लिए यह दर्ज करते रहना चाहिए। - शिक्षक यह देखे कि जो विषयवस्तु बच्चे को सीखनी थी वो सीखी या नहीं। इसे दर्ज किया जायेगा। कुछ समय बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा। यह काम बच्चे के द्वारा किए गए विभिन्न तरह के कार्यों के अवलोकन के माध्यम से किया जा सकता है। यह काम है– बच्चों का कक्षा कार्य या गृह कार्य, बच्चों द्वारा अभ्यास पत्रक पर किया गया कार्य, बच्चों द्वारा समूह पत्र पर किया गया कार्य, बच्चों के द्वारा गतिविधियों के दौरान की गई टिप्पणियाँ।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में प्रयुक्त की जाने वाली प्रमुख शैक्षिक सामग्री इस प्रकार हैं– 1. स्रोत पुस्तिका, 2. रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन फॉर्मेट एवं मॉड्यूल, 3. कार्यपत्रक, 4. लेखन सामग्री, 5. पोर्टफोलियो फाइल, 6. आर्ट किट।

● सहायक निदेशक, राज. प्रार. शिक्षा परिषद्, जयपुर
●● व्याख्याता (हिन्दी), राज. प्रार. शिक्षा परिषद्, जयपुर

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सीखना-सिखाना एवं मूल्यांकन

❑ वेद प्रकाश गुप्ता

प्रारम्भिक स्तर पर बालक को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए यह आवश्यक है कि बच्चे के पूर्व ज्ञान को सीखने-सिखाने की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। वर्तमान में प्रचलित मूल्यांकन की प्रक्रिया में सत्र के अंत में परीक्षा परिणाम के तौर पर यह देखा जाता है कि बालक ने ''क्या नहीं सीखा'' बजाय इसके की बालक ने ''क्या सीखा''। मूल्यांकन के समय पाठ्यपुस्तक से पढ़ाई गई विषयवस्तु एवं रटन्त प्रणाली द्वारा प्राप्त की गई जानकारी को पेपर पेन टैस्ट के माध्यम से केन्द्रित किया जाता है। एक जैसे प्रश्नपत्र के माध्यम से कक्षा के बालकों का मूल्यांकन कर उन्हें प्रदान किये गये अंकों के आधार पर परीक्षा परिणाम की घोषणा की जाती है। इसी से बालक की प्रगति का मूल्यांकन किया जाता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के सार संक्षेप में उल्लेख है कि हमारे शैक्षिक उद्देश्यों और शिक्षा की गुणवत्ता में आज विकृति आ गई है। इसका प्रमाण यह तथ्य है कि शिक्षा बच्चों और उनके माँ-बाप के लिए तनाव व बोझ का कारण बन गई है। इस विकृति को दूर करने के लिए पाठ्यचर्या निर्माण के पाँच निर्देशक सिद्धांत प्रस्तावित किये गये हैं– ● ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। ● पढ़ाई रटन्त प्रणाली से मुक्त हो। ● बच्चों को चहुँमुखी विकास के अवसर उपलब्ध करवाया जाना। ● परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना एवं कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। ● प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था के अन्तर्गत राष्ट्रीय चिन्ताएँ समाहित हों।

पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकें शिक्षक को इस बात के लिए सक्षम बनाएँ कि वे बच्चों की प्रकृति और वातावरण के अनुसार कक्षाकक्ष प्रक्रिया को अंजाम देवें ताकि प्रत्येक बच्चे को सीखने का अवसर मिल सके। शिक्षण का उद्देश्य सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को सहज एवं समृद्ध करना होना चाहिए।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(2) में भी स्पष्ट किया गया है कि पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया तैयार करते समय सीखने-सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित एवं बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किया जाए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अन्तर्गत यह प्रयास किया गया है कि बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक आयामों को मूल्यांकन विधा के अन्तर्गत समाहित किया जावे।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन एक स्कूल आधारित मूल्यांकन व्यवस्था के साथ-साथ बच्चे के विकास के सभी पहलुओं का मूल्यांकन करती है। इस विधा के अन्तर्गत बच्चे की प्रगति का लगातार अवलोकन करना तथा उसके आधार पर शिक्षण योजना बनाना महत्वपूर्ण आयाम हैं। प्रारम्भिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का विभाजन एवं सीखने-सिखाने की इस प्रक्रिया में कक्षा शिक्षण के दौरान मूल्यांकन हेतु निम्न चरणों को अपनाना उचित होगा–

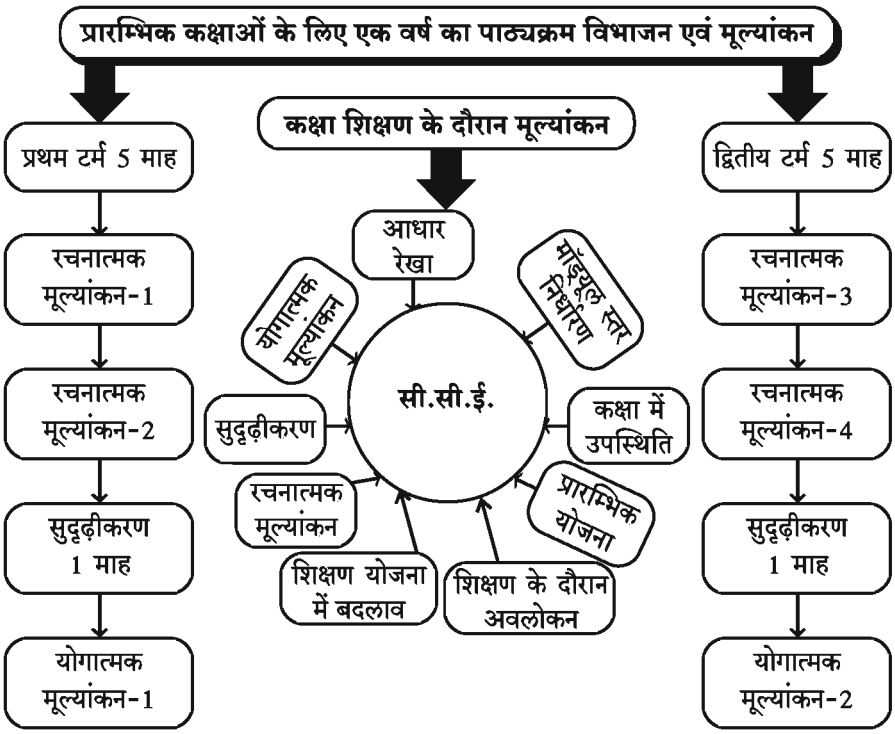

आधार रेखा मूल्यांकन– प्रत्येक बच्चे के शैक्षिक स्तर की जानकारी सत्र के प्रारम्भ में प्राप्त करना ताकि वास्तविक स्तर से बच्चे के साथ कार्य किया जा सके।

● **मॉड्यूल स्तर निर्धारण–** सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रत्येक कक्षा के पाठ्यक्रम को दो मॉड्यूलों में विभाजित किया गया है। आधार रेखा मूल्यांकन से बच्चे के स्तर के अनुसार मॉड्यूल का निर्धारण कर शिक्षण कार्य कराया जाता है।

● **कक्षा में उपसमूहीकरण–** शिक्षण के दौरान कक्षा में अधिकतम दो ही उपसमूह का

निर्धारण किया जाना उचित होगा।

● **प्रारम्भिक योजना–** शिक्षक के द्वारा बनाए गए समूहों की योजना तैयार कर उस पर बालकों के साथ कार्य करना एवं उनके स्तर के अनुसार योजना में बदलाव करना।

● **शिक्षण के दौरान अवलोकन–** मॉड्यूल पर योजना के अनुसार शिक्षण कराते समय शिक्षक के द्वारा चैकलिस्ट, वर्कशीट, बातचीत, प्रोजेक्ट कार्य इत्यादि के माध्यम से शिक्षण-अधिगम का सतत एवं समग्र आकलन किया जाता है।

● **शिक्षण योजना में बदलाव–** विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आकलन के पश्चात यदि शिक्षक आवश्यक समझता है तो बालकों के सीखने के स्तर के अनुसार आगामी शिक्षण योजना में उसी अनुसार बदलाव करेगा जिससे कि बालक अधिक सुगमता से सीख सके। यह बदलाव सतत रूप से किया जाना अपेक्षित है।

● **रचनात्मक मूल्यांकन–** प्रत्येक दो माह की अवधि के पश्चात शिक्षक के द्वारा एकत्रित किये गये साक्ष्यों के आधार पर बालक का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है एवं उसके आकलन के आधार पर ही बालक को ए, बी व सी ग्रेड दिये जाने के साथ बालक के बारे में समग्र रूप से टिप्पणी दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

● **दो रचनात्मक मूल्यांकन के बाद सुदृढ़ीकरण–** शैक्षिक सत्र के अन्तर्गत प्रथम दो रचनात्मक मूल्यांकन के बाद एक माह की अवधि में बालक के साथ सुदृढ़ीकरण किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रथम चार माह में किये गये कार्यों पर पुनः बालक के साथ कार्य कर आकलन किया जाता है।

● **योगात्मक मूल्यांकन–** दो रचनात्मक मूल्यांकन एवं सुदृढ़ीकरण के पश्चात प्रथम योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन के विभिन्न उपकरणों का सहयोग लिया जाता है यथा– शिक्षण के दौरान अवलोकन, शिक्षण योजना डायरी, बच्चों की नोट बुक, चैकलिस्ट, वर्कशीट, पेपर पेन्सिल टेस्ट, समूह कार्य, पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट वर्क, स्वमूल्यांकन, पीयरमूल्यांकन, अभिभावकों से संवाद, साथी शिक्षक से संवाद इत्यादि।

मूल रूप से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन दर्ज करने की इस प्रक्रिया को हम निम्न चार चरणों में विभक्त कर सकते हैं– 1. मूल्यांकन के लिए साक्ष्य जुटाना। 2. साक्ष्यों का विश्लेषण करना। 3. विश्लेषण के परिणामों की व्याख्या करना और बच्चों के सीखने के बारे में मत बनाना। 4. निर्णय लेना।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की मूल भावना को ध्यान में रखते हुए कक्षा-कक्ष शिक्षण में बाल केन्द्रित शिक्षा को समृद्ध बनाया जाये एवं पायलेट प्रोजेक्ट से प्राप्त परिणामों के आधार पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपनाया जाना सार्थक होगा।

–सहायक परियोजना समन्वयक,
सर्व शिक्षा अभियान, अलवर

सीसीई के तहत विद्यालय सम्बलन

❑ **डॉ. अमृता दाधीच**

पूर्व प्रचलित पद्धति में निरीक्षणकर्ता अधिकारी विद्यालय में निरीक्षण के दौरान उन बातों को प्रमुखतः देखते थे जिनकी विद्यालय में कमी है अथवा जो कार्य नहीं किए जा रहे हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया अन्तर्गत निरीक्षणकर्ता की भूमिका में व्यापक बदलाव की आवश्यकता है इस मूल्यांकन प्रक्रिया में अधिकारी को संबलनकर्ता की भूमिका निभानी होगी। विद्यालय संबलन एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें किसी वरिष्ठ के द्वारा विद्यालय की समस्त गतिविधियों को वांछित स्तर तक ले जाने के लिए सहायता का हाथ बढ़ाया जाता है। इस प्रक्रिया का अर्थ त्रुटियाँ ढूँढ़ना नहीं है अपितु उपलब्ध परिस्थितियों में शिक्षक के स्तर पर जाकर त्रुटियों को कम करना है, साथ ही समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान करते हुए संबलन द्वारा मनोबल बढ़ाना है।

संबलन क्या व कैसे– ● गुणवत्तायुक्त शिक्षा के लिए। ● शैक्षिक कार्यों एवं उत्साहवर्धन के लिए। ● वरिष्ठ व्यक्तियों के अनुभवों का लाभ प्राप्त करने के लिए। ● शिक्षकों द्वारा अपनाए जा रहे लक्ष्यों की प्रगति प्रक्रिया को उन्नत करने के लिए। ● गुणवत्ता शिक्षा हेतु कार्यक्रमों में संवर्धन/सुधार करने के लिए। विद्यालय संबलन में निम्नांकित तरीके सम्मिलित है– ● शिक्षण प्रक्रिया के अवलोकन के दौरान। ● शैक्षिक निर्देशों द्वारा। ● गुणवत्तापूर्ण शिक्षण द्वारा। ● शिक्षण अधिगम सामग्री की पूर्ण उपलब्धता करवाकर। ● गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण की व्यवस्था करवाकर। ● बालकों के शैक्षिक स्तर का मूल्यांकन कर सुझाव प्रदान किये जाकर। ● शिक्षकों से चर्चा के दौरान समस्याओं का तात्कालिक समाधान कर। ● समय-समय पर प्रबोधन द्वारा। ● अभिभावकों एवं एस.एम.सी. से चर्चा द्वारा।

विद्यालय संबलन हेतु दिशाबोध– 1. विद्यालय में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं पर्याप्त संख्या में पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध हैं। 2. पाठ्यपुस्तकों के प्रारम्भ में 'शिक्षकों के लिए' एवं अभिभावकों के लिए' दिए गए निर्देशों की जानकारी शिक्षक को हो। 3. पाठ्यपुस्तकों में यथास्थान दिए गए ''शिक्षक निर्देश'' से शिक्षक भली-भाँति परिचित होकर तद्नुसार शिक्षण कार्य करते हैं। 4. पाठ्यपुस्तकें मात्र पाठ पढ़ाने के लिए नहीं अपितु पाठ्यक्रम प्राप्ति के उद्देश्यों की प्राप्ति का एक माध्यम है। इस तथ्य से शिक्षक एवं संबलनकर्ता भली-भाँति परिचित हों। 5. संबलन के समय अन्य गतिविधियों एवं प्रपत्र की मॉनिटरिंग से पूर्व चल रही कक्षा-कक्ष प्रक्रिया को देखा जाना है। 6. इसके पश्चात् ही बच्चों की प्रगति से

सम्बन्धित सूचनाओं एवं जानकारी को अच्छे से देखा जाना है। 7. अधिगम क्षेत्र की प्रमुख दक्षताओं का उपलब्धि स्तर जानने हेतु कक्षा-कक्ष, विद्यालय परिसर एवं विद्यालय परिसर से बाहर, परिवेश में की जाने वाली गतिविधियों की उसे पर्याप्त जानकारी है।

संबलनकर्ता के दायित्वों को प्रमुखतः तीन भागों में बाँटा गया है– 1. अकादमिक, 2. प्रशासनिक, 3. सामान्य।

1. अकादमिक– ● सी.सी.ई. के तहत संबलनकर्ता यह नहीं देखें कि क्या नहीं हो रहा है, विद्यालय की परिस्थितियों में क्या बेहतर किया जा सकता है, इसकी संभावनाओं को शिक्षकों के साथ बैठकर तलाश किया जाए। तद्नुरूप कार्ययोजना बनवाना। ● सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा की आवश्यकता महसूस की गई। अतः विद्यालय संबलन के दौरान पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु लिंक आंगनवाड़ी केन्द्र पर भी अवश्य जाकर संबलन प्रदान करें। ● कक्षागत शिक्षण प्रक्रिया का अवलोकन करने के दौरान बच्चों से बातचीत करके उनके मॉड्यूल/पाठ्यक्रम के समूह को जाने तथा बच्चों के स्तरानुकूल चल रही कक्षागत शिक्षण प्रक्रियाओं को देखें। ● शिक्षकों द्वारा तैयार कार्ययोजनानुसार कार्य हो रहा है या नहीं; यह भी देखना आवश्यक है। ● कक्षा अवलोकन के उपरान्त शिक्षकों के साथ बैठकर Feed Back प्राप्त करें ताकि पूरी शिक्षण अधिगम योजना को देखकर, यदि आवश्यक हो तो बदलाव हेतु प्रेरित करें। ● निर्धारित प्रारूपों, फोर्ट फोलियो आदि को देखें एवं सीसीई के तहत् बच्चों से सम्बन्धित आवश्यक एवं पर्याप्त जानकारी/सूचनाओं को दर्ज किया है या नहीं, इसे सुनिश्चित करें। ● पाठ्यपुस्तकों में दी गई सामग्री क्रमवार पढ़ाना/सिखाना आवश्यक नहीं है। अतः इस सम्बन्ध में शिक्षकों से चर्चा कर यदि कोई समस्या हो तो समाधान करें। ● सीसीई प्रक्रिया में पाठ्यक्रम विभाजन सम्बन्धी टर्मवार मॉड्यूल का निर्माण किया गया है अतः अवलोकन दौरान टर्मवार निर्धारित मॉड्यूल के आधार पर विद्यार्थियों के कक्षागत सीखने के स्तर की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक संबलन प्रदान करें। ● संबलनकर्ता का यह भी दायित्व है कि वह यह देखें कि अध्यापक दैनिक अवलोकन को डायरी में दर्ज कर रहे हैं अथवा नहीं। उन्होंने बालकों की जरूरत व सीखने की गति के अनुसार समूह बनाए हैं अथवा नहीं। पाक्षिक योजना कैसे बनाई है। पाक्षिक योजना की साप्ताहिक समीक्षा कैसे हो रही है। रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उन्होंने किन तकनीकों का प्रयोग किया है। योगात्मक मूल्यांकन समय पर आयोजित किया जा रहा है अथवा नहीं। योगात्मक मूल्यांकन का टेस्ट किस प्रकार निर्मित किया गया है। क्या अध्यापक बालकों के अकादमिक पक्ष के साथ-साथ उनके शारीरिक विकास, कलात्मक विकास, सामाजिकता तथा व्यक्तित्व सम्बन्धी गुणों का आकलन भी अपनी डायरी में दर्ज कर रहे हैं। इन सभी बिन्दुओं का गम्भीरता से अवलोकन करें एवं आवश्यकतानुसार अध्यापकों को सम्बलन दें। ● सी.सी.ई. सम्बन्धित किसी भी प्रकार की अकादमिक समस्या-समाधान अथवा जानकारी के लिए विशेषज्ञों की सलाह ली जा सकती है। टोल फ्री नम्बर इस प्रकार हैं– 1800-11-7273 एवं 022-2778-1700 (प्रातः 9.00 से सायं 6.00 बजे तक)।

2. प्रशासनिक– 1. अध्यापकों की आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए उनके समक्ष आने वाली प्रशासनिक, अकादमिक व भौतिक समस्याओं के लिए अधिक सजग एवं संवेदनशील बनने की आवश्यकता है। 2. यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है कि सी.सी.ई. सम्बन्धित समस्त सामग्री विद्यालय में उपलब्ध है या नहीं। शिक्षकों व बच्चों से बातचीत करके यह जानकारी प्राप्त कर लें। सामग्री निम्नानुसार है– एनसीईआरटी पाठ्यक्रम, एसआईईआरटी द्वारा निर्मित पर्याप्त विषयवार पाठ्यपुस्तकें, अतिरिक्त कार्य हेतु वर्कशीट्स, शिक्षकों हेतु स्रोत पुस्तिका आकलन प्रगति प्रपत्र, वार्षिक मूल्यांकन प्रपत्र, विद्यार्थी संचयी अभिलेख, आर्ट किट, ईसीई किट, कक्षावार मॉड्यूल आदि। 3. सी.सी.ई. में संलग्न अध्यापकों पर शैक्षणत्तर कार्यों का अधिक बोझ न पड़े, सत्र के बीच में उनका स्थानान्तरण न हो इन बिन्दुओं का भी ध्यान रखने का दायित्व अधिकारियों का है। 4. यह सुनिश्चित कर लेवें कि प्रत्येक विद्यालय आर.टी.ई. में दिए गए प्रावधानों को पूरा करता हो।

3. सामान्य– ● सर्व प्रथम संबलनकर्त्ता सी.सी.ई. के दिशा-निर्देशों एवं इस सम्पूर्ण पद्धति का भली प्रकार से अध्ययन कर लें तथा एक सकारात्मक एवं आशावादी दृष्टिकोण के साथ क्षेत्र में जाएँ। इस कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ इस तथ्य पर निर्भर है कि आप इस कार्यक्रम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। ● विद्यालयों के निरीक्षण के समय इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यह विद्यालय सामान्य विद्यालय न होकर कुछ भिन्न प्रकार के विद्यालय हैं। बहुस्तरीय शिक्षण करवाने के लिए इन विद्यालयों में व्यवस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता होगी। अतः इन विद्यालयों को उसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करें। ● शिक्षकों का पुरानी मूल्यांकन पद्धति के प्रति लगाव तथा नवीन पद्धति को अपनाने में झिझक उन्हें आसानी से इस पद्धति को अपनाने में रुकावट डाल सकती है। अतः अध्यापकों की मानसिकता को बहुत धैर्य से बदलने की आवश्यकता है। इस पद्धति की उपादेयता को बहुत समझदारी से अध्यापकों तक प्रेषित करने का प्रयास करें। तथा लगातार इस मुद्दे पर चर्चा करते रहें। ● यद्यपि बालकों के अभिभावकों को विश्वास में लेने का कार्य अध्यापकों का है लेकिन अधिकारी भी इस कार्य में सहयोग करें क्योंकि इसके लिए सभी लोगों के समेकित लगातार प्रयासों की जरूरत है। ● विद्यालय प्रबन्धन समिति (एम.एम.सी.) का सी.सी.ई. के तहत् अत्यधिक महत्व है। अतः विद्यालय अवलोकन के दौरान एस.एम.सी. सदस्यों से बातचीत व चर्चा की जाए। प्रत्येक विजिट के दौरान कुछ अभिभावकों से मिलकर यह जानने का प्रयास करें कि उनसे सम्बन्धित दर्ज सूचनाएँ सही हैं या नहीं।

–एस.आई.ई.आर.टी., उदयपुर

लोक गायन विधा का अनमोल दस्तावेज

सद्य प्रकाशित पुस्तक **हेला ख्याल** वस्तुतः लोक गायन की लोकप्रिय पुरातन विधा हेला ख्याल का एक अनमोल दस्तावेज है जो सम्पादक की लम्बी साधना, अनथक प्रयास एवं अपूर्व धैर्य का प्रमाण है । आज की युवा पीढ़ी का तो नहीं कह सकते लेकिन वृद्ध एवं प्रौढ़ पीढ़ी के लोग अपनी बाल्य एवं किशोर अवस्था में अपने गांव-गुवाड़ में रात्रि में रखे जाने वाले लोक नाटकों, लोक गायनों, लोक कलाओं के प्रदर्शन एवं दंगल आदि को स्मरण कर रोमांचित हो जाते हैं । कमोबेश ठेठ ग्रामीण परिवेश में इन लोक मंगलकारी आयोजनों को अब भी किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है जो कला एवं संस्कृति के संरक्षण की दृष्टि से निश्चय ही एक सांस्कृतिक अनुष्ठान है। हमारे प्रान्त राजस्थान में लोक गायन की परम्परा पश्चिमी राजस्थान की मांड गायिकी से लेकर पूर्वी राजस्थान के हेला ख्याल के रूप में प्रचलित एवं यश प्राप्त रही है।

समीक्ष्य पुस्तक 'हेला ख्याल' का सम्पादन भारतीय प्रशासनिक सेवा के ऊर्जस्वी अधिकारी श्री हर सहाय मीणा ने किया है जो उनकी शब्द साधना, कला- संस्कृति में रुचि, सम्पादन निपुणता एवं माटी के प्रति मोह व सम्मान भाव को एक साथ उजागर करती है । मातृभूमि गांव के हेला ख्याल गायक-कलाकार एवं रचनाकार स्व. श्री लालाराम शर्मा के हेला ख्याल क्षेत्र में योगदान को अमर बनाने के भाव से इस प्रकाशन का तानाबाना रचा गया प्रतीत होता है जिसका एक लोक कलाकार हक रखता है । मगर उनकी पहचान को अक्षुण्ण रखने के लिए ऐसा सम्पादन अनुष्ठान करने वाले व्यक्ति कम होते हैं । अस्तु, श्री हर सहाय मीणा लोक मानस की ओर से बधाई एवं आभार के हकदार बनते हैं । वे स्वयं पुस्तक की भूमिका में लिखते हैं, "....हेला ख्याल गायक एवं रचनाकार स्व. श्री लालाराम शर्मा का इस गायन विधा में महत्वपूर्ण स्थान है। उनकी रचनाओं को सुनना तथा गाना आज भी अत्यधिक आनन्ददायक है। .....स्वर्गीय विख्यात कलाकार को यह मेरी ओर से आदरपूर्ण श्रद्धांजलि है ।"

'हेला ख्याल' पुस्तक में कुल चालीस विषयों पर लालाराम शर्मा कृत रचनाएं शुमार की गई हैं। दरअसल सामूहिक प्रस्तुति के लायक ये सभी नाटक हैं। हेला ख्याल की शुरुआत एक दोहे से की जाती है जो क्रमशः लोक नाट्य प्रस्तुति के विभिन्न उपागमों यथा चट्ठा, झील, चढ़ाव, टेर, हरियाणा, दौड़, कली, बारहमासी, शहर, चलत, सारंग, मारवाड़ी, रसिया आदि के साथ आगे बढ़ती और सम्पूर्णता को प्राप्त करती है । बड़ी बात यह है कि लोक कलाकार बहुत कम वाद्य संसाधनों के बावजूद अपनी लोक कला योग्यता के बल पर मोहक प्रस्तुतियां देने में कामयाब होते हैं। उनका कंठ एवं हावभाव ही मुख्य संसाधन होते हैं जो दर्शकों को न केवल लालायित ही करते हैं अपितु अन्त तक बांधे रखते हैं।

'हेला ख्याल' के चालीस अध्यायों में प्रथम अध्याय मां भवानी को समर्पित है। भवानी मां को उनके द्वारा किए गए अद्भुत सहायों की दुहाई देते हुए पीड़ित व जरूरतमंदों की मदद करने तथा पापी व दुष्टों की खबर लेने की बात बहुत शानदार तरीके से लालाराम जी ने कही है । जब दत्तचित्त होकर पढ़ने मात्र से शक्ति संचयन तथा धर्माचरण के भाव मन में उमड़ते हैं तो इसके वास्तविक प्रस्तुतिकरण का रोमान्च कितना व कैसा होगा, का अंदाज आप लगा सकते हैं। अर्जुन का अभिमान, कीचक वध, कृष्णजी का ब्यावला, राजा गंधर्वसेन, वृहस्पति की महिमा, गौकर्ण, गोपीचन्द राजा, चिमन ऋषि, जयद्रथ की शपथ, नरसी भगत, धोबिण (रावण का जन्म) की कथा, ऋषि पाराशर, बलशाली हनुमान, पाण्डु को श्राप, भीमसेन, शिशुपाल, रावण-सीता संवाद, रावण-अंगद संवाद, कृष्ण का रास मण्डल, कंस को दण्ड, विश्वकर्मा, शिवजी का ब्याह, शिशुपाल का ब्याह, शिव-कृष्ण आंख मिचौली, सप्तऋषि, सीता-लक्ष्मण संवाद, सुदामा चरित्र, सोम ऋषि, समन्दर मंथन, हिरणी से ऋषि का जन्म, श्रवण कुमार, कलियुग, साक्षरता आदि विषयों पर बहुत ही सुन्दर रचनाएं समीक्ष्य पुस्तक 'हेला ख्याल' के खजाने में हैं जो प्रस्तुति की दृष्टि से लयबद्धता, क्रमशयता, शिक्षाप्रदता एवं मनोरंजन सभी तरह से उत्तम हैं ।

श्री लालाराम शर्मा कृत इन रचनाओं को देखकर लगता है कि भारतीय संस्कृति व पौराणिक इतिहास के गर्भ से इतने सुन्दर मोती ढूंढ़ने (उनकी कहानी जानने) तथा उसे कवित्त रूप में अद्भुत ढंग से प्रस्तुत करने में उन्हें कितनी साधना करनी पड़ी होगी । केवल प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति के अध्ययन-मनन की गहराई जीवन्त बोलती नजर आती है पुस्तक में । उन्हें बीसवीं शताब्दी का सन्त कहा जाना समीक्षक की दृष्टि में उपयुक्त है। इसके साथ ही संपादक श्री हर सहाय मीणा द्वारा अहर्निश मेहनत व दौड़भाग कर इन सीपियों को ढूंढ़कर पुस्तक रूप में प्रस्तुत करना भी समुद्रमंथन से कम नहीं है। अतः दोनों ही महानुभावों का साधक रूप वंदनीय है ।

एक-एक रचना कथानक एवं प्रस्तुति के प्लेटफॉर्म पर सर्वथा उपयुक्त है। आवश्यकता इस बात की है कि लोक कला की महत्वपूर्ण विधा 'हेला ख्याल' पर आधारित यह पुस्तक अधिक से अधिक पात्र हाथों में जाकर इस लुप्त हो रही कला के संवर्द्धन के लिए 'मील का पत्थर' बने । पुस्तक का कवरपृष्ठ आकर्षक तथा कागज एवं मुद्रण गुणवत्तायुक्त है ।

-ओमप्रकाश सारस्वत

हेला ख्याल

सम्पादक : हर सहाय मीणा, IAS
प्रकाशक : विवेक पब्लिशिंग हाउस, धामाणी मार्केट, चौड़ा रास्ता, जयपुर
संस्करण : 2012
पृष्ठ संख्या : 208
मूल्य : 275 रुपये।

क्या है हेला ख्याल विधा

हेला ख्याल विधा लोकगायन की एक अद्भुत कला है जिसके माध्यम से गायक किसी धार्मिक, सामाजिक, पौराणिक अथवा सामयिक विषय पर आधारित घटना/कथ्य को पद्य रचना के रूप में श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें सर्वप्रथम आराध्य देवी की स्तुति भवानी के रूप में की जाती है जिसमें कैलादेवी एवं मां दुर्गा का गुणगान किया जाता है । इसके उपरान्त दोहा से गायन की शुरुआत होती है । इसमें लगभग 30-40 कलाकार समवेत व संयुक्त रूप से भाग लेते हैं जो समूहों में बँटा रहता है।

पहला समूह झील अथवा टेर देने के लिए नगाड़े के पास खड़ा रहता है तथा दूसरा समूह दर्शकों के बीच खड़ा होकर गाता है । यह बहुत प्रभावी विधि है जिसमें दर्शक ज्ञानार्जन के साथ मनोरंजन भी प्राप्त करते हैं। हेला ख्याल प्रस्तुति में ख्याल को दोहराकर गाया जाता है। इसमें भी एक बार बाईं ओर मुँह करके तथा दूसरी बार दाईं ओर मुँह करके ताकि उपस्थित सभी श्रोता कथानक को ठीक से समझ सके। प्रत्येक ख्याल सामान्यतः दो भागों में बंटा हुआ होता है। लगभग आधा घण्टा (30-30 मिनट) में पहला भाग पूर्ण हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा विराम लिया जाता है तथा अल्प विराम के पश्चात शेष बचे आधे ख्याल को उसी प्रकार गाया जाता है।

ख्याल प्रस्तुति की उपर्युक्त प्रक्रिया में एक ख्याल को प्रस्तुत करने में लगभग पैंतालीस मिनट से एक घंटे का समय लगता है। ख्याल गायन हेतु नौबत या नगाड़ा, ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, झाँझ, खंजरी व चिमटा आदि वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जाता है। गायन का श्री गणेश सभी वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाकर कलाकारों द्वारा लोक नृत्य के साथ किया जाता है जिसे बाजा मिलाना कहते हैं। यह क्रिया लगभग 10-15 मिनट चलती है। दरअसल इससे कलाकार एवं दर्शक-श्रोता वार्मअप हो जाते हैं। हेला ख्याल विधा के गायक सभी कलाकार पुरुष ही होते हैं। यह विधा सुर एवं संगम की अत्यन्त मधुर एवं मनोरंजक प्रस्तुति लिए होती है। एक बार इसे देखने-सुनने के बाद बारम्बार देखने-सुनने का मन करता है। इस प्रकार हेला ख्याल विधा की प्रस्तुतियाँ ज्ञान व शिक्षा प्रदान करने के साथ ही मनोरंजन भी करती हैं। सामाजिक समरसता, सहयोग, समन्वय एवं भाईचारे को बढ़ावा तो देती ही हैं।

विशेष रपट

शिक्षक दिवस समारोह, 2012

शिक्षकों के सम्मान में खिले श्रद्धा के सुमन

❑ ओमप्रकाश सारस्वत*
❑ महावीर प्रसाद गर्ग**

एक वर्ष के अन्तराल के पश्चात पुनः आया शिक्षक दिवस 5 सितम्बर 2012 बज उठी शहनाई और खिल पड़े सुमन। श्रद्धा, सम्मान, वन्दन, अभिनन्दन के जितने भी उपागम हो सकते हैं, सबको साकार करने आमजन से लेकर शासन के सिरमौर सक्रिय हो गए। भला हो भी क्यों न! आखिर व्यक्ति, समाज, राष्ट्र एवं समूची मानवता को ज्ञान से साक्षात्कार कराने का काम शिक्षक ही तो करता है। पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान व कौशल का अन्तरण एवं समकालीन विद्यार्थीवृन्द में उत्तम संस्कारों के भाव भरने का करिश्मा शिक्षक को ही करना होता है। यही उसकी महिमा है। इसी से महिमावान बनता है शिक्षक। ज्ञान की गरिमा की पहचान करने या कि उससे ज्ञान का खजाना प्राप्त करने के लिए समाज शिक्षक को पूजनीय दर्जा देता है। ज्ञान लेना है तो मान करना होगा। मान नहीं तो ज्ञान नहीं। कवि ने कितना सुन्दर कहा है–

जिस समाज में शिक्षक का सम्मान नहीं होता है,
उसमें चाहे कुछ भी हो पर ज्ञान नहीं होता है।

शिक्षक के ज्ञान को मान प्रदान करने के लिए सम्मान अनुष्ठान का राज्य स्तरीय आयोजन राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर के भव्य बिड़ला ऑडिटोरियम में शिक्षक दिवस, 5 सितम्बर 2012 को हुआ। बरसात की रिमझिम और भावों के झरने में बहते कलकल निनाद के सप्तरंगीय माहौल में सम्पन्न यह सारस्वत अनुष्ठान एक इतिहास रच गया।

बिड़ला ऑडिटोरियम की भव्यता आज जैसे कुछ अतिरिक्त खिल आई हो। शहनाई की मधुर स्वर लहरियाँ वातावरण में तैर रही थीं। ऑडिटोरियम में दाईं ओर आज सम्मानित होने जा रहे 60 शिक्षक विराजमान थे तो बीच में समारोह के साक्षी बनने आये विशिष्ट अतिथिगण। शिक्षकों, अभिभावकों, बालक-बालिकाओं से प्रेक्षागृह खचाखच भरा था। सामने मंच पर डॉ. राधाकृष्णन् का आदमकद भव्य चित्र और चित्र के आगे माँ सरस्वती की अष्टधातु प्रतिमा। वाग्देवी, विद्या और ज्ञान की देवी। मंच पर आज पधार रहे अतिथि महानुभावों के आसन। व्यवस्था से जुड़ा हर व्यक्ति पूर्णतः सतर्क व सावधान कि सरस्वतीपुत्रों के मान-सम्मान में कोई कमी न रह जाए। चारों तरफ अनुशासन एवं शान्ति; सब स्वस्फूर्त।

ठीक ग्यारह बजे समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत पधारे। अगवानी एवं स्वागत माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग, विभाग की प्रमुख शासन सचिव श्रीमती वीनू गुप्ता, शिक्षा सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त, शिक्षा निदेशक श्री हर सहाय मीणा ने किया। प्रेक्षागृह तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा। अतिथि देवो भव की उदात्त परम्परा का अनुसरण करते हुए सबने खड़े होकर अतिथि महानुभावों का अभिनन्दन किया। चारों ओर सहज चुप्पी व अनुशासन।

इन सब खुशियों एवं उमंग के बीच सबके दिल में एक हूक, एक शोक व्याप्त था जिसका बयान शब्दातीत है। राजस्थान में शिक्षा के पुरोधा, शिक्षकीय गरिमा के प्रखर अधिवक्ता और शैक्षिक नीतियों के महान प्रणेता श्री अनिल बोर्दिया 3 सितम्बर, 2012 को हमें बिलखता छोड़ अपनी अनन्त यात्रा पर प्रस्थान कर गए थे। पैंतालीस वर्ष पूर्व 1967 में राजस्थान में शिक्षकों के सम्मान की परम्परा शुरू करने वाले मनीषी श्री बोर्दिया ही थे। बोर्दिया जी को श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। बोर्दिया जी की स्मृति में रखा यह मौन विगत पाँच दशक के उनके शैक्षिक अवदान की स्मृतियों की याद दिला गया। सबकी आँखें जैसे बरस पड़ना चाह रही थीं।

शोकाभिव्यक्ति के पश्चात माँ सरस्वती के समक्ष सप्तवर्तिकाओं वाले दीप का प्रज्वलन, पुष्पांजलि अतिथि महोदय के कर कमलों से होने के साथ ही आगाज हुआ 46 वें राज्यस्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का। साथ ही सा रे गा मा के पट खोलती सरस्वती वंदना। दीप जो निरक्षरता के तिमिर का नाश कर दे, वंदना जो दिलों में ज्ञान के चक्षु खोल दे। जगमग जलते शिक्षा दीप को निहारना एवं वंदना को गुनगुनाना कितना सुकून देता है; यह कार्यक्रम के साक्षी बने महानुभावों के चेहरों से झलक रहा था।

मंचासीन अतिथि महानुभावों का पुष्पगुच्छ से स्वागत के पश्चात गुरु वन्दना एवं स्वागत गान की मधुर प्रस्तुति हुई। स्वागत गान के पश्चात अतिथि महानुभावों का शब्दों से स्वागत तथा समारोह का परिचय दिया प्रमुख शासन सचिव महोदया **श्रीमती वीनू गुप्ता** ने। पुरस्कृत होने वाले शिक्षकों को बधाई देते हुए आपने राजस्थान में शिक्षक सम्मान समारोह परम्परा के शुरू होने से लेकर वर्तमान तक का ब्यौरा प्रस्तुत किया। राज्य में 370 शिक्षक राष्ट्रीय एवं 1700 शिक्षक राज्यस्तरीय सम्मान से विभूषित हो चुके हैं। आपने कहा कि शासन का संकल्प राज्य के प्रत्येक बच्चे तक शिक्षा पहुँचाना है। इसके लिए छात्र हितैषी अनेक योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। हम चाहते हैं कि हर कोने तक शिक्षा पहुँचे तथा हर बच्चे को शिक्षा का हक प्राप्त हो। प्रमुख शासन सचिव महोदया ने सितम्बर माह में ही आयोज्य विद्यालय पर्यवेक्षण के सम्बलन कार्यक्रम की चर्चा करते हुए शिक्षकों को इन कार्यक्रमों को सफल बनाने की अपील की।

और अब शुरू हुई सम्मान प्रक्रिया। सम्मानित होने वाले शिक्षकवृन्द की उपलब्धियों को आधार बनाकर प्रकाशित की गई प्रशस्ति पुस्तिका का विमोचन माननीय अतिथि एवं अधिकारी महानुभावों ने किया। इस पुस्तक में महामहिम राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं माननीय प्रधानमंत्री, मानव संसाधन एवं विकास मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षामंत्री सहित मंत्री एवं अधिकारी महानुभावों के संदेशों के साथ सम्मानित होने वाले 60 शिक्षकों की विशेषताओं एवं उपलब्धियों को शब्दांकित किया गया है।

राज्य के शिक्षकों, शिक्षा विभाग के मंत्रालयिक कर्मचारियों की सृजन शक्ति को प्रकाशित करने वाली 1967 से संचालित शिक्षक दिवस प्रकाशन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012 की पाँच किताबों का लोकार्पण भी गरिमामय मंच पर हुआ।

पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूँज उठा जब प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया और शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ सहित गरिमामय मंच ने माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान के ऊर्जावान शिक्षा निदेशक श्री हर सहाय मीणा द्वारा सम्पादित पुस्तक **'हेला ख्याल'** का विमोचन किया।

प्रेक्षागृह में जैसे साक्षात उत्साह व उमंग प्रवेश कर गया। रह-रह कर दर्शकों की तालियाँ उनके समाज के शिल्पी शिक्षकों के प्रति आदर भाव को सहज ही में प्रकट कर रही थीं। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं फोटोग्राफर किसी भी अवसर को कैमरे में संजोने से वंचित नहीं रहना चाह रहे थे। उनकी फुर्ती देखने वाली थी। इस अवसर पर अपने विचार प्रकट करते हुए विशिष्ट अतिथि **बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग** ने कहा कि शिक्षक का काम बड़े सम्मान का काम है। अतः पूरे मन से इस व्यवसाय में उतरना चाहिए न कि किसी दबाव अथवा अनिच्छा से। उन्होंने स्वयं के शिक्षक होने पर गौरवानुभूति प्रकट की। शिक्षक होने का क्या गौरव एवं क्या विशेष बात है, का उत्तर आज सम्मानित हो रहे शिक्षकों से पूछने का आपने कहा। बोर्ड की विभिन्न अकादमिक समितियों में पुरस्कृत शिक्षकों को शामिल करने की आपने जानकारी प्रदान की।

शिक्षा राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ ने अपने भावपूर्ण उद्बोधन में सर्वपल्ली डॉ. राधाकृष्णन् को नमन करते हुए संदीपनी, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य आदि पौराणिक गुरुओं का वर्णन किया। शिक्षक की महिमा का चाहे कितना ही गान कर लिया जावे, वह कम ही रहेगा। उसकी महिमा शब्दातीत है। उन्होंने शिक्षक को ज्ञान का भण्डार बताते हुए एक संस्कारवान समाज व राष्ट्र की रचना करने का उनसे आह्वान किया। गरीब के बच्चे को केन्द्र में रखकर शैक्षिक योजना के निरूपण एवं क्रियान्वयन पर मंत्री महोदया ने जोर दिया।

विशिष्ट अतिथि **ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया** ने सम्मानित हो रहे शिक्षकों को बधाई देते हुए कहा कि बेहतर काम करने वालों का सम्मान होता है। शिक्षक उनमें अग्रणीय है। देश-दुनिया बदल चुकी है; अतः शिक्षा में भी तद्नुकूल बदलाव आना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि पहले गाँव में जब शिक्षक पदस्थापित होकर आता था, तो ढोल बजाकर व माला पहनाकर उसका स्वागत किया जाता था। उसके लिए आवश्यक व्यवस्थाएँ गाँव के लोग करते थे। उन्होंने शिक्षकों को फिर से वैसी ही सम्मानजनक स्थिति पैदा करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम, निष्ठा एवं समर्पण भाव से कार्य करने की अपील की। श्री मालविया ने शिक्षकों से अपेक्षा की कि वे अपने विद्यार्थियों को उच्च सेवाओं में जाने के सपने व लक्ष्य प्रदान करें।

और अब उद्बोधन देने पधारे समारोह के अध्यक्ष राज्य के यशस्वी **शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा**। आपने भावुक होकर कहा कि आज का दिन आत्मावलोकन व गौरवानुभूति का दिन है। शिक्षक समाज का निर्माण करने वाले, महान शिल्पी एवं पथ प्रदर्शक होते हैं। सरकार कुछ समय के लिए किसी की सहायता कर सकती है; जिन्दगी भर की रोटी तो शिक्षक ही दे सकता है। सम्मानित होने वाले शिक्षकवृन्द की ओर मुखातिब होकर आपने कहा कि यह समारोह केवल शिक्षकों का सम्मान करने के लिए ही नहीं है अपितु समाज को उनके द्वारा दिए गए योगदान को नमन करने के लिए हम यहाँ हाजिर हुए हैं।

शिक्षा को लोकतंत्र की आधारशिला बताते हुए आपने कहा कि शिक्षा विकास का धरातल तैयार करती है। वह व्यक्ति में ज्ञान के चक्षु खोलती है। शिक्षामंत्री जी ने विभिन्न शैक्षिक योजनाओं एवं कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए शिक्षक समुदाय से अपील की कि वे शिक्षा का अधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं को कारगर ढंग से लागू कर सर्व शिक्षा एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का मार्ग प्रशस्त करें। आपने राज्य के शिक्षकों की क्षमता में भरोसा प्रकट करते हुए आशा प्रकट की कि शीघ्र ही राजस्थान केरल के समकक्ष खड़ा दिखाई देगा।

शिक्षामंत्री महोदय के उद्बोधन के पश्चात् शुरू हुआ शिक्षकों के सम्मान का सिलसिला। एक-एक कर हुआ साठ शिक्षकों का सम्मान शिक्षक सम्मान की यशस्वी परम्परा में एक नूतन अध्याय लिखा गया। तालियों की अनवरत गड़गड़ाहट एवं कैमरों की चकाचौंध के बीच माननीय शिक्षा सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त ने माला पहनाकर, प्रमुख शासन सचिव महोदया श्रीमती वीनू गुप्ता ने श्रीफल भेंट कर, माननीया शिक्षा

राज्यमंत्री श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ ने शॉल ओढ़ाकर, माननीय शिक्षामंत्री श्री बृजकिशोर शर्मा ने 21000 रुपये का चैक प्रदान कर, माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत प्रशस्ति पत्र देकर, पंचायती राज मंत्री श्री महेन्द्रजीत सिंह ने स्मृति चिह्न देकर, बोर्ड अध्यक्ष डॉ. सुभाष गर्ग ने पुस्तकों का सेट भेंट कर तथा शिक्षा निदेशक श्री हर सहाय मीणा प्रशस्ति पुस्तिका प्रदान कर शिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मान यात्रा पूर्ण होने के बाद देर तक करतल ध्वनि से वातावरण गूँजता रहा।

और अब अपना उद्बोधन देने पधारे मुख्य अतिथि **माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत**। गजब का अनुशासन एवं सन्नाटा। सब चाहते थे अपने प्रिय नेता को सुनना। मुख्य अतिथि ने डॉ. राधाकृष्णन् को स्मरण करते हुए उनके चिन्तन को आत्मसात करने का संकल्प लेने का अनुरोध किया ताकि आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा व नूतन ऊर्जा मिले। शिक्षक का समाज में सर्वाधिक सम्मान होता है क्योंकि वह नई पीढ़ी को तैयार करता है। जहाँ शिक्षकों का सम्मान होता है, वहाँ उपस्थित लोग स्वयं गौरवान्वित महसूस करते हैं। शिक्षक के त्याग, तपस्या और समर्पण भाव के आगे कोई भी सम्मान कम ही होगा। गुरुकुल व्यवस्था के समय से ही शिक्षक का अव्वल दर्जे का सम्मान व हैसियत रही है।

राजस्थान की विषम भौगोलिक स्थितियों का जिक्र करते हुए मुख्य अतिथि ने विश्वास दिलाया कि शिक्षा का स्तर ऊँचा उठाने के लिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। बिना शिक्षा के जीवन में अंधेरा रहता है। अतः बच्चों को शिक्षा दिलाकर उनके जीवन में प्रकाश दिलाना प्रत्येक अभिभावक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री महोदय ने राजकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार कर उनका लाभ प्रदेश के गरीब एवं जरूरतमंद को दिलाने में मदद करने का आह्वान किया।

समारोह के अन्तिम सोपान के रूप में धन्यवाद एवं आभार प्रकट किया माननीय **शिक्षा सचिव श्री भास्कर ए. सावन्त** ने। आपने कार्यक्रम को सफल बनाने में अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं, मीडियाकर्मियों सभी की सराहना करते हुए समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपील की।

राष्ट्रगान 'जन गण मन अधिनायक जय हे' की समवेत प्रस्तुति के साथ ही राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का समापन हुआ। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर सम्भाग के शिक्षकों ने डेढ़ दर्जन सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ देकर दर्शकों की वाहवाही लूटी। शिक्षकों के सम्मान में शिक्षामंत्री महोदय की ओर से शानदार सहभोज का आयोजन होटल लक्ष्मी विलास में किया गया। कार्यक्रमों का संचालन श्री राजेन्द्र 'हंस' एवं डॉ. ज्योति जोशी ने संयुक्त रूप से किया।

* वरिष्ठ सम्पादक (शिविरा)
** प्रधानाचार्य, राजकीय उ.मा. विद्यालय, झर (जयपुर)

पुरस्कृत शिक्षक फोरम द्वारा शिक्षकों का सम्मान

पुरस्कृत शिक्षकों के सम्मान के पल केवल शिक्षक दिवस तक ही सीमित न रहें वरन् हमेशा-हमेशा के लिए तरोताजा बने रहे तथा सम्मानित शिक्षकों का परस्पर जुड़ाव बना रहे, इस हेतु 5 सितम्बर 1995 को राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम का गठन किया गया। फोरम के संरक्षक शिक्षाविद् श्री तेजकरण डंडिया, अध्यक्ष श्री आर.आर. हर्ष तथा महासचिव श्री रामेश्वर प्रसाद शर्मा को बनाया गया।

इस पुरस्कृत शिक्षक फोरम ने अपने रचनात्मक व सृजनात्मक क्रियाकलापों से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। चाहे बालिकाओं के यूनीफार्म व स्टेशनरी वितरण की हो, सबको पढ़ाओ, परीक्षा की तैयारी हेतु कार्यशालाओं का आयोजन अथवा शैक्षिक उन्नयन का हो, पुरस्कृत शिक्षक फोरम द्वारा प्रदत्त सेवाओं का ग्राफ दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है। राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक जो विभिन्न जिलों के दूरदराज गांवों, कस्बों अथवा शहरों में रहते हैं वे अपने जिले के सभी पुरस्कृत शिक्षकों से परिचित नहीं हो पाते लेकिन इस मंच ने पुरस्कृत शिक्षकों के बीच अन्तर्सम्बन्धों को बढ़ावा दिया है तथा 'राज्य सम्मानित शिक्षक वृन्द स्मारिका' की रचना करके राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सम्मानित हुए सभी शिक्षकों का विवरण, पता आदि देकर सबके बारे में जानने का मार्ग सुगम बनाया है, ताकि आयोज्य सेमीनार व नवाचार कार्यशालाओं से इनके ज्ञान और गरिमा से शिक्षा जगत को लाभान्वित किया जा सके।

राजस्थान पुरस्कृत शिक्षक फोरम शिक्षकों के सम्मान व स्थायी गरिमा हेतु दृढ़ संकल्पित है। इसी दिशा में राजस्थान सरकार का ध्यान पुरजोर कोशिश से इस तथ्य की ओर ध्यान केन्द्रित करवाया गया कि भारत सरकार व अन्य राज्य सरकारें पुरस्कृत शिक्षकों को 'विशेष' मानते हुए लाभ व सुविधाएँ प्रदान करती हैं, वह उन्हें भी मिलनी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत शिक्षकों के सम्मान व गरिमा को स्वीकारते हुए चार घोषणाएँ करके अपनी स्वीकृति की मोहर लगा दी। उनके इस निर्णय ने पुरस्कृत शिक्षक फोरम को और अधिक ऊर्जावान व जागरूक बना दिया है। पुरस्कृत शिक्षक फोरम राजस्थान ने इस बार यह निर्णय लिया कि जयपुर सहित विभिन्न जिलों के राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सम्मानित वरिष्ठ शिक्षकवृंद जिनकी आयु 75 वर्ष व अधिक है उनका अभिनन्दन किया जाए। हर वर्ष की भाँति नव पुरस्कृत शिक्षकवृंद 2012 तथा सम्मानीय वरिष्ठ शिक्षकों का सम्मान समारोह का आयोजन सेंट माइकल स्कूल, सुभाष चौक, जयपुर में आयोजित किया गया। 26 वरिष्ठ सम्मानित शिक्षकों को साफा, शॉल, स्मृति चिह्न, बैग आदि भेंट कर अभिनन्दन किया गया।

समारोह की मुख्य अतिथि राज्य शिक्षामंत्री नसीम अख्तर इंसाफ थीं तथा विशिष्ट अतिथि श्री मुमताज मसीह, अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति तथा प्रारम्भिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशक श्री हर सहाय मीणा थे। समारोह की अध्यक्षता राजस्थान फाउण्डेशन के उपाध्यक्ष श्री राजीव अरोड़ा ने की।

–प्रवीण अरोड़ा, सदस्या, राज. पुरस्कृत शिक्षक फोरम, जयपुर

आदेश परिपत्रः अक्टूबर, 2012

1. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु जारी दिशा-निर्देश। □ 2. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम से सम्बन्धित सीडी फिल्म ब्लॉकवार भिजवाने के क्रम में। □ 3. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री विद्यालयों में प्रेषित करने बाबत। □ 4. जिले के सीसीई विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एसएमसी को राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में। □ 5. राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित पायलेट प्रोजेक्ट के विस्तार के संदर्भ में। □ 6. राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट प्रोजेक्ट के विस्तार के सम्बन्ध में। □ 7. पायलेट प्रोजेक्ट के सुसंचालन के लिए समन्वय समिति का गठन। □ 8. शिविरा पंचांग, अक्टूबर 2012 □ 9. शिक्षा सत्र 2012-13 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में।

1. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु जारी दिशा-निर्देश

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर • क्रमांक : राप्राशिप/जय/सी.सी.ई./2012/7407-08 दिनांक : 17.8.12 • विषय : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु जारी दिशा-निर्देश। • संदर्भ : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट परियोजना समीक्षा बैठक 30.7.2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिषद मुख्यालय के सभागार में दिनांक 30.7.2012 को प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें राज्य में संचालित 3059 लहर स्कूलों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मॉनिटरिंग हेतु निम्न निर्णय लिये गये–

1. जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नानुसार पदाधिकारी होंगे– • मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद – अध्यक्ष, • जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक – उपाध्यक्ष, • अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक – सदस्य सचिव, • ब्लॉक एज्यूकेशन ऑफिसर – सदस्य, • दो संस्था प्रधान – सदस्य, • दो संदर्भ व्यक्ति (एक संदर्भ व्यक्ति जिला मुख्यालय वाले ब्लॉक से तथा दूसरा अन्य किसी ब्लॉक से) – सदस्य, • आईसीडीएस के अधिकारी (विशेष आमंत्रित) – सदस्य, • एपीसी, लहर/सीसीई/ईसीसीई – सदस्य।

उक्त कमेटी मासिक बैठक में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम की समीक्षा करेगी।

2. जिले में अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक प्रत्येक माह सीसीई कार्यक्रम के विद्यालयों के संस्था प्रधानों की बैठक लेकर समीक्षा करेंगे तथा कार्यवाही को लहर की वेबसाईट पर अपलोड कराएंगे।

3. सीसीई विद्यालयों की ब्लॉक स्तरीय कार्यशाला उस ब्लॉक के संदर्भ व्यक्ति व एम.टी. द्वारा (प्रशिक्षण शाखा से प्रशिक्षित) प्रत्येक माह विषयवार शिक्षकों की बैठक आयोजित कर समीक्षा करेंगे तथा शिक्षकों को आने वाली शैक्षिक समस्याओं का समाधान भी उपलब्ध करवाएँगे।

उक्त बिन्दुओं की अनुपालना आपके जिले में जिला परियोजना समन्वयक के माध्यम से करवाकर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम को प्रभावी मॉनिटरिंग में सहयोग प्रदान करें साथ ही जिले के समस्त सीसीई विद्यालयों में छात्रों का आधारभूत परीक्षण (बेसलाईन सर्वे) करवाकर समूह निर्माण के साथ मॉड्यूल आधारित शिक्षण करवाना सुनिश्चित करें। • ह., अतिरिक्त आयुक्त।

2. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम से सम्बन्धित सीडी फिल्म ब्लॉकवार भिजवाने के क्रम में।

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर • क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./2012-13/4977 दिनांक : 13.7.12 • विषय : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम से सम्बन्धित सीडी फिल्म ब्लॉकवार भिजवाने के क्रम में। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि परिषद् एवं यूनिसेफ के सहयोग से उपर्युक्त संदर्भ में निर्मित फिल्म आपके जिले में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम संचालित विद्यालयों के उपयोगार्थ एवं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समझ विकसित करने हेतु प्रेषित की जा रही है। विद्यालय के छात्रों को/अध्यापकों एवं एसएमसी के सदस्यों को फिल्म प्रदर्शन करवाना अपेक्षित है।

जिला : ब्लॉक जहाँ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संचालित है (कुल ब्लॉक संख्या जिनके लिए फिल्म प्रेषित की जा रही है)– **अजमेर** : अरांई, भिनाय, जवाजा, केकड़ी, मसूदा, पीसांगन, श्रीनगर (7)। **अलवर** : कठूमर, किशनगढ़ बास, कोटकासिम, लक्ष्मणगढ़, नीमराना, रामगढ़, तिजारा, उमरैण (9)। **बांसवाड़ा** : आनन्दपुरी, बागीडोरा, गढ़ी, घाटोल, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, तलवाड़ा (7)। **बारां** : अन्ता, बारां, शाहबाद (3)। **बाड़मेर** : बायतू, बालोतरा, बाड़मेर, चौहटन, धोरीमन्ना, शिव, सिवाना (7)। **भरतपुर** : बयाना, डीग, कमन, कुम्हेर, नगर, रूपवास, सेवर, वैर (8)। **भीलवाड़ा** : आसीन्द, बनेड़ा, मांडल, सराड़ा, शाहपुरा, सुवाणा (6)। **बीकानेर** : बीकानेर, डूंगरगढ़, खाजूवाला, कोलायत, लूणकरणसर, नोखा (6)। **बून्दी** : बून्दी, तालेड़ा (2)। **चित्तौड़गढ़** : चित्तौड़गढ़ (1)। **चूरू** : चूरू, सरदारशहर, तारानगर (3)। **दौसा** : बांदीकुई, दौसा, लालसोट, महुआ (4)। **धौलपुर** : बाड़ी, बसेड़ी, धौलपुर, राजाखेड़ा (4)। **डूंगरपुर** : आसपुर, बिछीवाड़ा, डूंगरपुर, सागवाड़ा, सीमलवाड़ा (5)। **श्रीगंगानगर** : पदमपुर, सादुलशहर, श्रीगंगानगर, सूरतगढ़ (4)। **हनुमानगढ़** : भादरा, हनुमानगढ़, नोहर, पीलीबंगा, सांगरिया, टीबी (6)। **जयपुर** : आमेर, बस्सी, दूदू, जयपुर पश्चिम, जयपुर पूर्व, जमवारामगढ़, झोटवाड़ा, झोटवाड़ा सिटी, कोटपुतली, फागी, सांभरलेक, सांगानेर (12)। **जैसलमेर** : जैसलमेर, पोकरण (2)। **जालौर** : चितलवाणा, सांचौर (2)। **झालावाड़** : बकानी, झालरापाटन, मनोहरथाना, सुनेल (4)। **झुंझुनूं** : अलसीसर, बूहाना, चिड़ावा, झुंझुनूं, नवलगढ़, सूरजगढ़, उदयपुरवाटी (7)। **जोधपुर** : बलेसर, बवाड़ी, भोपालगढ़, बिलाड़ा, जोधपुर सिटी, लूणी, मंडोर, ओसीयान, फलौदी (9)। **करौली** : हिंडोन, करौली, सपोटरा, टोडाभीम (4)। **कोटा** : इटावा, खेराबाद, कोटा, लाडपुरा, सांगोद, सुल्तानपुर (6)। **नागौर** : डीडवाना, डेगाना, जायल, कुचामन, लाडनू, मेड़तासिंटी, नागौर, रियां (8)। **पाली** : बाली, मारवाड़ जंक्शन, पाली, रायपुर, रानी, सोजत (6)। **प्रतापगढ़** : अरनोद, प्रतापगढ़ (2)। **राजसमन्द** : भीम, खमनोर, कुम्भलगढ़ (3)। **सवाई माधोपुर** : बामनवास, बूनली, गंगापुरसिटी, खंडार, सवाई माधोपुर (5)। **सीकर** : दातारामगढ़, धोद, फतेहपुर, खंडेला, लक्ष्मणगढ़, नीम का थाना, पीपराली, श्रीमाधोपुर (8)। **सिरोही** : आबूरोड़, पिण्डवाड़ा, रेवधर, सिरोही (4)। **टोंक** : देवली, मालपुरा, टोंक, उनयारा (4)। **उदयपुर** : बड़गांव, भींडर, गिर्वा, गोगुन्दा, झाड़ोल, खेरवाड़ा, मावली, रिसभदेव, सलूम्बर, सराड़ा (10)। **(कुल – 178)**

3. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री विद्यालयों में प्रेषित करने बाबत।

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर • क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./2012-13/4963 दिनांक : 13.7.12 • विषय : सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी सामग्री विद्यालयों में प्रेषित करने बाबत। • उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपके जिले की विद्यालय एवं छात्र संख्या के अनुरूप

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सम्बन्धी समस्त सामग्री प्रेषित कर दी गई है। प्राप्त सामग्री को निम्नानुसार सम्बन्धित विद्यालयों में तुरन्त भिजवाना सुनिश्चित करें जिससे शिक्षक सामग्री का उपयोग सुनिश्चित कर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित कर सकें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु विद्यालय में उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री–

क्र.सं.	सामग्री का नाम	संख्या
1.	स्रोत पुस्तिका कक्षा 1 व 2 **टिप्पणी** : यह प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध करा दी गई है।	प्रति शिक्षक एक
2.	स्रोत पुस्तिका कक्षा 3 से 5 (हिन्दी, गणित, पर्यावरण अध्ययन, अंग्रेजी और कला शिक्षा) **टिप्पणी** : यह प्रशिक्षण के दौरान उपलब्ध करा दी गई है।	5 प्रति विषय एक
3.	आकलन एवं मूल्यांकन पंजिका कक्षा 3 से 5	बच्चों के नामांकन के अनुसार
4.	आकलन एवं मूल्यांकन पंजिका कक्षा 1 व 2	बच्चों के नामांकन के अनुसार
5.	प्रगति कार्ड कक्षा 3 से 5	बच्चों के नामांकन के अनुसार
6.	प्रगति कार्ड कक्षा 1 व 2	बच्चों के नामांकन के अनुसार
7.	संचयी अभिलेख प्रपत्र	विद्यालय में कक्षा 5 के नामांकन के अनुसार
8.	मॉड्यूल एवं चैकलिस्ट **टिप्पणी** : यहाँ विद्यालय में प्रति कक्षा बच्चों की संख्या के अनुसार देना है। उदाहरण के लिए यदि किसी स्कूल में कक्षा 3 में 45 बच्चे हैं, तो दो मॉड्यूल एवं चैकलिस्ट देने होंगे यदि कक्षा 3 में 65 बच्चे हैं तो तीन मॉड्यूल देने होंगे लेकिन उसमें यदि 25 ही बच्चे हैं तो एक ही मॉड्यूल एवं चैकलिस्ट देना होगा।	प्रति कक्षा 30 बच्चों की संख्या के अनुसार प्रति विषय
9.	स्तर निर्धारण चार्ट **टिप्पणी** : यह नमूने के रूप में दी जा रही है बच्चों की संख्या एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को स्वयं ऐसे चार्ट बनाने हैं।	प्रति विद्यालय 2 देने हैं।
10.	माईलस्टोन प्रोग्रेस चार्ट (हिन्दी, गणित, अंग्रेजी) **टिप्पणी** : यह नमूने के रूप में दी जा रही है बच्चों की संख्या एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को स्वयं ऐसे चार्ट बनाने हैं।	प्रति विद्यालय प्रति विषय प्रति कक्षा 1 यानि कुल 6
11.	शिक्षक योजना प्रपत्र **टिप्पणी** : यह नमूने के रूप में दी जा रही है बच्चों की संख्या एवं आवश्यकता के अनुसार शिक्षक को स्वयं ऐसे चार्ट बनाने हैं।	प्रति विद्यालय 2 देने हैं।

नोट : प्रत्येक सामग्री की अतिरिक्त कुछ प्रतियाँ प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय कार्यालय में उपलब्ध करवा दें जिससे विद्यालयों को आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सामग्री उपलब्ध करवाई जा सके। • ह., अतिरिक्त आयुक्त।

4. जिले के सीसीई विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एसएमसी को राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर • क्रमांक : राप्राशिप/जय/औ.शि./2012-13/6916 दिनांक : 7.8.12 • विषय : जिले के सीसीई विद्यालयों में आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एसएमसी को राशि उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में। • उपर्युक्त संदर्भ में लेख है कि आपके जिले में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन कार्यक्रम संचालित विद्यालयों में मूल्यांकन प्रक्रिया हेतु आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करवाने हेतु एलईपी मद से प्रति विद्यार्थी 160 रुपये की दर से विद्यालय में वास्तविक विद्यार्थियों के नामांकन अनुसार राशि एसएमसी को उपलब्ध करवानी है। उक्त राशि से प्रति छात्र निम्न सामग्री एसएमसी द्वारा क्रय की जानी है– • वाटर कलर पैकिट 2, पेन्सिल पैकिट-1, शॉपनर-4, स्कैच पेन सैट-1, रबड़ - 6, • ए-4 साईज पेपर 200 प्रति विद्यार्थी। • पोर्टफोलियो फाईल - 6, • कलर पेपर, फेविकॉल, क्रेयोन्स कलर, ग्लेज पेपर, धागा एक रोल।

उपर्युक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित कराते हुए सम्बन्धित सभी विद्यालयों की एसएमसी को राशि व्यय करने के दिशा-निर्देशों के साथ राशि प्रेषित कर शीघ्रातिशीघ्र सम्बन्धित सामग्री क्रय कर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाने हेतु निर्देशित करें। • ह., अतिरिक्त आयुक्त।

5. राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित पायलेट प्रोजेक्ट के विस्तार के संदर्भ में

• कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/19510/08 दिनांक 13.7.11 • विषय : राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आधारित पायलेट प्रोजेक्ट के विस्तार के संदर्भ में। • प्रसंग : अति. आयुक्त, प्रारम्भिक शिक्षा परिषद के पत्रांक राप्राशि/जय/औशि/2011/3798 दिनांक 10.05.11 • उपुर्यक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न कर निर्देशित किया जाता है कि राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है उक्त कार्य जयपुर अलवर जिले में कक्षा 1 से 4 में संचालित है। सत्र 2011-12 से उक्त विद्यालयों की कक्षा 6-8 के छात्र-छात्राओं को भी प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया जाना है, साथ ही जयपुर, अलवर, टोंक एवं उदयपुर की मॉडल-1 की 27 केजीबीवी विद्यालयों में भी इसका विस्तार किया जाना है तथा इन विद्यालयों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही शिक्षण कार्य किया जाना है। अतः पत्र में दिये निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए राज्य सरकार एवं इस कार्यालय को अवगत कराने का श्रम करें। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

6. राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट प्रोजेक्ट के विस्तार के सम्बन्ध में।

• राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर • क्रमांक : राप्राशिप/जय/सी.सी.ई./2012/1492-93 दिनांक : 2.5.12 • विषय : राज्य में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पायलेट प्रोजेक्ट के विस्तार के सम्बन्ध में। • प्रसंग : इस कार्यालय का पूर्व पत्रांक : 16996 दिनांक : 6.3.12 • सत्र 2012-13 में सीसीई के विस्तार के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सी.सी.ई. कार्यक्रम को सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में दो फेज में लागू किया जाये। प्रथम फेज में लहर कार्यक्रम वाले लगभग 3000 प्राथमिक विद्यालयों में तथा द्वितीय फेज में सत्र 2013-14 से सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सी.सी.ई. कार्यक्रम शुरू किया जाये।

इसी क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में चयनित एवं राज्य सरकार से अनुमोदित लहर कार्यक्रम संचालित 3077 विद्यालयों की सी.डी. उपर्युक्त संदर्भित पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की गई थी। इन विद्यालयों को जिलेवार पुनः जाँच करवाने पर कुछ अशुद्धियाँ पाई गईं जिनके कारण इन विद्यालयों की संशोधित सूची तैयार कर पुनः आपको इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। इन विद्यालयों में एस.आई.ई.आर.टी. पाठ्यपुस्तकों के आधार पर ही शिक्षण कार्य करवाया जाना है। अतः कृपया सम्बन्धित सभी जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक शिक्षा) को उक्त विद्यालयों में प्रोजेक्ट के अन्तर्गत कक्षागत गतिविधियाँ एवं सतत एवं समग्र मूल्यांकन प्रारम्भ करने की स्वीकृति जारी करते हुए उचित निर्देश जारी करने का श्रम करावें। • ह., अतिरिक्त आयुक्त।

7. पायलेट प्रोजेक्ट के सुसंचालन के लिए समन्वय समिति का गठन

• राजस्थान सरकार, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग • क्रमांक : प.6(34)प्र.सु./अनु.3/2010/ जयपुर, दिनांक जून 9, 2010 • आदेश • एनसीएफ-2005 के अनुक्रम में एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्रोत पुस्तिका के आधार पर सतत एवं व्यापक आकलन राज्य के अलवर एवं जयपुर जिले के चयनित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1-5 में बोध शिक्षा समिति के सहयोग से सत्र 2010-11 से पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारम्भ किया जा रहा है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के प्रावधानों की दृष्टि से महत्वपूर्ण इस प्रोजेक्ट के सुसंचालन के लिए आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद् की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर निम्न प्रोजेक्ट समन्वय समिति का गठन किया जाता है–

1. आयुक्त, राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर - अध्यक्ष
2. उपायुक्त (औपचारिक शिक्षा), राप्राशिप, जयपुर - सदस्य सचिव
3. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर - प्रोजेक्ट सलाहकार
4. निदेशक, बोध शिक्षा समिति, जयपुर - प्रोजेक्ट निदेशक
5. उपनिदेशक (औ.शि.) राप्राशिप, जयपुर - प्रोजेक्ट समन्वयक
6. यूनिसेफ प्रतिनिधि - प्रोजेक्ट सलाहकार
7. एनसीईआरटी प्रतिनिधि - प्रोजेक्ट सलाहकार
8. उपनिदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर - सदस्य
9. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर - सदस्य
10. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर - सदस्य
11. एसोसिएट प्रोजेक्ट समन्वयक, बोध, जयपुर - सदस्य
12. प्रधानाचार्य, डाइट, अलवर - सदस्य
13. प्रधानाचार्य, डाइट, जयपुर - सदस्य
14. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, जयपुर - सदस्य
15. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, अलवर - सदस्य
16. फेलो प्रोजेक्ट प्रलेखन, बोध - सदस्य

उक्त प्रोजेक्ट समन्वय समिति का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होगा तथा यह समिति आवश्यकता अनुसार उपसमितियों अथवा कार्यदलों का गठन कर सकेगी। समिति की बैठकें प्रति 2 माह में एक बार किया जाना आवश्यक होगा। उक्त समिति का प्रशासनिक विभाग, स्कूल एवं संस्कृत शिक्षा विभाग होगा। • आज्ञा से, ह. उप शासन सचिव।

8. शिविरा पंचांग माह अक्टूबर, 2012

कार्य दिवस 23 • रविवार 04 • अवकाश 04 • उत्सव 02 • 1 अक्टूबर– समय परिवर्तन, एक पारी विद्यालय 10.30 से 4.30 तक एवं दो पारी विद्यालय प्रातः 7.30 से सायं 5.30 तक (प्रत्येक पारी 5 घन्टे)। **1–15 अक्टूबर**– डाइस के प्रपत्रों का भरा जाना (प्रारम्भिक)। **2 अक्टूबर**– गांधी जयंती व शास्त्री जयंती (उत्सव), मण्डल स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, अप्रैल से सितम्बर तक की छात्रवृत्ति का वितरण। **5–6 अक्टूबर**– जिला स्तरीय शिक्षक सम्मेलन (शिक्षकों के लिए अवकाश)। **9 अक्टूबर**– बालिका शिक्षा (नवाचारी) प्रारम्भिक शिक्षा के अन्तर्गत "अध्यापिका मंच" की द्वितीय बैठक का आयोजन। **13 अक्टूबर**– मीना मंच के अन्तर्गत अन्य मीना मंचो से मुलाकात एवं "मीना एवं उसका दोस्त" कहानी पर चर्चा। **10–15 अक्टूबर**– तृतीय समूह राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता (माध्यमिक/प्रारम्भिक), केजीबीवी राज्यस्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता। **15 अक्टूबर**– विश्व हाथ धुलाई दिवस का विद्यालयों में आयोजन। **16 अक्टूबर**– नवरात्रि स्थापना (अवकाश)। **17–18 अक्टूबर**– जिला स्तरीय जीवन कौशल विकास बाल मेले के आयोजन। **18 – 20 अक्टूबर**– द्वितीय परख (सभी कक्षाओं के लिए), गृह कार्य का प्रथम मूल्यांकन, (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कक्षाओं हेतु)। **22 अक्टूबर**– दुर्गाष्टमी (अवकाश)। **24 अक्टूबर**– विजया दशमी (अवकाश) एवं संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस (उत्सव)। **25–31 अक्टूबर**– एनपीईजीईएल के अन्तर्गत राज्य स्तर पर "आओ देखो सीखो" प्रतियोगिता का आयोजन। **27 अक्टूबर**– ईदुल जुहा (अवकाश चन्द्रदर्शनानुसार)। **31 अक्टूबर**– इन्दिरा गांधी पुण्य तिथि (संकल्प दिवस), अभिभावकों/शिक्षकों की संयुक्त बैठक आयोजित कर द्वितीय परख के प्रगति पत्र विद्यार्थियों/अभिभावकों को वितरण एवं शैक्षिक प्रगति हेतु विचार विमर्श। समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियों के लिए अतिरिक्त बजट की मांग के प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/माध्यमिक) द्वारा निदेशक, प्रारम्भिक/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर को प्रेषित करना एवं संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ की बैठक लेकर विद्यालय के शैक्षिक एवं सहशैक्षिक भौतिक उन्नयन पर विचार–विमर्श कर निर्णय लेना। शिक्षक–अभिभावक संघ की बैठक आयोजित करना एवं विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना। **नोट :– 1.** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को प्रदत पूर्व मैट्रिक विशेष छात्रवृत्ति के लिए जिला मुख्यालय पर चयन। चयन परीक्षा हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) से प्राप्त करना, कक्षाध्यापकों द्वारा योजना का प्रचार–प्रसार करना, विद्यार्थियों के आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) को 30 नवम्बर तक प्रस्तुत करना। **2.** सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का आयोजन। (प्रारम्भिक)। **3.** कम्प्यूटर, ई–कन्टेंट एवं प्रधानाध्यापक (प्रावि) प्रशिक्षण। **4.** टीएलएम सामग्री से शिक्षकों द्वारा टीएलएम का निर्माण। (प्रारम्भिक)। **5.** प्रत्येक पाठ पढ़ाने के पश्चात कार्य पुस्तिकाओं में अभ्यास कार्य कराना। **6.** अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अल्पसंख्यक बालिकाओं की मध्यावधि अवकाश के दौरान एक्सपोजर विजिट।

9. शिक्षा सत्र 2012-13 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में।

• कार्यालय निदेशक प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर • क्रमांक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी/3664/शै.भ्रमण/सीएमघोषणा/10.11 दिनांक 30.8.12 • विषय : शिक्षा सत्र 2012-13 में कक्षा 7 व 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक भ्रमण के क्रम में। • प्रसंग : राज्य सरकार का पत्रांक प.1(17)प्राशि/आयो/2010 दिनांक 06.08.2012 • उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्रानुसार विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक भ्रमण के सम्बन्ध में योजना एवं वित्तीय प्रावधान राज्य सरकार के पत्रांक प.1(17)शिक्षा-1/प्राशि/2010 दिनांक 1.09.2011 के द्वारा स्वीकृत किया गया। इसकी पालना में सत्र 2012-13 के लिए योजना जारी की जा रही है। योजना के अनुसार राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थियों के लिए अन्तर जिला शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 में अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए राशि स्वीकृत हुई है जो अलग से जारी की जा रही है। अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण का दायित्व जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल आर्गनाईजर (सी.ओ.) स्काउट एवं गाईड (नोडल अधिकारी) को दिया जाता है, कार्यक्रम की क्रियान्विति निम्नानुसार की जानी है–

अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम (कक्षा 7 व 8 के लिए)

1. जिशिअ प्रारम्भिक शिक्षा कार्यालय में संस्था प्रधान के माध्यम से छात्र-छात्राओं से आवेदन प्राप्त करना – **31.10.2012;** 2. जिशिअ (प्राशि) द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों में से वरीयता के आधार पर निर्धारित संख्या में छात्र-छात्राओं का चयन कर सम्बन्धित को सूचित करना – **26.11.2012;** 3. उपनिदेशक प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम का अनुमोदन करना – **10.12.2012** तक; 4. पाँच दिवसीय अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण की अवधि – **26.12.12** से **30.12.12** तक।

योजना की क्रियान्विति सुनिश्चित करें। अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के पश्चात क्रियान्विति की सूचना/प्रतिवेदन विभाग को आवश्यक रूप से भिजवाया जावे। • ह., निदेशक।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के सम्बन्ध में योजना।

विद्यार्थियों को शैक्षिक ज्ञान के साथ-2 राज्य के परिवेश, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक स्थिति, ऐतिहासिक स्थल एवं सांस्कृतिक स्थलों की व्यावहारिक जानकारी उपलब्ध करवाई जानी भी उपयोगी सिद्ध हो सकती है, इस हेतु योजना इस प्रकार है– **1. उद्देश्य– 1.** राज्य के ऐतिहासिक/सांस्कृतिक/प्राकृतिक धरोहरों से परिचित करवाना। **2.** स्थापत्यकला की जानकारी कराना। **3.** विद्यार्थियों को प्राकृतिक धरा का आनंद उठाने का अवसर प्रदान करना। **4.** विद्यार्थियों को सामुदायिक जीवन से ओतप्रोत करना। **5.** विद्यार्थियों में पुस्तकीय ज्ञान के अतिरिक्त अन्य की ज्ञान की वृद्धि करना। **2. शैक्षिक भ्रमण– अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण एवं विद्यार्थी योग्यता– 1.** राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 एवं 8 के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष शीतकालीन अवकाश में राज्य के अन्य जिले में 5 दिवसीय राजस्थान दर्शन कार्यक्रम अन्तर्गत शैक्षिक भ्रमण हेतु भेजा जायेगा। **2. योग्यता–** • राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 7 व 8 के विद्यार्थी जिन्होंने गत परीक्षा कक्षा 6 व 7 में न्यूनतम 70 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों। • राष्ट्रीय/राज्य स्तर पर सांस्कृतिक/साहित्यिक/खेलकूद/स्काउट एवं गाईड प्रतियोगिता में भाग लेकर सहभागी/विजेता रहे हों। 3. विद्यार्थियों एवं अध्यापकों की संख्या– अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण– प्रत्येक जिले के 24 विद्यार्थी (कक्षा 7 के 12 व कक्षा 8 के 12) एवं 02 अध्यापक। **4. मेरिट का निर्धारण–** अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण के लिए विद्यार्थियों का चयन पूर्णतः वस्तुनिष्ठ प्रणाली (Objective Pattern) के आधार पर निम्नानुसार किया जायेगा– (अ) प्रतिभावान के आधार पर जिले की वरीयता से प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के 6+6 = 12 (प्रथम एवं द्वितीय तथा तृतीय) का चयन होगा। (ब) गतिविधियाँ (Activity) राज्य पुरस्कार/तृतीय सोपान प्राप्त स्काउट एवं गाईड प्रतियोगिताओं में सहभागिता के आधार पर 12 विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। कुल 24 विद्यार्थियों का दल होगा। चयन हेतु छात्र-छात्रा द्वारा गत परीक्षा में प्राप्तांक प्रतिशत के आधार पर गणना की जायेगी। **5. विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करना एवं चयन प्रक्रिया– अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण–** जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा द्वारा जिले में संस्था प्रधान के माध्यम से प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय पर प्राप्त आवेदन पत्रों का अवलोकन कर निर्धारित मेरिट प्रक्रिया के द्वारा शैक्षिक भ्रमण हेतु विद्यार्थियों का चयन किया जायेगा। चयनित विद्यार्थियों को शीतकालीन अवकाश के समय राज्य के अन्य जिलों के लिए ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर 5 दिवस के लिए भ्रमण पर भेजा जावेगा। **6. यात्रा व्यय–** विद्यार्थियों की यात्रा का संपूर्ण व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। इस हेतु बजट राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यह बजट सम्बन्धित नोडल अधिकारी को आवंटित किया जायेगा जो सम्बन्धित दिशानिर्देशों एवं वित्तीय नियमों की पालना करते हुए व्यय करेगा। अध्यापक की यात्रा का संपूर्ण व्यय यात्रा भत्ता नियमों के तहत राजकीय मद से देय होगा। यह विद्यार्थियों के व्यय में सम्मिलित नहीं होगा तथा समस्त लेखे विधिवत संधारित करते हुए व्यय विवरण सहायक लेखाधिकारी (योजना) एवं लेखाधिकारी (बजट) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर को नियमानुसार यथासमय प्रस्तुत करेंगे। **7. नोडल अधिकारी– अन्तर्जिला शैक्षिक भ्रमण–** जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा तथा सर्किल ऑर्गनाईजर (C.O.) स्काउट/गाईड द्वारा भ्रमण की योजना का निर्माण किया जायेगा तथा अपने जिले में आने वाले दल के भ्रमण तथा आवास आदि की व्यवस्था की जावेगी। 8. प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए राजस्थान दर्शन शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा का आयोजन करने के सम्बन्ध में अनुमानित व्यय का विवरण–**(अ) विभिन्न मदों में अनुमानित व्यय हेतु विवरण–** प्रति विद्यार्थी प्रस्तावित व्यय (रुपयों में) : किराया – 1500/-, भोजन – 600/-, अल्पाहार – 300/-, आवास – 500/-, स्टेशनरी – 200/-, अन्य व्यय – 186, कुल प्रति विद्यार्थी 3286/- **(ब)** प्रतियोगिताओं में प्रथम से तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार राशि निम्नानुसार देय होगी– प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 350/-; द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 250/-; तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को 200/-; **9.** भ्रमण के दौरान समस्त संभागी विद्यार्थी एवं एस्कोट शिक्षक जिला मुख्यालय पर स्थित स्काउट हैड क्वार्टर पर ठहरेंगे। **10.** अध्यापक का चयन– स्काउट/गाईड अध्यापक को प्राथमिकता दी जावेगी। **11.** संभाग स्तर पर शिक्षा उपनिदेशक प्रारम्भिक तथा सहायक राज्य संगठन आयुक्त (A.S.O.C.) यात्राओं का अनुमोदन तथा उनके परिक्षेत्र में आने वाले दलों की यात्रा एवं व्यवस्था का परिवीक्षण करेंगे। व्यय का सम्पूर्ण समायोजन कर अपने कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी से जाँचोपरान्त प्रेषित करेंगे। एक जिले के दल व भ्रमण का कार्यक्रम निर्धारण सम्बन्धित संभाग के उपनिदेशक एवं सहायक राज्य संगठन आयुक्त द्वारा किया जायेगा। **12.** भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों की कुछ प्रतियोगिताएँ यथा– भ्रमण, आलेख, क्विज, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएँ आदि भी आयोजित की जावें तथा प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरण भी किया जावेगा। **13. प्रतिवेदन–** अन्तर्जिला दर्शन हेतु शैक्षिक एवं सांस्कृतिक यात्रा में भाग लेने वाले सभी विद्यार्थी विधिवत यात्रा वृतान्त लिखेंगे, इस हेतु उन्हें एक डायरी एवं एक बॉलपेन उपलब्ध कराया जायेगा। सभी अध्यापक संभागियों में से किसी एक को मुख्य प्रतिवेदक (Chief Reporter) यात्रा के प्रबंधक नोडल अधिकारी द्वारा नामित किया जायेगा जो यात्रा उपरान्त सभी यात्रा सहभागी अध्यापकों/विद्यार्थियों से उनकी रिपोर्ट प्राप्त कर समेकित प्रतिवेदन तैयार कर सम्बन्धित नोडल अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। • ह., निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

राज्यों के अनुभव

प्रतिबद्धता से मिली सफलता

❑ उषा बापना

केरल

राज्य में सतत एवं समग्र मूल्यांकन को विस्तार देने से पूर्व यह सोचा गया कि अन्य राज्यों में यह कार्य कैसे किया जा रहा है, यह जानना उचित होगा। यही सोचकर केरल, जहाँ यह कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है, कि शैक्षिक यात्रा सोची गई। दिनांक 23-26 नवम्बर, 2011 तक केरल की इस यात्रा में राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, अतिरिक्त जिला परियोजना कार्यालय अलवर एवं जयपुर, बोध शिक्षा समिति एवं यूनिसेफ के सीसीई से जुड़े कुल 15 अधिकारियों को शामिल किया गया। इस दल ने निम्नांकित संस्थाओं एवं विद्यालयों का अवलोकन किया– 1. एससीईआरटी, तिरूअन्तपुरम्, केरल। 2. आयुक्त कार्यालय, एसएसए, केरल। 3. जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, अट्टिन्गल, त्रिवेन्द्रम। 4. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मनकड़, त्रिवेन्द्रम (एसटीसी प्रशिक्षण विद्यालय)। 5. राजकीय रिलिफ प्राथमिक विद्यालय, कुलाथूर। 6. राजकीय लोवर प्राथमिक विद्यालय, तिरूविलोर कनियापुरम। 7. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, पालविला। 8. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, तिरमाला। 9. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, चलाई, त्रिवेन्द्रम। 10. राजकीय प्राथमिक विद्यालय, परासला। 11. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, कुन्नाथुकल। 12. बीआरसी, परासला। 13. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, मुदापुरम, अट्टिन्गल। उक्त विद्यालयों के अवलोकन पश्चात् केरल राज्य में शिक्षा के स्तर, शिक्षकों के प्रकार, पीटीए, एसएमसी की भूमिका व सीसीई मूल्यांकन से सम्बन्धित निम्नांकित जानकारी प्राप्त हो सकी–

1. सामान्य शिक्षा व्यवस्था के बिन्दु–

● केरल में 1997-98 में बालक केन्द्रित शिक्षा, गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया व पाठ्यक्रम अपनाया गया। प्रारम्भ में इसका विरोध भी हुआ किन्तु इसके लिए रचनात्मक परिचर्चा एवं वातावरण निर्माण होने के बाद इसे शिक्षकों एवं अभिभावकों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ● पाठ्यपुस्तकों के लिखने के तरीकों, प्रश्न पूछने एवं गतिविधियों के आयोजन के साथ समग्रता के साथ पुस्तकों में बदलाव किया गया। ● 2002-03 में सीसीई को सभी लोवर प्राथमिक विद्यालयों (कक्षा 1 से 4) में लागू किया गया। ● 2005-06 में अप स्केल करके सीसीई को उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्लस टू स्तर में लागू किया गया व इसी के अनुरूप पाठ्यपुस्तकों को भी संशोधित-परिमार्जित किया गया। ● माइनस टू से प्लस टू यानी प्री प्राइमरी, लोवर प्राइमरी, उच्च प्राथमिक, उच्च माध्यमिक तक सीसीई लागू कर ग्रेड सिस्टम अपनाया गया। ● एस.एस.ए. की ओर से ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक का सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाता है जिसमें सभी विद्यालय बढ़-चढ़कर भाग लेते हैं। यह वहाँ का प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एक विशेष कार्यक्रम है। ● 2007 में केरल राज्य में अपने राज्य की पाठ्यचर्या (केसीएफ) तैयार कर ली गई। इसमें अध्यापन के उद्देश्यों को निश्चित करते समय समस्या आधारित एप्रोच रखी गई है तथा सभी पाठ्यपुस्तकें समग्रता के साथ तैयार की गई है। ● 2009-10 में एनसीईआरटी के सोर्स बुक की तर्ज पर राज्य में भी सभी कक्षा (कक्षा 1 से 7 तक) एवं विषयों के लिए रिसोर्स बुक तैयार की गई है। ● इस कार्यक्रम को इन्होंने 'एसेसमेन्ट ऑफ लर्निंग' का नाम दिया है। ● सभी शिक्षकों के लिए एक सत्र में 20 दिवसीय प्रशिक्षण का प्रावधान है। इसके अन्तर्गत ग्रीष्मावकाश में 10 दिवसीय प्रशिक्षण अधिकतम दो विषयों के लिए दिया जाता है तथा शेष 10 दिन का प्रशिक्षण प्रतिमाह क्लस्टर स्तर की कार्यशाला के रूप में आयोजित किया जाता है। इन कार्यशालाओं में मासिक प्लानिंग एवं शैक्षिक कठिनाइयों एवं नवाचारों पर चर्चा कर इन पर कार्य किया जाता है। इन्हीं कार्यशालाओं में पूरे माह की वर्कशीट्स भी तैयार कर विषयाध्यापकों को दी जाती है जिनकी एक-एक प्रति सभी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है। ● शिक्षकों के लिए इस वर्ष से पुस्तकों पर आधारित प्रश्न बैंक का निर्माण एसआईईआरटी की ओर से किया गया है जिसे सभी के लिए वेबसाईट पर उपलब्ध करवाया जा रहा है।

शिक्षा विभाग का ढाँचा

क्र. सं.	एकेडमिक स्ट्रक्चर	एसएसए स्ट्रक्चर	प्रशासनिक स्ट्रक्चर
1.	एससीईआरटी	एसपीओ	सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन - कक्षा 2 से 10 तक डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन - कक्षा 2 से 10 तक सेक्रेटरी ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन - कक्षा 11-12 व्यावसायिक शिक्षा डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन - कक्षा 11-12 व्यावसायिक शिक्षा

क्र. सं.	एकेडमिक स्ट्रक्चर	एसएसए स्ट्रक्चर	प्रशासनिक स्ट्रक्चर
2.	डाइट	डीपीओ	उप निदेशक, जिला स्तर पर
3.	बीआरसी	बीपीओ	एओ ब्लॉक लेवल
4.	सीआरसी	संकुल (क्लस्टर)	
5.	स्कूल	स्कूल	

● **विद्यालय स्तर पर शैक्षिक वातावरण को बनाये रखने के लिए निम्न संस्थाएँ कार्यरत हैं–** 1. अध्यापक-अभिभावक संघ-पीटीए/एसएमसी (पैरेन्ट्स एण्ड टीचर्स)। 2. क्लास पैरेन्ट एसोसिएशन - सीपीए (कक्षा विशेष के छात्रों के अभिभावक केवल)। 3. स्कूल रिसोर्स ग्रुप - एसआरजी (टीचर्स+एचएम)। 4. स्कूल सपोर्ट ग्रुप - एसएसजी (रिटायर्ड टीचर, ओल्ड स्टूडेन्ट एण्ड आउट साईडरर्स)।

● **विद्यालय स्तर पर मॉनिटरिंग–** 1. संस्था प्रधान - एचएम (फर्स्ट ग्रेड, सैकिण्ड ग्रेड)। 2. पीटीए (मंथली मीटिंग)। 3. सीपीटीए (क्लास प्रोब्लम सोल्यूशन)। 4. एसआरजी (वीकली मीटिंग)। 5. एसएसजी (आवश्यकतानुसार)।

● **स्कूली शिक्षा का ढाँचा–** 1. प्री प्राइमरी स्कूल– जिसमें एलकेजी एवं यूकेजी कक्षाएँ सम्मिलित। 2. लोवर प्राइमरी– कक्षा 1 से 4 तक । 3. अपर प्राइमरी– कक्षा 5 से 7 तक। 4. सैकण्डरी– कक्षा 8 से 10 । 5. हायर सैकण्डरी (शैक्षिक एवं व्यावसायिक शिक्षा) – कक्षा 11 से 12 ।

● **मूल्यांकन व्यवस्था–** 1. यूनिट टेस्ट (प्रत्येक यूनिट के बाद)। 2. डेली क्लास वर्क– जैसे पोर्ट फोलियो, नोट बुक, स्टूडेंट असैसमेंट मैन्यूअल, स्वयं की अभिव्यक्ति। 3. समेटिव टेस्ट– तीन बार (अगस्त, दिसम्बर, मार्च)। 4. स्टूडेंट असैसमेन्ट मैनुअल में उपर्युक्त की ग्रेडिंग के आधार पर समग्र ग्रेडिंग करना।

● **छात्र अध्यापक अनुपात–** 1. प्री प्राइमरी स्कूल– 1 : 23; 2. प्राइमरी स्कूल– 1:27; 3. सैकण्डरी स्कूल– 1:28 ।

● **विद्यालय समय–** शहरी क्षेत्र में - 9.30 बजे से 3.30 तक (यातायात व्यवस्था के कारण)। ग्रामीण क्षेत्र में - 10.00 बजे से 4.00 बजे तक। लेकिन स्थानीय स्तर पर पीटीए की राय से विद्यालय के समय में परिवर्तन जिला शिक्षा अधिकारी की अनुमति से किये जाने की छूट है। विद्यालय सप्ताह में 5 दिन संचालित होते हैं।

● **मिड-डे-मील–** 1. प्री प्राइमरी को पीटीए द्वारा ब्रेक फास्ट। 2. सरकार द्वारा सभी बच्चों के लिए दोपहर का भोजन। 3. विशेष मिड-डे-मील (संस्थाओं एवं दानदाताओं द्वारा)

● **नामांकन–** 45 प्रतिशत राजकीय स्कूलों में तथा 55 प्रतिशत निजी विद्यालयों एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में। ड्राप आउट रेट शून्य प्रतिशत एवं अनामांकित एक प्रतिशत।

2. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के विशेष बिन्दु– ● प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन पीटीए द्वारा किया जाता है। 20 से 25 बच्चों के लिए एक शिक्षिका एवं हैल्पर की व्यवस्था पीटीए के द्वारा की जाती है जिन्हें मानदेय भी उन्हीं के द्वारा दिया जाता है किन्तु इन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है। इन कक्षाओं में एवं घर पर माताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। ● कुछ विद्यालयों में प्री प्राइमरी कक्षाएँ आईसीडीएस एवं राज्य सरकार के सहयोग से भी संचालित हैं। ● प्रत्येक विद्यालय में छात्र उपस्थिति शत प्रतिशत है। ● बालक सक्रियता एवं आत्म विश्वास से परिपूर्ण देखे गये। ● बाल केन्द्रित एवं गतिविधि आधारित शिक्षण सभी विद्यालयों में देखा गया। ● शिक्षकों में प्रोफेशनलिज्म है तथा वे अपनी भूमिका एवं जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं पैडागोजी के साथ-साथ सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की समझ भी है। ● प्रत्येक विद्यालय में सीसीई के आकलन प्रक्रिया में आंशिक भिन्नता मिलती है। ● प्राथमिक स्तर के विद्यालयों में प्रति कक्षा एक अध्यापिका की व्यवस्था है, जो बालक के क्रमोन्नत के साथ-साथ अगली कक्षा के शिक्षण के लिए उत्तरदायी है। इस अध्यापिका को सभी विषय का अध्ययन कराना पड़ता है। कक्षा 5 से 7 के लिए विषयाध्यापिका है मूल्यांकन के सभी प्रपत्र कक्षाध्यापिका के पास आ जाते हैं तथा वही उनकी प्रगति रिपोर्ट बनाती है। ● स्रोत पुस्तिका शिक्षक के लिए प्रमुख आधार है जिसमें पाठ्यक्रम विभाजन सीखने के विभिन्न उपकरण, आकलन के तरीके एवं उपकरण की जानकारी है। ● शिक्षक को अपनी कार्य योजना बनाने की स्वतंत्रता है। यद्यपि कार्य योजना के बिन्दु निर्धारित कर उन्हें प्रशिक्षण में बताये गये हैं। ● सोर्स बुक के आधार पर प्रत्येक शिक्षक को अपना टीचर मेन्यूअल बनाकर यूनिट प्लान बनाना होता है जिसमें अधिगम के उद्देश्य, प्रक्रिया, मूल्यांकन आदि सम्मिलित हैं। प्रक्रिया के अन्तर्गत रेस्पोंस के अन्तर्गत समेकित टिप्पणी एवम् जिन्होंने नहीं सीखा उनका लर्निंग एरिया स्पष्ट लिखा जाता है। ● मूल्यांकन के लिए फोर पॉइन्ट रेटिंग स्केल (ए, बी, सी, डी) काम में ली जाती है। ● प्रत्येक शिक्षक अपनी कक्षा के बालकों का स्तर जानता है क्योंकि उसका छात्रों के साथ में निरन्तर सम्बन्ध रहता है। ● शिक्षक छात्रों का मूल्यांकन– पोर्टफोलियो, पोस्टर निर्माण, विचार कथन, यूनिट टेस्ट, नोट बुक तथा तीन समेटिव टेस्ट के माध्यम से करता है। इसका अभिलेख एसएएम (स्टूडेण्ट अचिवमेंट मेन्यूअल) में रहता है। ● पोर्टफोलियो के लिए पॉकेट्स, बैग आदि कक्षा में रखे जाते हैं, लेकिन वे बहुत व्यवस्थित रूप से नहीं रखे जाते हैं। कुछ विद्यालयों में कक्षा में एक छोटी आलमारी शिक्षकों को सामान रखने के लिए भी उपलब्ध

है। ● वर्ष 2010-11 से मूल्यांकन का नया कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है उसके लिए अलग से कोई राशि नहीं दी जाती है। ● मूल्यांकन के प्रकार– 1. स्वमूल्यांकन (शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान)। 2. पीयर ग्रुप द्वारा (समूह कार्य के दौरान एक दूसरे दल द्वारा)। 3. शिक्षक द्वारा (एडिटिंग प्रोसेस के दौरान)। 4. पीयर एसेसमेंट एण्ड सेल्फ एसेसमेंट, वर्क एक्सपीरियेन्स, हेल्थ एजूकेशन के लिए अंशकालीन शिक्षक की व्यवस्था की जाती है। ● अभिभावक, समुदाय, बैंक्स एवं कोरपोरेट हाउसेज, जनप्रतिनिधियों का विद्यालयों को भरपूर सहयोग मिलता है। ● पीटीए का गठन लम्बे समय से है। आरटीई लागू होने के बाद पीटीए ही एसएमसी के रूप में कार्य कर रही है इसकी मासिक बैठकें होती हैं। ● स्कूल रिसोर्स ग्रुप– विद्यालय के शिक्षक एवं प्रधानाध्यापक साप्ताहिक बैठक का आयोजन करते हैं। इसमें कक्षा में आने वाली समस्याओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाता है। ● मॉनिटरिंग हेतु बीआरसी के ट्रेनर एवं एसआरजी विद्यालय में ऑन-साईट सपोर्ट करते हैं। ● आकलन फोरमेट पर ज्यादा जोर नहीं दिया जाता है। परन्तु आकलन प्रत्येक छात्र का किया जाता है तथा प्रगति रिपोर्ट दी जाती है। ● प्रत्येक विद्यालय में गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाता है। विद्यालय में कम्प्यूटर लैब, साईंस लैब का प्रयोग किया जाता है। ● कक्षा कक्ष में खाली समय का सदुपयोग करने के लिए रीडिंग कार्नर की स्थापना की हुई है जिससे छात्रों में स्व अध्ययन के प्रति रुझान बढ़ता है। ● डाइट, बीआरसी व एसटीसी के साथ लेब स्कूल की व्यवस्था है। डाइट व बीआरसी के साथ की लैब स्कूल की शैक्षिक एवं भौतिक स्थिति ठीक नहीं देखी गई।

3. राजस्थान में सीसीई अपनाने के परिप्रेक्ष्य में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जा सकता है– ● सीसीई को क्लासरूम प्रक्रिया का ही हिस्सा बनाया जाये न कि इसे मूल्यांकन के एक तरीके के रूप में समझा जाये। इसके लिए कोई अच्छा सा नाम भी निश्चित किया जा सकता है। ● आसान व शिक्षकों को स्वीकार्य एवं आरटीई की आवश्यकता की पूर्ति करने वाला मॉडल विकसित किया जाये जिसे धीरे-धीरे अधिक विस्तार दिया जा सकता है। ● प्रत्येक कक्षा एवं विषय की सोर्स बुक तैयार की जाये जिसमें बच्चों के सीखने के तरीकों एवं स्तर, कक्षा की गतिविधियों की प्लानिंग, मूल्यांकन टूल्स आदि बताते हुए यूनिट वाईज़ टीचर मेन्यूअल तैयार करवाया जा सकता है। ● पाठ्यपुस्तकों को समग्रता की दृष्टि से यूनिट एवं मॉड्यूलवार तैयार की जाये जिसमें विभिन्न गतिविधियों का स्पष्ट उल्लेख हो। ● मूल्यांकन के लिए फोरमेट पर ज्यादा जोर न देकर प्लानिंग, कक्षागत गतिविधियों एवं उसके आधार पर आकलन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए शिक्षक को स्वतंत्रता दी जावे। ● पीटीआर दुरस्त करने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति की प्रथम आवश्यकता है। ● पीटीए/एसएमसी को सीसीई के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु बार-बार संवाद की आवश्यकता होगी। ● मॉनिटरिंग हेतु ब्लॉक एवं कलस्टर स्तर के अधिकारी, ट्रेनर एवं सकारात्मक सोच के व्यक्तियों को उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। ● प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पीटीए/एसएमसी द्वारा प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन किया जावे जिससे नामांकन में सहयोग मिल सके। साथ ही प्री प्राइमरी के लिए पीटीए द्वारा शिक्षक एवं हेल्पर की नियुक्ति से लेकर नाश्ता तक की व्यवस्था का उत्तरदायित्व वहन किया जावे इसके बारे में विचार किया जा सकता है। ● शिक्षकों को अन्य राजकीय कार्यों से मुक्ति दिलाई जावे। ● सीसीई को प्राथमिक विद्यालयों में एकमुश्त लागू किया जा सकता है जिसके लिए आयोजित गतिविधियों का समयबद्ध कैलेण्डर बनाया जाये। ● विद्यालयों में कक्षा प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से नोडल एवं ब्लॉक स्तर पर सहयोग सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता है। ● इसके लिए पायलेट प्रोजेक्ट में ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्तियों को इस कार्य के लिए अकादमिक रूप से तैयार किया जाना उचित होगा। ● शिक्षकों की नोडल स्तरीय अकादमिक बैठकें नियमित रूप से की जानी आवश्यक हैं। ● जिला एवं राज्य स्तर पर सीसीई के लिए संदर्भ व्यक्तियों के रूप में एक अकादमिक समूह तैयार किया जाना आवश्यक है। ● ग्रीष्मावकाश में दिये जाने वाला प्रशिक्षण उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए नियोजित किया जाये तथा यह प्रशिक्षण गुणवत्तापूर्ण हो। ● आगामी वर्ष के लिए समयबद्ध प्लानिंग एवं गतिविधियाँ अपेक्षित है।

इस प्रकार केरल राज्य की सुदृढ़ शैक्षिक स्थिति का पता चलता है। प्रशासन, समुदाय, अभिभावक एवं विभिन्न औद्योगिक घरानों के सहयोग से ही केरल राज्य ने साक्षरता के उच्च स्तरीय मानदण्ड प्राप्त किये हैं।

–सलाहकार (सीसीई कार्यक्रम)
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद, जयपुर

हरियाणा

हमारी शिक्षा प्रणाली में शिक्षण व मूल्यांकन लम्बी कालावधि से साथ-साथ चल रहे हैं। पारम्परिक प्रणाली में आकलन का क्षेत्र संज्ञानात्मक पक्ष तक ही सीमित रहता है व आकलन का उद्देश्य मात्र इतना ही घोषित करता है कि विद्यार्थी ने कितना कुछ सीखा है। यह प्रणाली परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए रटने को बढ़ावा देती है। अतएव यह आज की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती और अब इस बात की आवश्यकता है कि विद्यालय को एक उचित प्रणाली से युक्त किया जाए, जो कि विद्यार्थी के सभी पक्षों की वृद्धि एवं विकास का नियमित आकलन करे।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार हमें विद्यालय आधारित आकलन की तरफ स्थानान्तरित होने की आवश्यकता है और ऐसे रास्ते खोजने की आवश्यकता है, जिनसे कि ऐसे आन्तरिक मूल्यांकन और अधिक विश्वसनीय हों। इसके लिए प्रत्येक विद्यालय को

लचीला एवं लागू करने योग्य सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना चाहिए, जो मुख्यतया निदान, उपचार और सीखने की प्रक्रिया को बढ़ाने वाला हो।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसमें अधिनियम के कुछ अनुभाग मूल्यांकन से निम्नलिखित अनुसार सम्बन्धित हैं–

अनुभाग 29(2) के अन्तर्गत– पाठ्यचर्या व मूल्यांकन प्रक्रिया निम्नलिखित पर विचार करता है– 1. संविधान में निर्धारित मूल्यों के साथ समरूपता। 2. बच्चे का सभी प्रकार से विकास। 3. बच्चे के ज्ञान, क्षमता और प्रतिभा का विकास। 4. बच्चे को डर, चोट और बेचैनी से मुक्त करना तथा उसे अपने विचार स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने में सहायता करना। 5. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा बच्चे को अपने ज्ञान को समझने व उसके द्वारा उस ज्ञान को प्रयोग करने की योग्यता का होना।

अनुभाग 30(1) के अनुसार– प्रारम्भिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी छात्र को बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी। अनुभाग 30(2) के अनुसार– प्रत्येक छात्र को प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने के उपरान्त अनुभाग में निर्धारित प्रमाण पत्र दिया जाएगा।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा ने विद्यालयों में प्रारम्भिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अपनाने का निर्णय लिया है। इसके मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं– 1. विद्यार्थियों का मूल्यांकन उनको पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही किया जाना चाहिए। 2. मूल्यांकन दैनिक जीवन प्रक्रियाओं से जुड़ा होना चाहिए। 3. मूल्यांकन रोचक रीति से किया जाने वाला व क्रियाकलाप आधारित होना चाहिए। 4. प्रत्येक विद्यार्थी जो विद्यालय में दाखिल किया गया है, उसका उसी कक्षा में ठहराव नहीं होना चाहिए और उसकी प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण होनी चाहिए। 5. विद्यार्थियों में परीक्षा का तनाव व भय खत्म करना। 6. आवश्यकता अनुसार उपचारी शिक्षण सुनिश्चित करना। 7. पाठ्यचर्या का बोझ कम से कम करना। 8. निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक विद्यार्थी का निरन्तर रिकार्ड रखना। 9. मूल्यांकन प्रक्रिया एवं पाठ्यचर्या में तालमेल सुनिश्चित करना। 10. विद्यार्थियों को उनकी क्षमताएँ बढ़ाकर उपलब्धि स्तर में सुधार के लिए प्रोत्साहित करना।

प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना

प्रारम्भिक कक्षाओं के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के तीन पहलू हैं– • शैक्षिक पक्ष, • पाठ्य सहगामी पक्ष, • व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण।

शैक्षिक पक्ष

कक्षा 1 व 2 : इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम के अनुसार तीन विषयों में मूल्यांकन किया जाएगा– हिन्दी, अंग्रेजी व गणित।

बच्चे के शैक्षिक विकास के लिए कुछ वर्णनात्मक टिप्पणियाँ बनाई जाएँगी, जो बच्चों के विशेष कौशलों की उपलब्धियों का वर्णन करने के लिए होंगी, जो कि विषयों पर आधारित होंगी। ये टिप्पणियाँ बच्चे को उसके विशेष क्षेत्र/विषय में सीखने के कौशल को सुधारने में अधिक प्रयास/ध्यान करते हुए अभिभावकों, अध्यापकों व स्वयं की सहायता करेंगी।

हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में अध्यापक को बच्चों के चार मौलिक कौशलों का विकास और आकलन करना होगा– • श्रवण कौशल, • कथन कौशल, • पठन कौशल, • लेखन कौशल।

और गणित में विद्यार्थियों का आकलन निम्नलिखित क्षमताओं के आधार पर होगा– • गिनती और पहाड़े, • गणितीय अवधारणा, • गणितीय आकृतियाँ।

शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों के निश्चित कौशलों व क्षमताओं का आकलन दैनिक अवलोकन पर आधारित होगा। विद्यार्थियों के निश्चित कौशलों के इस अवलोकन को अध्यापक द्वारा रुब्रिक्स आधार पर (अगले अध्याय में सुझाई गई) सम्बन्धित विषयों पर प्रतिमास निर्धारित प्रपत्र में विवरणात्मक टिप्पणियों के अनुसार रिकार्ड किया जाएगा। छह महीने का व्यापक अवलोकन यानी अप्रैल से सितम्बर/अक्टूबर से मार्च तक विद्यार्थियों के सतत एवं व्यापक मूल्यांकन रिपोर्ट कार्ड में एक सत्र में दो बार दर्शाया जाएगा।

इसलिए बच्चे का मूल्यांकन कक्षा के अन्य विद्यार्थियों से तुलना की अपेक्षा उसकी स्वयं की उन्नति के अनुसार होगा। कोई अंक या रैंक प्रदान नहीं किए जाएँगे। आवश्यकता अनुसार बच्चों को उपचारात्मक शिक्षण दिया जाएगा।

कक्षा 3-5 : इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का आकलन पाठ्यक्रम के आधार पर चार विषयों– हिन्दी, अंग्रेजी, परिवेश अध्ययन एवं गणित में होगा तथा किसी विषय में निश्चित कौशल का आकलन अवलोकन आधार पर निम्न उपकरणों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा– • आवधिक परीक्षण। • कार्य पुस्तिका।

भाषा में जैसे हिन्दी और अंग्रेजी में विद्यार्थियों का आकलन निम्न कौशलों के आधार पर होगा– • श्रवण कौशल, • कथन कौशल, • पठन कौशल, • लेखन कौशल।

गणित और परिवेश अध्ययन में विद्यार्थियों का आकलन निम्न क्षमताओं के आधार पर होगा–

गणित	परिवेश अध्ययन
अवधारणाओं की समझ	पुनः स्मरण और पहचान
समस्या निदान	अवधारणाओं की समझ

भाषा में ज्ञान, समझ और लिखित अभिव्यक्ति के आधार पर लेखन योग्यता का आकलन द्विमासिक लिखित परीक्षा के आधार पर और दिए गए कार्य/कार्यपुस्तिकाओं में किए गए मासिक कार्य के आधार पर होगा। कथन, श्रवण व पठन कौशल का आकलन कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान की गई विभिन्न क्रियाओं के आधार पर होगा।

गणित तथा परिवेश अध्ययन में दक्षताओं का आकलन द्विमासिक लिखित परीक्षणों के आधार पर तथा कार्यपुस्तिकाओं में दत्त कार्य व किए गए कार्य का मासिक आधार पर होगा।

अध्यापक विद्यार्थियों की उपलब्धियों को लिखित परीक्षा के आधार पर या प्रत्येक मास की वर्णनात्मक टिप्पणियों के रूप में रुब्रिक्स तथा सुझाए गए मापनों के आधार पर विषयों के आधार पर निर्धारित मूल्यांकन शीट में सम्बन्धित महीनों के लिए रिकार्ड करेगा।

प्रत्येक क्षमता एवं दक्षता का व्यापक अवलोकन विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में प्रत्येक शैक्षिक सत्र में दो बार दर्ज किया जाएगा। रिपोर्ट कार्ड में कोई ग्रेडिंग, रैंकिंग अथवा अंक नहीं दर्शाए जाएँगे। अध्यापक द्वारा द्विमासिक परीक्षणों का आयोजन निम्न प्रकार से होगा–

परीक्षण मास	पढ़ाया गया पाठ्यक्रम
जुलाई	अप्रैल से मई
सितम्बर	जुलाई से अगस्त
नवम्बर	सितम्बर से अक्टूबर
जनवरी	नवम्बर से दिसम्बर
मार्च	जनवरी से फरवरी

कक्षा 6 से 8 : इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का पाँच मुख्य विषयों में आकलन हिन्दी, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा गणित और इसके साथ निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, शारीरिक शिक्षा, गृह विज्ञान, चित्रकला और संगीत में से दो अतिरिक्त विषयों का आकलन किया जाएगा। उक्त लिखित विषयों का आकलन निम्न उपकरणों पर आधारित होगा– • आवधिक परीक्षण; • परियोजना कार्य; • कार्यपुस्तिका।

आवधिक परीक्षण– सम्पूर्ण मूल्यांकन प्रक्रिया को दो भागों– मूल्यांकन-1 व मूल्यांकन-2 में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भाग में अध्यापक द्वारा दो आवधिक परीक्षण संचालित किए जाएँगे, जो कि प्रत्येक आकलन चक्र द्वारा विद्यार्थी में विकसित कौशलों/दक्षताओं का आकलन करेगा। प्रत्येक परीक्षण निम्नलिखित तालिका में वर्णित कुछ विशिष्ट अधिमान सहित कौशलों और उद्देश्यों पर आधारित होगा।

विषय	कौशल/उद्देश्य	अधिमान
भाषा	ज्ञान	20 प्रतिशत
	समझ	40 प्रतिशत
	अभिव्यक्ति	40 प्रतिशत
गणित	ज्ञान	20 प्रतिशत
	समझ	30 प्रतिशत
	अनुप्रयोग	20 प्रतिशत
	समस्या समाधान	30 प्रतिशत
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	ज्ञान	20 प्रतिशत
	समझ	40 प्रतिशत
	विश्लेषणात्मक	20 प्रतिशत
	संख्यात्मक	10 प्रतिशत
	चित्रात्मक	10 प्रतिशत
सामाजिक अध्ययन	ज्ञान	30 प्रतिशत
	समझ	50 प्रतिशत
	चित्रात्मक	10 प्रतिशत
	विश्लेषणात्मक	10 प्रतिशत

विद्यार्थियों को पढ़ाने वाले अध्यापक द्वारा ही आकलन किया जाना है। अतः अध्यापक आवधिक परीक्षणों का इस तरह से निर्माण करें, जिससे कि उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रश्न ऊपरलिखित उद्देश्यों/कौशलों को उनके अधिमानों के अनुसार शामिल हों।

प्रत्येक परीक्षण 50 अंकों का होगा, जिसमें सभी प्रकार के प्रश्न जैसे बहुवैकल्पिक प्रश्न, अति लघु उत्तर, लघु उत्तर तथा दीर्घ उत्तर वाले प्रश्न सम्मिलित होंगे, जिससे प्रत्येक क्षेत्र/कौशल/उद्देश्य को पूर्ण किया जा सके।

विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांकों को अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में दर्ज किया जाएगा तथा प्रत्येक आकलन के लिए क्रमशः ग्रेडों को विद्यार्थियों के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित किया जाएगा। अंकों को किसी भी अवस्था में रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखाया जाएगा। विद्यार्थियों में विकसित विभिन्न कौशलों को दर्शाने के लिए उनके आकलन 1 एवं 2 तथा आकलन 3 एवं 4 के आधार पर व्यापक विवरणात्मक टिप्पणियाँ उनके रिपोर्ट कार्ड में लिखी जाएँगी।

अंकों एवं क्रमशः ग्रेडों की बाँट निम्न प्रकार से की गई है–

90-100	ए+
70-89	ए
50-69	बी
35-49	सी
35 से नीचे	डी

डी ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उपचारात्मक शिक्षण की सुविधा प्रदान करनी होगी। आवधिक परीक्षण संचालित किए जाने वाली अनुसूची नीचे दी गई है।

आकलन चक्र	परीक्षण का महीना	पढ़ाया गया पाठ्यक्रम
1.	जुलाई का अन्तिम सप्ताह	अप्रैल से जुलाई
2.	सितम्बर का अन्तिम सप्ताह	अगस्त से सितम्बर
3.	दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह	अक्टूबर से दिसम्बर
4.	मार्च का तीसरा सप्ताह	जनवरी से मार्च

परियोजना कार्य– परियोजना कार्य आकलन की एक प्रमुख तकनीक है और अध्यापकों का यह दायित्व है कि विद्यार्थियों को इसका परिचय करवाएँ। अध्यापक किसी भी प्रकार की परियोजनाएँ प्रदान कर सकते हैं, जैसे कि अन्वेषणात्मक, प्रयोगात्मक और विद्यार्थियों के क्षेत्रीय संसाधनों व परिवेश के अनुसार पदार्थ निर्माण सम्बन्धी। फिर भी विभाग द्वारा प्रकाशित परियोजना आधारित अधिगम पुस्तक में कुछ परियोजनाएँ सुझाई गई हैं।

परियोजना कार्य के मूल्यांकन में मुख्यतया निम्न बातें हो सकती हैं– • प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक आकलन चक्र में बारी-बारी से एक एकल और एक सामूहिक परियोजना कार्य सौंपा जाएगा। • समूह आयामी परियोजनाएँ विद्यार्थियों में सहयोग एवं टीम भावना को

संसाधित करेंगी। ● परियोजना एक विषय अथवा अन्तर विषयों के रूप में हो सकती है। ● परियोजना आकलन में विभिन्न आयामों जैसे कि सहभागिता, सूचना/संसाधनों का एकत्रण, कार्यविधि का चुनाव एवं परियोजनाओं की प्रस्तुति आदि को महत्व दिया जाएगा। ● एक परियोजना 20 अंकों की होगी तथा अंकों की बाँट निम्नरूप से होगी– ● परियोजना के संदर्भ में उपयुक्त सूचनाएँ/आँकड़े और संसाधन - 5 अंक; ● प्रयुक्त प्रविधि और उसकी प्रभाविता - 5 अंक; ● विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन - 5 अंक; ● प्रस्तुतीकरण - 5 अंक।

● किसी परियोजना में विद्यार्थियों द्वारा कुल प्राप्तांक अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रपत्र में दर्ज किए जाएँगे और प्रत्येक परियोजना आकलन के लिए विभिन्न ग्रेडों को विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में दर्शाया जाएगा। किसी भी तरह अंकों को रिपोर्ट कार्ड में नहीं दिखाया जाएगा। ● अंकों के लिए विभिन्न ग्रेड नीचे दिए गए हैं–

प्राप्तांक का प्रसारण	ग्रेड
15-20	ए
8-14	बी
8 तक	सी

परियोजना आकलन के अनुसार विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में वर्णनात्मक टिप्पणियाँ लिखने के लिए अध्यापक रुब्रिक्स के संदर्भ प्रयोग कर सकता है।

कार्यपुस्तिका– विद्यार्थियों के विभिन्न कौशलों को विकसित करने के लिए विभाग ने प्रत्येक विषय के लिए छठी से आठवीं कक्षाओं के लिए कार्य पुस्तिकाएँ प्रदान करवाई हैं। इसलिए अध्यापकों को कार्य पुस्तिका में किए हुए कार्यों/दत्त कार्यों का आकलन करना आवश्यक है। यह आकलन निम्नलिखित आधार पर किया जा सकता है– ● विद्यार्थी द्वारा ली गई रुचि, ● अवधारणाओं की समझ, ● कार्य की स्वच्छता, ● कार्य करने में नियमितता, ● वर्णित कार्यकलाप।

आकलन तीन प्वाइंट ग्रेडिंग आधारित होगा, जैसे कि ए, बी, सी या 3, 2, 1 जो कि रुब्रिक्स में भी वर्णित है। अध्यापक द्वारा प्रत्येक मास मूल्यांकन प्रपत्र में ग्रेडों के रूप में रिकार्ड को नियमित रखा जाएगा और उनकी उपलब्धियों के अनुसार वर्णनात्मक टिप्पणियों को विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में उल्लेखित किया जा सकता है।

कक्षा कक्ष सहभागिता– विद्यार्थियों की कक्षा कक्ष सहभागिता का आकलन करने की भी आवश्यकता है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि विद्यार्थी कक्षा कक्ष गतिविधियों में उत्साहपूर्ण, चुस्ती एवं सक्रियता से भाग ले रहे हैं। इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों से सम्बन्धित प्रत्येक विषय में मूल्यांकन की मुख्य कसौटी इस प्रकार हो सकती है– ● कक्षा से पूर्व पाठ पढ़ लेना। ● कक्षा में चल रही गतिविधियों के प्रति सचेत रहना। ● पाठों की अच्छी समझ के लिए स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु उत्सुकता एवं अभिरुचि दिखाना। ● कक्षा कक्ष गतिविधियों में जोशपूर्ण सहभागिता। ● विषय के बारे में और अधिक जानने के लिए उत्सुकता दिखाना। ● अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उपयुक्त एवं संदर्भित उत्तर देना।

आकलन तीन प्वाइंट ग्रेडिंग पर आधारित होगा, जैसे कि ए, बी, सी या 3, 2, 1 जो कि रुब्रिक्स में भी दी गई है। अध्यापक द्वारा प्रत्येक महीने मूल्यांकन प्रपत्र में ग्रेड के रूप में रिकार्ड को नियमित रखा जाएगा तथा विद्यार्थियों के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड में वर्णनात्मक टिप्पणियों को उल्लेखित किया जा सकता है।

2. पाठ्य सहगामी पक्ष– सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का दूसरा भाग छात्र की पाठ्यसहगामी क्रियाओं जैसे साहित्यिक, सांस्कृतिक, सर्जनात्मक और खेलों तथा छठी से आठवीं कक्षाओं के लिए अतिरिक्त रूप से वैज्ञानिक व परिवेश जागरूकता के आकलन से सम्बन्धित है, जो कि छात्र के सम्पूर्ण व्यक्तित्व विकास में मदद करेगा। पाठ्य सहगामी कौशलों के लिए निम्नलिखित गतिविधियों का सुझाव दिया जाता है–

कौशल* - साहित्यिक : *सुझाई गई गतिविधियाँ : कक्षा 1 व 2 के लिए– कविता वाचन, कहानी कहना, सुलेख। कक्षा 3 से 8 के लिए– भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता, निबन्ध लेखन, पत्र लेखन, कविता पाठ, कविता लेखन।

कौशल* - सांस्कृतिक : *सुझाई गई गतिविधियाँ : कक्षा 1 व 2 के लिए– गायन, सामूहिक अभिनय, फैंसी ड्रैस तथा नृत्य। कक्षा 3 से 8 के लिए– नृत्य, लोक नृत्य, नाटक, एकल अभिनय, सामूहिक अभिनय, समूह-गान, एकल गायन व वाद्य संगीत।

कौशल* - सर्जनात्मक : *सुझाई गई गतिविधियाँ : कक्षा 1 व 2 के लिए– कागज और मिट्टी के विभिन्न आकार के खिलौने व विभिन्न आकृतियाँ तैयार करना/बनाना। कक्षा 3 से 8 के लिए– कागज व मिट्टी के विभिन्न आकार के खिलौने व विभिन्न आकृतियाँ बनाना, कोलाज बनाना, रेखांकन, चित्रांकन, रंगोली बनाना और मेंहदी लगाना।

कौशल* - खेलकूद : *सुझाई गई गतिविधियाँ : कक्षा 1 व 2 के लिए– बहिरंग खेल : दौड़ व कूदना। अंतरंग खेल : कैरम साँप-सीढ़ी, क्रम निर्धारण। कक्षा 3 से 8 के लिए– बहिरंग खेल : कबड्डी, खो-खो, बैडमिंटन, दौड़ व कूदना आदि (विभाग द्वारा निर्धारित खेल), अंतरंग खेल : कैरम, लूडो, शतरंज, पहेली।

कौशल* - विज्ञान एवं पर्यावरण जागरूकता : *सुझाई गई गतिविधियाँ : कक्षा 6 से 8 के लिए– बागवानी, वृक्षारोपण, विज्ञान प्रदर्शनी, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, विज्ञान नाटिका, शैक्षिक भ्रमण व प्राथमिक चिकित्सा।

● अध्यापक को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह प्रत्येक क्षेत्र में आयु के अनुसार उचित गतिविधियाँ जोड़ सकता है। ● अध्यापक प्रत्येक क्षेत्र में विद्यार्थियों को कम से कम एक गतिविधि में सहभागिता के लिए प्रोत्साहित करे और उनका अवलोकन द्वारा आकलन करे। ● विद्यार्थी की रुचि, प्रतिभागिता, टीम भावना, कौशल/प्रविधि, समन्वयन और तंदुरुस्ती आदि गुणों को अवलोकन करने के बाद विद्यार्थी के सी.सी.ई. रिपोर्ट कार्ड पर विवरणात्मक टिप्पणी के रूप में दर्शाया जाना चाहिए।

3. व्यक्तिगत एवं सामाजिक गुण– बच्चे के व्यक्तित्व विकास में सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिए ये मूल्य भी बच्चे के सर्वांगीण विकास को आंकने के लिए महत्त्वपूर्ण हैं।

व्यक्तिगत व सामाजिक गुणों के वर्णन के लिए निर्धारित नियम (rubrics) भी वर्णित हैं। इन गुणों की गतिविधियों की सुझाई गई सूची निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

गुण	सुझाई गई गतिविधियाँ
नियमितता व समय की पाबंदी	विद्यालय में समय पर व नियमित रूप से आना, कक्षा कार्य और गृहकार्य पूर्ण करना।
स्वच्छता	कपड़े, नाखून, बाल, दाँत, आँखें, नाक आदि की सफाई एवं किताब-कापियों, कक्षा-कक्ष व विद्यालय की स्वच्छता।
सहयोग	सहपाठियों, अध्यापकों व माता-पिता के साथ सहयोग।
आत्मविश्वास	कक्षा तथा विद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियों में आत्मविश्वास दिखाना।
पहल करना	स्वतः कार्य करना, मौखिक चर्चा में भागीदारी के लिए तत्पर रहना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में भाग लेना।

–प्रभारी अधिकारी
सीसीई, एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा

शिक्षा 'जीवन' के लिए है,
'जीविका' के लिए नहीं।
–सत्य साईं बाबा

***

शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य
आत्मनिर्भर बनाना है।
–सेमुअल स्माइल्स

उच्च प्राथमिक कक्षाओं में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन

❑ भागचन्द शर्मा

शिक्षा बालक के चहुँमुखी विकास को अभिप्रेरित करने वाली एक प्रक्रिया है। बालक के संज्ञानात्मक व सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के सभी पक्षों के विकास का क्रम शैक्षिक प्रक्रिया से जुड़ा है। शिक्षा का स्तर प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या माध्यमिक हो सकता है। परन्तु हमें इस तथ्य को भी ध्यान में रखना होगा कि उच्च प्राथमिक स्तर तक जीवन जीने के तरीके, मूल्य आदि का समावेश बच्चे में आवश्यक रूप से हो जावे। जब हम सर्वांगीण विकास की बात कर रहे हैं तो हमें मूल्यांकन की रीति-नीति व क्षेत्र को भी व्यापक बनाना होगा। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हमें ''सतत एवं व्यापक मूल्यांकन'' को समझना होगा।

सततता : मूल्यांकन की सततता का आशय लगातार व निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया से है। यह प्रक्रिया शिक्षण के दौरान सतत अवलोकन, कक्षा शिक्षण, समीक्षा व नियोजन आदि से सीधी-सीधी जुड़ी हुई है।

व्यापकता : मूल्यांकन की व्यापकता में मूल्यांकन के क्षेत्रों व तरीकों की व्यापकता अन्तर्निहित है। यह व्यापकता बालक को उपलब्ध कराये जाने वाले अवसरों, तरीकों व अनुभवों आदि में देखी जा सकती है।

उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्ययनरत बच्चों में उम्र के लिहाज से तार्किक चिन्तन, विश्लेषण, सम्प्रेषण, समस्या समाधान, विजुएलाइजेशन आदि का क्षेत्र व्यापक हो जाता है। इसके साथ ही पाठ्यवस्तु का विस्तार, ज्ञान का विस्तार आदि भी उसके कार्य क्षेत्र को विस्तार देता है। अतः यह आवश्यक है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया उच्च प्राथमिक कक्षाओं में कहाँ से व किन तरीकों से आरम्भ की जावे। विगत दो वर्षों के आधार पर यहाँ कुछ चरण सुझाये गये हैं।

● आधार रेखा मूल्यांकन (Base line Evaluation)। ● मॉड्यूल का निर्धारण। ● उपसमूहीकरण। ● मॉड्यूल विभाजन एवं मूल्यांकन। ● कार्य योजना, समीक्षा एवं अनुभव। ● सतत आकलन, रचनात्मक, सुदृढ़ीकरण एवं योगात्मक मूल्यांकन प्रक्रिया। ● रचनात्मक मूल्यांकन। ● योगात्मक मूल्यांकन।

इन चरणों के पश्चात बालक की प्रगति का आकलन किया जाता है।

वार्षिक प्रगति आकलन पत्रक : बच्चे के विभिन्न क्षेत्रों में की गई वार्षिक प्रगति का अंकन इस प्रपत्र में किया जाता है। इसमें ग्रेड व विवरणात्मक प्रतिपुष्टि के सम्बन्ध में आरम्भिक सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं।

1. संचयी अभिलेख पत्र : बच्चे की उत्तरोत्तर प्रगति को जानने के लिए संचयी अभिलेख पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसमें बच्चे के जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटनाएँ जो उसके सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को प्रभावित करती हैं, का विवरणात्मक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया जाना चाहिए। संचयी अभिलेख पत्र में आरम्भिक सूचनाओं का इन्द्राज उसके प्रवेश के समय ही कर लिया जाता है। तत्पश्चात प्रतिवर्ष बच्चे की प्रगति एवं व्यवहारगत परिवर्तन से जुड़ी हुई तमाम सूचनाएँ दर्ज की जाती हैं। जब बच्चा विद्यालय छोड़कर अन्यत्र प्रवेश हेतु जाता है, तब इसकी सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ पूर्ण कर उसे दिया जाता है।

प्रगति की अभिभावकों के साथ शेयरिंग : अब तक मूल्यांकन की प्रक्रिया में बालक ही केन्द्र में रहता था। बालक द्वारा कक्षागत शिक्षण के दौरान अर्जित दक्षताओं की प्रगति का आकलन कर मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण समझी जाती थी। सतत एवं मूल्यांकन प्रक्रिया में बालक व शिक्षक के साथ-साथ अभिभावकों को भी जोड़ा जाना मूल्यांकन के क्षेत्र को सही मायने में व्यापक करता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के सभी चरणों में बालक की प्रगति की शेयरिंग अभिभावक से कर आगामी नियोजन हेतु प्रतिपुष्टि प्राप्त की जाती है। इस प्रक्रिया से अभिभावक को भी जिम्मेदारी का अहसास विद्यालय व बच्चे दोनों के प्रति हुआ है। अभिभावक सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में मददगार सिद्ध हुआ है।

–अध्यापक
रा.उ.प्रा.वि., झारेड़ा (रामगढ़), जिला - अलवर

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अन्तर्गत विषयाधारित मूल्यांकन व्यवस्था

❑ वन्दना गलुण्डिया

राजस्थान राज्य के 3059 प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में लागू की गई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति अन्तर्गत विषयों को आधार मानकर ही इन्हें कक्षाकक्ष प्रक्रिया में सम्मिलित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाये जाने वाले सभी विषयों में उनकी मूलभूत प्रकृति एवं शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप ही कक्षा में शिक्षण अधिगम मूल्यांकन की पृथक-पृथक व्यवस्था है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक विषय दूसरे से भिन्न है, हर विषय की अपनी प्रकृति व अपनी विशेषताएँ हैं और हर बालक की रुचि, अभिवृति एवं उपलब्धि भिन्न-भिन्न विषयों में अलग-अलग हो सकती है। अतः अध्यापक को बालकों का मूल्यांकन करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है।

विषयाधारित मूल्यांकन व्यवस्था अन्तर्गत मूल्यांकन योजना बनाने हेतु विषयवार मॉड्यूल्ज का निर्माण किया गया है। कक्षा 3 से 5 के लिए छः मॉड्यूल्ज प्रति विषय (प्रति टर्म एक मॉड्यूल) बनाए गए हैं जिनमें उस विषय के अधिगम क्षेत्र, मूल्यांकन सूचक, पाठ्यक्रमणीय उद्देश्य, पाक्षिक योजना तथा चैकलिस्ट इत्यादि दिये गये हैं। इनके अनुरूप ही पाठ्यक्रम के प्रत्येक विषय के लिए अलग-अलग उद्देश्यों का निर्धारण तथा पाठ्यक्रम विभाजन किया गया है तदनुरूप ही मूल्यांकन सूचकों का निर्माण किया गया है। पाठ्यक्रम का विभाजन विषयवस्तु (content) आधारित न होकर दक्षता आधारित है। प्रायः देखा गया है कि बालक पाठ्यपुस्तकों के कुछ चुने हुए बिन्दुओं को रटकर परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो जाते हैं लेकिन उनमें विषय की मूलभूत दक्षताओं का अभाव होता है। अतः सीसीई के अन्तर्गत मूल्यांकन व्यवस्था को इस प्रकार नियोजित किया गया है कि अध्यापक बालक की दक्षताओं को विकसित करने पर ध्यान देगा।

विषयवार अधिगम क्षेत्र/मूल्यांकन सूचक (कक्षा 3 से 5 हेतु) इस प्रकार है :

विषय - हिन्दी : अधिगम क्षेत्र/ मूल्यांकन सूचक : ● सुनकर समझना एवं समझकर बोलना। ● पढ़ना और पढ़कर समझना। ● लिखना। ● व्याकरण। ● स्वतंत्र एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति।

विषय - अंग्रेजी : अधिगम क्षेत्र/ मूल्यांकन सूचक : ● Listening with compre-hension and speaking. ● Reading with comprehension. ● Writing. ● Use of language– Grammar, Vocabulary and expression.

विषय - गणित : अधिगम क्षेत्र/ मूल्यांकन सूचक : ● आकृति एवं स्थान। ● संख्या पद्धति। ● संक्रियाएँ। ● भिन्न की समझ। ● मापन। ● समस्या समाधान, पैटर्न एवं डाटा हैण्डलिंग।

विषय - पर्यावरण अध्ययन : अधिगम क्षेत्र/मूल्यांकन सूचक : ● अवलोकन एवं दर्ज करना। ● सम्प्रेषण कौशल। ● व्याख्या करना/ विश्लेषण करना। ● वर्गीकरण। ● प्रश्न करना। ● प्रयोग, न्याय एवं समता के प्रति सरोकार।

प्रायः पाठ्यचर्या में बालक के भावात्मक, संवेगात्मक एवं शारीरिक पक्षों को अनदेखा किया जाता रहा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक विशेषता कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा जैसे विषयों को समान महत्व दिया गया है जो इस प्रणाली की व्यापकता को दर्शाती है। इन विषयों के मूल्यांकन सूचकों का भी निर्माण किया जाकर इन्हें पाठ्यक्रम में यथोचित स्थान दिया गया है।

कला शिक्षा के मूल्यांकन सूचक : ● संलग्नता, ● अभिव्यक्ति।

शारीरिक शिक्षा के मूल्यांकन सूचक : ● स्वच्छता, ● खेल।

इन मूल्यांकन सूचकों को और आगे उप-सूचकों में विभक्त किया गया है जिन्हें चैकलिस्ट का नाम दिया गया है। इन उपबिन्दुओं के आधार पर अध्यापक द्वारा प्रति माह बालक की प्रगति का आकलन कर दर्ज किया जाता है कि उस बालक की अमुक विषय में प्रगति कैसी है। चैकलिस्ट में बालक की प्रगति को दर्शाने के लिए '+', '–' व '=' जैसे चिह्नों का प्रयोग किया जाता है।

चैकलिस्ट का नमूना

कक्षा - 3, माड्यूल - 1, विषय - हिन्दी

विद्यार्थियों के नाम

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

1. सुनकर समझना एवं समझकर बोलना (आकलन सूचक)

1.1 सुनी अथवा पढ़ी हुई कविता/कहानी को सुरलय गति में हाव-भाव से तालमेल के साथ स्पष्ट शब्दों में अभिव्यक्त करना

+	=	–	+	–	=	=	–	+	–	=	=	=	–	+	–	=	–	+	–	=	–	–	+	=	–	–	+	=	–

1.2 स्तरानुसार सुनी कविता/कहानी आदि से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में देना

1.3 रोजमर्रा की जिन्दगी में विभिन्न संदर्भों के अनुसार स्वयं को अभिव्यक्त कर पाना।

बालकों का विषय विशेष में स्तर निर्धारण कर उपसमूह बनाए जाते हैं और मॉड्यूल का निर्धारण कर तद्नुसार शिक्षण करवाया जाता है। अतः यह सम्भव है कि एक ही बालक अलग-अलग विषयों में अलग-अलग मॉड्यूल पर कार्य कर रहा हो। विषयाधारित यह भिन्नता सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पद्धति के आधार का कार्य करती है। उपसमूह के लिए पाक्षिक योजना बनाई जाती है। हर समूह के लिए अधिगम क्षेत्र, पाठ्यक्रमणीय उद्देश्य और गतिविधियों का निर्धारण किया जाता है। एक सप्ताह बाद ही बालक की प्रगति का अवलोकन कर तद्नुसार योजना में परिवर्तन भी किया जा सकता है।

विषय - हिन्दी

पाक्षिक शिक्षण योजना

संभावित उपसमूह विद्यार्थियों के नाम/रोल नं.	उद्देश्य/निर्धारित कार्य	प्रस्तावित गतिविधियाँ एवं सामग्री
उप समूह-1 (1) टीना (2) रोहित (3) मनु (4) श्वेता (5) मोक्ष (6) विकास	- सुनकर समझना एवं समझकर बोलना। - पढ़ना, पढ़कर समझना।	- कहानी को सुनना या परिचित विषय पर अपने शब्दों में अभिव्यक्ति देना। - बाल साहित्य या पाठ्यपुस्तक से ली गई प्रणाली के पात्रों के मध्य संवाद को समझना। - शब्द सामग्री को प्रवाह के साथ पढ़ना। - नए शब्दों के अर्थ को समझना। - शब्दों को वाक्यों के साथ पढ़ते हुए उनके अर्थ को समझना।

टर्म में दो बार किये जाने वाले रचनात्मक मूल्यांकन एवं टर्म के अन्त में एक बार किये जाने वाले योगात्मक मूल्यांकन के लिए विषयवार आकलन प्रपत्र तैयार किये गये हैं जिनमें विषय के मूल्यांकन सूचकों के अनुसार बालक की प्रगति के बारे में विवरणात्मक टिप्पणियाँ दर्ज की जाती हैं।

रचनात्मक मूल्यांकन का एक नमूना

कक्षा-5, माड्यूल-1, विषय - हिन्दी

मूल्यांकन सूचक	ग्रेड	प्रतिपुष्टि टिप्पणी एवं आगामी योजना
1. सुनकर समझना व समझकर बोलना।	A	कहानी से सम्बन्धित विवरण को अपने शब्दों में बीच-बीच से सुनाता है।
2. पढ़ना, पढ़कर समझना।	B	पूर्ण वाक्यों में कभी-कभी नहीं लिख सकता।
3. लिखना।	B	
4. व्यवहारिक व्याकरण।	B	लेखन में मात्रा एवं वर्तनी की गलती। विराम चिह्नों का प्रयोग कम। स्वतंत्र लेखन 4-6 पंक्तियों में करता है। पठन गति धीमी है।
5. स्वतंत्र एवं सृजनात्मक अभिव्यक्ति।	B	

शिक्षक विद्यार्थी बैठक तिथि ..... हस्ताक्षर विद्यार्थी .....

विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम को बालकों तक सम्प्रेषित कर उनका मूल्यांकन करते समय अध्यापकों के समक्ष आने वाली चुनौतियों के प्रत्युत्तर के रूप में विषयवार सोर्स पुस्तिकाएँ विकसित की गई हैं। अध्यापक विषय विशेष में सततता के साथ मूल्यांकन कैसे करें– इसकी सम्पूर्ण प्रक्रिया, उपकरणों, तकनीकी का प्रयोग तथा शिक्षण-मूल्यांकन के कुछ उदाहरण (गतिविधियाँ) इत्यादि बिन्दु इन सोर्स बुक्स में डाली गई हैं।

सत्र के अन्त में दिया जाने वाला विद्यार्थी अभिलेख प्रपत्र तथा प्राथमिक स्तर पूर्ण करने पर दिया जाने वाला संचयी अभिलेख प्रपत्र दोनों में ही विषयवार मूल्यांकन हेतु टिप्पणियाँ एवं ग्रेड देने की व्यवस्था है। ये मूल्यांकन प्रपत्र बालक के प्रत्येक विषय में अर्जित की जाने वाली दक्षताओं की जानकारी देते हैं। बालक द्वारा अन्य विद्यालय में प्रवेश लेने पर भी इन प्रपत्रों के आधार पर हर विषय में बालक को उससे अगले स्तर पर अध्ययन करवाया जा सकेगा।

–प्रभारी (सीसीई)
एसआईईआरटी, उदयपुर

... मेरे कहने का आशय यह है कि शुरू से ही हमें बालकों में गलत आदत नहीं डालनी चाहिए। जब बालक स्वाभाविक रूप में चलने लगे, तो उसे गोद में न उठाएँ। जब वह थक जाए तब उठाएँ, या जल्दबाजी हो तब की बात अलग है। दूसरी बात यह, कि अन्य बालकों की माँएँ जब उन्हें लाड़ लाड़ में उठाएँ, और हलरायें-दुलरायें, तब हमें ललचाने की जरूरत नहीं है। अगर हम में उन जैसी ममता न दिखे तो कोई हर्ज नहीं। बालक को स्वतः चलने देने का आपका प्रयत्न अगर बुरा या कम दया वाला दिखे, तो दिखने दें। और हाँ, सेठों के यहाँ आयाओं की गोदी में लदे बच्चों को देखकर अगर हमारे बच्चे भी वैसी जिद करें, तो उन्हें गोदी में हर्गिज न उठाएँ। जिस तरह से हम उनके लिए मोटर नहीं खरीद सकते, वैसे ही उनकी आया भी नहीं बनना चाहिए।

बच्चे चल नहीं सकेंगे, अतः उन्हें बार-बार उठाकर चलाया जाए, ऐसा हर्गिज न करें। उनमें चलने की शक्ति बहुत होती है। छोटे बच्चों को बहुधा हम प्रवास पर लेकर जाते हैं। तब हमें उनकी इस शक्ति को देखकर बहुत ताज्जुब हुआ है। जब उनके साथ उनके लाड़-प्यार करने वाले माता-पिता या नौकर नहीं होते, तो फटाफट स्वच्छंद भाव से वे अपना काम खुद करने लगते हैं, और अपनी वास्तविक शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। लेकिन जब कभी उनके माता-पिता साथ में होते हैं, तो सचमुच प्राणवान होते हुए भी वे दुर्बलता दिखाने लगते हैं और थकने लग जाते हैं। उनमें से भी जो माता-पिता जरूरत से ज्यादा चिंता या पक्षपात करते हैं, उनके बच्चे तो सचमुच ही अशक्तप्रायः बन जाते हैं।

–गिजुभाई (माता पिता के प्रश्न)

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में कला, शारीरिक व स्वास्थ्य शिक्षा एवं अन्य गतिविधियों की भूमिका

❑ अमित गर्ग

'सच्ची शिक्षा वही है जो बच्चे की शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक क्षमता को जागृत करे और इन्हें सामने लाएँ।' महात्मा गाँधी के इस कथन में जो भाव अन्तर्निहित हैं उससे हम सभी सहमत हैं। शिक्षा वह शस्त्र है जिसमें व्यक्ति व समाज को बदलने की क्षमता है और यह तभी संभव है जब हम संज्ञानात्मक एवं भावनात्मक प्रक्रिया के बीच के अन्तराल को समाप्त करने की ओर पहल करें। यह प्रयास पायलेट प्रोजेक्ट के माध्यम से किया गया। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया के अन्तर्गत बच्चों के साथ संज्ञानात्मक व सहसंज्ञानात्मक दोनों ही क्षेत्रों पर कार्य करने का प्रयास किया गया।

कला शिक्षा : कला शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में सौंदर्यबोध, कल्पनाशीलता तथा सृजनशीलता का विकास करना है। बच्चे जब विद्यालय में आते हैं तो अपने परिवेशीय, अनुभवों के साथ आते हैं। विद्यालय में विभिन्न क्रिया-कलापों, विचार-विमर्श के दौरान जब वे एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं तो अपने विचारों को एक-दूसरे तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार की कला सम्बन्धी गतिविधियाँ बच्चों के चिंतन, विचार और रचना को विस्तार प्रदान करते हैं। जब सहपाठी व शिक्षक उनकी इस रचना की प्रशंसा करते हैं तो बच्चा प्रोत्साहित होकर सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ता है।

विभिन्न विषयों के साथ कला को जोड़ दें तो अन्य विषयों में बच्चों के सीखने के काफी अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं क्योंकि विषय के साथ कला का संयोग होने से बच्चों का ध्यान एकाग्र हो जाता है और रुचि भी बढ़ जाती है। यह तभी संभव हो सकता है जब शिक्षक समग्र दृष्टिकोण अपनाएँ तथा अपनी कार्य योजना में कला सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों को पर्याप्त स्थान दें। यदि हमें सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अन्तर्गत बच्चों का व्यापक मूल्यांकन करना है तो कला के द्वारा विकसित होने वाले पक्षों पर भी शिक्षक को कार्य करना होगा। शिक्षक द्वारा कला के माध्यम से शिक्षण प्रक्रियाओं को निम्नानुसार उपयोग में लिया जा सकता है।

- किसी घटना या संदेश को समझने व याद रखने के लिए उसे कहानी की तरह या नाटक के रूप में बच्चों से प्ले करवाया जावे। जैसे– कछुआ-खरगोश कहानी।
- भाषा में कविता को प्रस्तुतीकरण के माध्यम या धुन बजाकर कार्य करने पर बच्चों को शीघ्रता से याद करवाई जा सकती है।
- पर्यावरण अध्ययन के तहत फली अथवा पेड़-पौधों की संरचना के अध्ययन हेतु अवलोकन करवाकर, उनका चित्र बनवाकर एवं पेड़ के विभिन्न भागों को नामांकित करवाकर विज्ञान को सीखने में मदद की जा सकती है।
- रेखागणित जो कि ज्यॉमिति आकारों पर आधारित है चित्रकला के माध्यम से शिक्षण प्रभावशाली बनाया जा सकता है।

इसी प्रकार अन्य विषयों के माध्यम से कला शिक्षण करवाया जा सकता है। यदि समन्वित दृष्टि से कलाओं पर कार्य करवाना है तो शिक्षक द्वारा योजना बनाकर सप्ताह में 2 दिन इस पर कार्य होना चाहिए जिससे बच्चों के साथ कार्य की प्रगति को भी आंका जा सके तो सतत एवं समग्र मूल्यांकन का एक अंग है।

स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा : जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया को लागू कर रहे हैं तो स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बालक के सर्वांगीण विकास का प्रथम चरण स्वास्थ्य व इससे सम्बन्धित शिक्षा है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहसंज्ञानात्मक क्षेत्र के वे सभी तत्व उतना ही महत्व रखते हैं जितना कि संज्ञानात्मक क्षेत्र का। जब हम सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रक्रिया से मूल्यांकन करने की बात करते हैं तो बालक के सर्वांगीण विकास के प्रथम चरण की दृष्टि से स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कहा भी गया है कि ''स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है।'' अतः बालक के शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना अवलोकन अनुभव लेखन द्वारा संतुलित विकास, शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति चेतना, स्वस्थ आदतें आदि की मूल्यांकन प्रक्रिया सतत व व्यापक मूल्यांकन को सार्थकता प्रदान करते हैं।

इस विषय क्षेत्र में शिक्षकों से यह आशा की जाती है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विषयवस्तु को केवल याद कराने तक ही सीमित न रखा जाये, अपितु विद्यार्थियों में अपेक्षित दक्षताओं के विकास के अवसर दें। इन दक्षताओं को प्राप्त करने हेतु अधिगम क्षेत्र के रूप में इस विषय के अन्तर्गत स्वास्थ्य शिक्षा प्राथमिक उपचार, पर्यावरण शिक्षा, शैक्षिक व्यायाम, करतब, पिरामिड एवं जिम्नेस्टिक, यौगिक व मनोरंजन क्रियाएँ, विभिन्न प्रकार के खेल आदि को स्थान दिया गया है। जो आनन्दपूर्ण जीवन कला व स्वास्थ्य सामाजिकता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। शिक्षक कक्षा कक्ष की गतिविधियों के दौरान विद्यार्थियों द्वारा अवलोकन, संकलन, वर्गीकरण आदि क्रियाओं के अतिरिक्त सम्बन्धित प्रायोगिक कार्यों को स्थान दें, जिससे प्राप्त ज्ञान का उपयोग भविष्य में अपने जीवन एवं समाज के हित में उपयोग कर सकें।

अन्य गतिविधियाँ : उच्च प्राथमिक स्तर पर यह विषय औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त ज्ञान के उपयोग के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। बच्चों में यह जिज्ञासा होती है कि वे प्राप्त ज्ञान अनुभवों व कार्य क्षमता

के आधार पर कुछ नवीन कार्य करें। इस विषय के अन्तर्गत विभिन्न कार्य जैसे– अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तु बनाना, लकड़ी, कागज, कपड़े से खिलौने/वस्तुएँ बनाना, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, उपकरणों की मरम्मत आदि करवाकर बच्चों में जीवन कौशल की प्रक्रियाओं सम्बन्धी तत्वों का विकास किया जा सकता है। कार्य करवाने के दौरान शिक्षक द्वारा किये जा रहे अवलोकन के माध्यम से बच्चों में अनुशासन, श्रम के प्रति निष्ठा, कार्य रुचि व रुझान, कार्य की पहल, कार्य कुशलता, अभिव्यक्ति, तार्किक सहयोग समूह में कार्य की स्थिति कौशल आदि गुणों का मूल्यांकन किया जा सकता है। यह विषय बच्चों को अनुभव, अनुशासन व स्वावलम्बन की ओर ले जाता है।

चूँकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अतः बच्चों को विद्यालय रूपी समाज में रखकर ऐसे गुणों का विकास किया जाये जो समाज के प्रति अपनी भूमिका को भलीभाँति निर्वाह कर सकें।

सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्रियान्वयन में उपर्युक्त विषयों का स्थान महत्वपूर्ण है। हमें हमारे पाठ्यक्रम में इन सभी विषयों को महत्वपूर्ण स्थान देना होगा। विषयों में भी व्यापकता के पहलू को देखा जाना आवश्यक है। विभिन्न विषयों का अन्तर्सम्बन्ध कक्षागत प्रक्रियाएँ जो बच्चों को शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, भावनात्मक विकास की ओर ले जा सकें।

यदि हम सही अर्थों में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन करना चाहते हैं तो हमें कला शिक्षा, स्वास्थ्य व शारीरिक शिक्षा तथा कार्यानुभव जैसे विषयों को भी अन्य विषयों के बराबर महत्व देना होगा तथा इन विषयों के अन्तर्गत आने वाली गतिविधियों का आयोजन कर सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी। ये गतिविधियाँ कक्षा-कक्षीय भी हो सकती है या किसी विशेष अवसर/उत्सव पर भी आयोजित करवाई जा सकती है। बच्चे अपनी गतिविधियों का प्रदर्शन एकल रूप में भी कर सकते हैं और सामूहिक रूप में भी। आवश्यकता केवल इस बात की है कि शिक्षक बालक की आवश्यकताओं को समझे, उसके अन्दर छिपे विशिष्ट गुणों को पहचान कर बाहर लाये व उन्हें विकसित होने का पर्याप्त अवसर प्रदान करें।

अतः सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अन्तर्गत कक्षाकक्ष ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण विद्यालय का वातावरण में इस प्रकार परिवर्तन करना होगा जो बच्चे के ज्ञानात्मक पक्ष के साथ-साथ उनके भावात्मक व क्रियात्मक पक्षों का विकास सुनिश्चित करें। यही सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मूल आत्मा है।

–सहायक परियोजना समन्वयक
सर्व शिक्षा अभियान, जयपुर

विद्यालय प्रसारण कार्यक्रम

माह : अक्टूबर, 2012 **प्रसारण समय : दोपहर 2.10 से 2.30 तक**

दिनांक	वार	आकाशवाणी केन्द्र	कक्षा	विषय	पाठ्यपुस्तक का नाम	पाठ क्रमांक	पाठ का नाम
1.10.2012	सोमवार	बीकानेर	10	संस्कृत	शेमुषी-द्वितीयो भागः	7	भूकम्पविभिषिका
2.10.2012	मंगलवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम			गाँधी जयन्ती एवं शास्त्री जयन्ती
3.10.2012	बुधवार	जोधपुर	10	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-II	4	विरासत का संरक्षण
4.10.2012	गुरुवार	उदयपुर	10	सामाजिक विज्ञान	भारत और समकालीन विश्व-II	5	औद्योगिकरण का युग
5.10.2012	शुक्रवार	बीकानेर	10	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-II	7	लघु उद्योग, हस्तशिल्प, खादी एवं ग्रामोद्योग
6.10.2012	शनिवार	जयपुर	8	सामाजिक विज्ञान	हमारे अतीत-III भाग-I	3	ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना
8.10.2012	सोमवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम			भारत अनेकता में एकता
9.10.2012	मंगलवार	उदयपुर	10	हिन्दी	क्षितिज भाग-II	6	नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान
10.10.2012	बुधवार	बीकानेर	7	हिन्दी	बसंत भाग-II	8	शाम– एक किसान
11.10.2012	गुरुवार	जयपुर		गैरपाठ्यक्रम			हम और हमारे वर्ष
12.10.2012	शुक्रवार	जोधपुर	12	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-4	4	आधुनिक राजस्थान में सामाजिक विकास
13.10.2012	शनिवार	उदयपुर	10	राजस्थान अध्ययन	राजस्थान अध्ययन भाग-II	6	पशुधन एवं डेयरी विकास
15.10.2012	सोमवार	बीकानेर		गैरपाठ्यक्रम			नशा नाश की जड़ है
17.10.2012	बुधवार	जयपुर	4	सामाजिक विज्ञान	पर्यावरण अध्ययन प्रथम	6	राजस्थान के ऐतिहासिक दुर्ग
23.10.2012	मंगलवार	जोधपुर		गैरपाठ्यक्रम			प्रदूषण कैसे रोकें
25.10.2012	गुरुवार	उदयपुर	6	विज्ञान	विज्ञान	7	पौधों को जानिए
26.10.2012	शुक्रवार	बीकानेर		गैरपाठ्यक्रम			दहेज प्रथा एक अभिशाप
29.10.2012	सोमवार	जयपुर	9	संस्कृत	शेमुषी - प्रथमो भागः	6	भ्रान्तो बालः
30.10.2012	मंगलवार	जोधपुर	5	हिन्दी	हिन्दी	5	सफलता की कुंजी
31.10.2012	बुधवार	उदयपुर		गैरपाठ्यक्रम			इन्दिरा गाँधी पुण्य तिथि संकल्प दिवस

लहर कार्यक्रम तथा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में सहसम्बन्ध

❑ बृजमोहन इष्टवाल

कार्यक्रम परिचय : सर्व शिक्षा अभियान द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर प्रारम्भ की गई एक गतिविधि लहर कार्यक्रम है। यह कार्यक्रम राज्य में सत्र 2008-09 में प्रारम्भ किया गया था। वर्तमान में कार्यक्रम 12000 विद्यालयों में कक्षा-1 व 2 में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराकर प्राथमिक स्तर पर उनके नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करना है।

लहर कार्यक्रम गतिविधि आधारित सीखने-सिखाने की एक प्रक्रिया है। यह विचार कि, इंसान अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करता है। अन्य मानवीय एवं भौतिक संसाधन उसके सीखने में मददगार हो सकते हैं किन्तु सीखना स्वयं को होता है, लहर कार्यक्रम का मूल आधार है। कार्यक्रम में अपनाई जा रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बाल केन्द्रित है, जो पूर्णतया गतिविधि आधारित है। इस प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चे को महत्वपूर्ण मानते हुए उसे अपनी गति और स्तर से सीखने के अवसर उपलब्ध करवाए गए हैं। बच्चे स्वयं गतिविधियों में शामिल होते हैं, उन्हें करते हैं और करते हुए सीखते हैं।

सीखने-सिखाने की इस प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका एक मददकर्ता के रूप में होती है। शिक्षक बच्चों को विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में शामिल कर सीखने के अवसर उपलब्ध कराता है। बच्चे आवश्यकतानुसार शिक्षक की मदद से, परस्पर दूसरे बच्चों की मदद से और स्वयं के स्तर पर सीखते हुए आगे बढ़ते हैं। सीखने-सिखाने का यह वातावरण भय, दण्ड एवं प्रतिस्पर्धा रहित होता है। बच्चों का मूल्यांकन सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में शामिल है, जो कि प्रत्येक बच्चे द्वारा सीखे हुए का व्यापकता के साथ सतत रूप से होता है।

लहर कार्यक्रम के कुछ महत्वपूर्ण पक्षों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं–

- लहर कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को स्वयं करके सीखने के समस्त अवसर हैं। बच्चे को स्वयं को प्रत्येक गतिविधि में शामिल होना होता है और उस गतिविधि को करके देखना होता है। प्रत्येक बच्चे को अवधारणात्मक कार्य शिक्षक की मदद से, अभ्यास कार्य बच्चों की मदद से एवं अपने स्तर पर तथा मूल्यांकन कार्य स्वयं के स्तर पर करना होता है। गतिविधि आधारित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में प्रत्येक बच्चा प्रत्येक गतिविधि को स्वयं करता है।
- लहर कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे को महत्त्वपूर्ण समझा गया है और प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक गतिविधि पर काम करने के पूरे-पूरे अवसर उपलब्ध कराए गए हैं। लहर में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार है कि प्रत्येक बच्चे को प्रत्येक गतिविधि में शामिल होना होता है। प्रत्येक बच्चे को अवधारणा पर समझ बनाने, अभ्यास करने तथा स्वयं मूल्यांकन करने के पूर्ण अवसर मिलते हैं। किन्हीं एक या दो बच्चों को अधिक महत्ता नहीं दी जाती। लहर में प्रत्येक बच्चे को महत्त्वपूर्ण समझकर प्रत्येक गतिविधि पर काम करने की प्रक्रिया को अपनाया गया है।
- लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया बच्चों को उनकी गति एवं स्तरानुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराती है। लहर आधारित सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में बच्चे को यह अवसर उपलब्ध है कि वह एक दिन में स्वयं की गति के अनुसार जितनी गतिविधियों को क्रमबद्धता के साथ पूरा कर सकता है, करे और अवधारणा स्तर पर अपनी समझ को मजबूत बनाए। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक एवं अन्य बच्चे आवश्यकतानुसार मददगार होते हैं। बच्चे के पास यह अवसर नहीं है कि वह किसी एक गतिविधि को पूरा किए बिना उससे अगली गतिविधि पर कार्य कर सके। लहर कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे के पास अभ्यास एवं मूल्यांकन कार्य के लिए अभ्यास-पुस्तिका दी गई है।
- लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया गतिविधि आधारित है। शिक्षाक्रम में दी गई क्षमताओं, अवधारणाओं को प्राप्त करने के लिए पाठ्यपुस्तक में दी गई विषयवस्तु को गतिविधियों के माध्यम से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के रूप में तैयार किया गया है। यह गतिविधियाँ अवधारणाओं को समझाने, अभ्यास करने तथा मूल्यांकन के रूप में गतिविधि कार्ड में दी गई है। साथ ही ऐसी बहुत सी गतिविधियाँ दी गई हैं, जो बच्चों के साथ सामूहिक रूप से की जा सकती है।
- लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के अन्तर्गत ही सीखे हुए के सतत मूल्यांकन का कार्य किया गया है। इसके अन्तर्गत किसी एक अवधारणा अथवा विषयवस्तु के पूरा होने पर सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में ही मूल्यांकन कार्य किया गया है। इसके साथ-साथ तीन-चार माइलस्टोन पूर्ण होने पर एक बार पुनः अब तक सीखे हुए का मूल्यांकन किया गया है। यह मूल्यांकन कार्य भी गतिविधियों के माध्यम से ही किया गया है जिसे बच्चा स्वनिर्भर होकर अपने स्तर पर करता है। यह औपचारिक तरीके का मूल्यांकन नहीं है बल्कि सीखने-सिखाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। लहर प्रक्रिया में बच्चे को पास या फेल करने की स्थितियाँ ही नहीं बनती है क्योंकि किसी एक लैडर को पूरा करने पर वह तुरन्त उससे अगले लैडर पर काम करना प्रारम्भ कर देता है। दूसरी बात लहर में बच्चे अपने स्तर एवं गति से सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अतः पास या फेल होने की स्थितियाँ इनके साथ नहीं बनती है। यह स्थितियाँ तो बनती हैं कि बच्चे ने किन क्षमताओं को किस स्तर तक अर्जित

किया है अथवा नहीं किया है, किन्तु इस आधार पर किसी बच्चे को पास या फेल कहना उचित नहीं है।

● लहर शिक्षण प्रक्रिया में चूँकि बच्चा ही केन्द्र में है और स्वयं बच्चे को प्रत्येक गतिविधि को करना होता है और शिक्षक व बालक उसके सहयोगी के रूप में होते हैं। अतः गतिविधि को करके देखने की स्थिति में बच्चे के पास स्वयं की मानसिक एवं शारीरिक क्षमता को विकसित करने के अधिकतम अवसर उपलब्ध हैं।

● इस प्रक्रिया में गतिविधि कार्ड के जरिए ऐसी गतिविधियाँ भी इसमें शामिल हैं जो सभी बच्चों को एक साथ करनी होती है। बहुत से क्रियागीत हैं, बाल कविताएँ हैं, खेल हैं जो शिक्षक सभी बच्चों को एक साथ करवाता है। इसमें दो प्रकार की गतिविधियाँ दी गई हैं एक कक्षा-कक्ष स्तर पर की जाने वाली, दूसरी कक्षाकक्ष के बाहर की जाने वाली। यह गतिविधि सामूहिक रूप से कार्य करने का भाव तथा शारीरिक क्षमता के विकास के लिए उपयोगी है।

● लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार है जिसमें शिक्षक और बच्चे एक साथ काम करते हैं। चूँकि यह पूरी प्रक्रिया बाल केन्द्रित है और शिक्षक बच्चे की उस समय मदद करता है जब बच्चा स्वयं शिक्षक के पास गतिविधि कार्ड लेकर आता है। शिक्षक बच्चे को गतिविधि कार्ड पर दी गई अवधारणा को समझाने में मदद करता है। उसके पश्चात् बच्चे को अभ्यास का कार्य स्वयं को ही करना होता है। आवश्यकता पड़ने पर बच्चा शिक्षक एवं अन्य बच्चों से मदद लेता है। इस प्रकार शिक्षक का प्रत्येक बच्चे के साथ बार-बार सम्पर्क होता है। दोनों में पास-पास बैठकर बार-बार बातचीत होती है। यह स्थिति शिक्षक और बच्चे के बीच की दूरी को कम करती है। शिक्षक स्वयं बच्चों के साथ नीचे दरी पर बैठकर काम करता है। शिक्षक और बच्चे के बीच की दूरी कम होने अथवा भयमुक्त माहौल बनने में यह स्थिति एक प्रकार से मददगार बनती है।

● लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया पूर्णतया प्रतिस्पर्धा रहित है क्योंकि इस प्रक्रिया में बच्चे स्वयं अपनी गति और स्तरानुसार सीखते हैं। अतः इसमें बच्चों के अन्दर यह भाव नहीं आता है कि इस एक काम को इसने कर लिया और मैंने नहीं किया। साथ ही किसी लैडर में तीन या चार माइलस्टोन पूर्ण करने पर पूर्ण करने वाले बच्चे को ताज पहनाया जाता है और सभी बच्चे मिलकर उसके लिए तालियाँ बजाते हैं। यह कार्य सभी बच्चों के लिए किया जाता है।

● लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में इस प्रकार की गतिविधियाँ हैं जो बच्चों में लोकतांत्रिक मूल्यों को विकसित करने में मददगार है। पहला मूल्य है बच्चे में स्वयं करके सीखने की आदत का विकास करना। लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार है बच्चे स्वयं गतिविधियों में शामिल होते हैं, गतिविधियाँ करते हैं और करके सीखते हैं।

● दूसरा उपयोग में ली जाने वाली सामग्री के प्रति अपनत्व का भाव एवं उपयोग पश्चात् सामग्री को व्यवस्थित रूप में रखना। लहर सामग्री पूर्णतया बच्चों के उपयोग के लिए है और पूरी सामग्री बच्चों की पहुँच में ही रखी रहती है। सामग्री के रखने की व्यवस्था भी इस प्रकार है कि एक प्रकार की सामग्री का उपयोग कर सामग्री को यथा स्थान पर ही रखते हैं। इस प्रक्रिया में बच्चे स्वयं लैडर पर जाते हैं, ट्रे में से गतिविधि कार्ड लेकर आते हैं, अपने समूह में बैठकर काम करते हैं। काम पूर्ण होने पर गतिविधि कार्ड को जहाँ से लिया है वहीं जाकर रखते हैं। इस तरह से काम करने का तरीका बच्चे में निर्णय लेने की क्षमता विकसित करने में अहम भूमिका निभाता है।

● लहर कार्यक्रम में प्रत्येक बच्चे के लिए स्वयं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए उपस्थिति पत्रक उपलब्ध कराया गया है जिसमें बच्चे स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करते हैं। उपस्थित रहने पर बच्चा स्वयं अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। अनुपस्थित रहने पर अगले दिन आकर उसमें अपनी अनुपस्थिति का संकेत दर्ज करता है। यह गतिविधि बच्चे में एक प्रकार का आत्मविश्वास, उत्तरदायित्व की भावना का बोध तथा ईमानदारी का भाव विकसित करने में मदद करती है।

● लहर कार्यक्रम में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया इस प्रकार व्यवस्थित है कि इसमें स्वतः ही लोगों के अनुसार समूह का निर्माण होता है। यह शिक्षक या बच्चे के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वह अपनी स्वेच्छा से समूह का निर्माण करें, अपनी स्वेच्छा से अपनी पसन्द के बच्चों के साथ बैठकर काम करें। बच्चों की एक समूह में बैठकर काम करने की यह स्थिति उन्हें किसी भी तरह के भेदभाव के भाव से धीरे-धीरे दूर ले जाती है। साथ ही लहर की इस प्रक्रिया में शिक्षक को भी यह अवसर नहीं मिल पाता है कि वह किसी प्रकार का भेदभाव सीखने-सिखाने की दृष्टि से कर पाए।

लहर कार्यक्रम में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन : एनसीएफ-2005 एवं आरटीई-2009 में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो, यह अपेक्षित है। लहर कार्यक्रम में बच्चों का सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सीखने-सिखाने की प्रक्रिया के एक चरण के रूप शामिल हैं। बच्चे जो भी सीख रहे होते हैं उसे निरन्तर दर्ज करने का प्रावधान लहर कार्यक्रम में किया गया है।

लहर कार्यक्रम में सतत मूल्यांकन के अन्तर्गत सर्वप्रथम बच्चों का स्तर आकलन किया जाता है। जब बच्चा कक्षा 1 व 2 में पहली बार जुड़ता है तो प्रासंगिक गतिविधियों के साथ-साथ प्रत्येक बच्चे का विषयवार स्तर पता किया जाता है और स्तर निर्धारण चार्ट (कार्डशीट/पेपरशीट) में दर्ज किया जाता है। यह चार्ट कक्षाकक्ष में प्रदर्शित रहता है।

प्रारम्भिक स्तर आकलन के बाद बच्चे के सीखने में जैसे-जैसे प्रगति होती है, उसकी प्रगति को विषयवार प्रगति चार्ट में नियमित रूप से दर्ज किया जाता है। जब कोई बालक किसी विषय में अपना एक माइलस्टोन पूरा करता है शिक्षक उसी समय उस माइलस्टोन वाले कॉलम में उस दिन की दिनांक को दर्ज करता है और

अपने हस्ताक्षर करता है। यह संकेत प्रस्तुत करता है कि बालक उस दिन सम्बन्धित माइलस्टोन को पूर्ण कर चुका है अर्थात् सीख/समझ चुका है। प्रगति चार्ट विषयवार अलग-अलग कार्डशीट/पेपरशीट पर बनाया जाता है। यह प्रगति चार्ट सतत मूल्यांकन का कार्य करता है।

प्रगति चार्ट का अवलोकन कर यह समझा/समझाया जा सकता है कि बच्चे का सीखना किस तरह हो रहा है। किसी बच्चे ने एक माइलस्टोन को पूर्ण करने में कितने दिन का समय लिया है अर्थात् किसी अवधारणा को समझने, किसी क्षमता पर अपनी समझ बनाने में कितना समय लिया है। यहाँ यह ध्यान रखना महत्त्वपूर्ण है कि बच्चे द्वारा गतिविधियों को पूर्ण करने पर और किसी अवधारणा को समझने, किसी क्षमता पर अपनी समझ बना लेने के बाद माइलस्टोन को भरा जाता है। बच्चे ने पूर्ण किए गए माइलस्टोन में दी गई गतिविधियों को पूर्ण किया है अथवा नहीं, शिक्षक द्वारा यह आकलन कार्य बच्चे की वर्कबुक में किए गए कार्य का आकलन कर तय किया जाता है।

प्रगति चार्ट में माइलस्टोन पूर्ण करने पर शिक्षक द्वारा भरी गई दिनांक से यह भी विश्लेषण किया जा सकता है कि किसी माइलस्टोन को पूर्ण करने में कोई बच्चा अधिक समय ले रहा है तो शिक्षक इस हेतु अलग से योजना बनाकर बच्चे के साथ का कार्य कर सकता है। माइलस्टोन में दर्ज दिनांक के आधार पर शिक्षक यह भी विश्लेषण कर सकते हैं कि बच्चे की प्रगति किस प्रकार हो रही है।

हिन्दी में कक्षा 1 में 17 एवं कक्षा 2 में 14 माइलस्टोन दिए गए हैं।

गणित में कक्षा 1 में 11 एवं कक्षा 2 में 9 माइलस्टोन दिए गए हैं।

अंग्रेजी में कक्षा 1 में 15 एवं कक्षा 2 में 11 माइलस्टोन दिए गए हैं।

रचनात्मक मूल्यांकन : प्रारम्भ में बच्चों का स्तर आकलन करने एवं बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को नियमित रूप से दर्ज करने के साथ समय-समय पर बच्चे की प्रगति का विश्लेषण करने, प्रगति को समझने, जरूरत होने पर बच्चे के लिए किसी प्रकार की योजना बनाने के लिए बच्चे का रचनात्मक मूल्यांकन किया जाता है। जिसे रचनात्मक प्रपत्र में भरा जाता है। स्तर आकलन चार्ट, शैक्षणिक प्रगति चार्ट एवं शिक्षक द्वारा किए गए अन्य प्रकार के अवलोकन रचनात्मक मूल्यांकन करने का आधार होगा। रचनात्मक मूल्यांकन प्रपत्र प्रत्येक बच्चे का व्यक्तिगत होता है। रचनात्मक मूल्यांकन वर्ष में चार बार (अगस्त, अक्टूबर, दिसम्बर एवं फरवरी माह में) किया जाता है। अतः प्रत्येक बच्चे के चार रचनात्मक प्रपत्र भरे जाएँगे।

योगात्मक मूल्यांकन : एक सत्र में प्रत्येक बच्चे का दो बार योगात्मक मूल्यांकन किया जाना है। योगात्मक मूल्यांकन में बच्चों के सीखने की विषयगत उपलब्धि के साथ-साथ उनके व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति उपलब्धि को भी गहनता से समझने का प्रयास किया गया है। व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति उपलब्धि को समझने का कार्य बच्चे द्वारा की जा रही विभिन्न गतिविधियों का अवलोकन कर तथा बच्चे द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों का विश्लेषण के माध्यम से किया जाना है। योगात्मक मूल्यांकन के लिए योगात्मक प्रपत्र उपलब्ध है। योगात्मक प्रपत्र में बच्चे की विषयगत उपलब्धियों के साथ बच्चे के व्यक्तिगत गुण एवं उसकी अभिवृत्तियों पर भी टिप्पणी लिखनी है।

योगात्मक मूल्यांकन सत्र में दो बार करना है। प्रथम योगात्मक मूल्यांकन नवम्बर एवं दूसरा योगात्मक मूल्यांकन अप्रैल माह में किया जाना है। अब तक पूर्ण किए गए रचनात्मक मूल्यांकन प्रपत्र एवं शिक्षक द्वारा किए गए अन्य प्रकार के अवलोकन योगात्मक मूल्यांकन करने का आधार होंगे।

व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति उपलब्धि पर बच्चे के बारे में टिप्पणी लिखने के लिए शिक्षक के लिए यह अनिवार्य है कि वह बच्चे का निम्नांकित अवसरों पर अवलोकन एवं विश्लेषण करें–

● विषयगत सीखने-सिखाने की प्रक्रिया। ● प्रार्थना सभा। ● भोजन अवकाश के दौरान। ● भोजन व्यवस्था के दौरान। ● कक्षाकक्ष के अन्दर एवं बाहर विभिन्न गतिविधियाँ। ● वर्कबुक में किया गया चित्रकला कार्य। ● अन्य आयोजित सभाएँ। ● अनुभव डायरी में शिक्षक द्वारा लिखे गये बच्चों से सम्बन्धित अनुभव। ● एकल और समूह में गाए जा रहे गीत/कविताओं/क्रियागीतों का अवलोकन। ● बच्चों द्वारा बनाए गए मिट्टी/कागज के खिलौनों का अवलोकन। ● वर्कबुक के अतिरिक्त बच्चों द्वारा किए गए कार्यों को आवश्यकतानुसार पोर्टफोलियो में संकलन।

बच्चे के व्यक्तिगत गुण एवं अभिवृत्ति उपलब्धि को निम्नांकित पक्षों के आधार पर समझने का प्रयास किया गया है–

● **सृजनात्मकता–** चित्रकला, संगीत, मिट्टी एवं कागज से खिलौने बनाना, खेलकूद।

● **संवेदनशीलता/जागरूकता–** प्राणियों, वस्तुओं के प्रति संवेदनशीलता। सांस्कृतिक/सामाजिक जागरूकता। स्वास्थ्य/स्वच्छता।

● आत्मविश्वास ● पहल
● देखभाल ● सहयोग

उक्त पक्षों के आधार पर योगात्मक मूल्यांकन के समय शिक्षक बच्चों के बारे टिप्पणियाँ लिखी जानी है और आवश्यकता अनुसार पक्ष को विकसित करने के लिए योजना बना उस पर कार्य किया जाना है।

–सलाहकार, लहर
राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्, जयपुर

अस्थिदान के प्रणेता महर्षि दधीचि

आज के भौतिकता प्रधान युग में अधिकांश लोग काम, क्रोध, मोह, मद जैसे विकारों से ग्रसित होकर अपने लक्ष्य से भटककर दिग्भ्रमित होकर असफल हो जाते हैं। महर्षि दधीचि ने बताया कि ''उद्देश्य की प्राप्ति में ही मानव जीवन की सार्थकता है, उसके लिए सद्गुरु से शिक्षा लेना हितकर है, इसी में श्रेष्ठ जीवन की उपलब्धि है। महर्षि दधीचि के अनुसार सद्गुरु वह है जो परमार्थ को ही अपना ब्रह्मवाक्य मानता हो, जिसे धन-पद-यश व बल की कामना न हो। सर्वश्रेष्ठ गुरु वह है जो शिष्य उत्तम संस्कार, सादगी, स्वाध्याय, स्वशासन, आत्मसम्मान और आत्मज्ञान का संचार करे, किसी लिंग, धर्म, सम्प्रदाय व जाति की तरफ झुकाव न हो, ऐसे सद्गुरु की शरणागत में बालक के उज्ज्वल भविष्य का निर्माण होता है। कहते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, ईश्वर न कोई चमत्कार है, न रहस्य, न पहेली यह तो अनिर्वचनीय है। गुरु का काम ज्ञान देना है वह भी निःस्वार्थ भाव से। लोक कल्याण के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महर्षि दधीचि का नाम सम्पूर्ण संसार में देदीप्यमान है। एक समय की बात है कि देवराज इन्द्र ने यह प्रतिज्ञा की थी कि 'जो कोई अश्विनीकुमारों को ब्रह्मविद्या का उपदेश देगा, उसका मस्तक मैं वज्र से काट लूँगा। वैद्य होने के कारण अश्विनीकुमारों को देवराज इन्द्र हीन मानते थे। अश्विनीकुमारों ने महर्षि दधीचि से ब्रह्मज्ञान का उपदेश प्रदान करने की प्रार्थना की। यदि कोई जिज्ञासु प्रार्थना करे तो उसे भय या लोभवश उपदेश न देना धर्म नहीं है। महर्षि ने उपदेश देना स्वीकार कर लिया। कुमारों ने ऋषि का मस्तक काटकर औषध द्वारा सुरक्षित करके रख लिया और उनके सिर पर घोड़े का सिर लगा दिया। इसी घोड़े के सिर से उन्होंने ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया। इन्द्र ने अपने कथनानुसार वज्र से ऋषि का मस्तक काट दिया, तब कुमारों ने उनका सिर धड़ से लगाकर उन्हें जीवित कर दिया, इसी कारण ऋषि के वंशज अश्वसिरा भी कहे जाते हैं।

जब त्वष्टा के अग्निकुण्ड से उत्पन्न होकर वृत्रासुर ने इन्द्र के स्वर्ग पर अधिकार कर लिया, देवताओं के अस्त्रों को असुर निगल गये तो इन्द्र का सिंहासन हिलने लगा, देवता और वे ब्रह्मा जी के पास गये। ब्रह्मा ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने प्रकट होकर बताया कि महर्षि दधीचि की हड्डियाँ उग्र तपस्या के प्रभाव से दृढ़ व तेजस्विनी हो गई हैं। उन हड्डियों से वज्र बने तभी देवराज इन्द्र उस वज्र से वृत्रासुर को मार सकते हैं। तदनन्तर देवताओं ने महर्षि दधीचि से कहा आप महान उदारवृत्ति व महान हृदय के, महान करुणा के सागर हैं। आपकी इन विशेषताओं की प्रत्येक महापुरुष सदैव ही अत्यन्त सराहना करते रहते हैं। अवश्य ही हमें प्राण देने वाले प्राणी की वेदना का अनुभव नहीं है, किन्तु आप सर्वज्ञानी हैं। अतः आपको हमारी इस दयनीय स्थिति व वेदना का सम्पूर्ण ज्ञान है। आप महान परोपकारी हैं, अतः आप हम पर करुणा करके प्रसन्नता से अपनी देहदान करेंगे ऐसा हमारा आपसे अनुग्रह व विश्वास है। महर्षि दधीचि ने इन्द्रादि देवताओं द्वारा इस निवेदन में उनका अहंकार विलुप्त हुआ जानकर प्रसन्नता से कहा– यह शरीर तो निश्चय ही नश्वर है। न चाहने पर भी एक दिन मुझे छोड़ेगा ही। पर पुरुष के दुःख में दुःखी होकर सहानुभूतिपूर्वक उसके दुःख को दूर करने वाला शरीर ही उत्तम श्रेणी को प्राप्त करता है। भगवान शंकर से मैंने अदीन रहने का वर पाया है। इस क्षणभंगुर शरीर से आपका कल्याण हो यही कामना है।

अथर्ववेदी दधीचि ने ऐसा निश्चय करके परमपिता परमात्मा में अपने को लीन करके अपना स्थूल शरीर त्याग दिया। उनके इन्द्रिय, प्राण, मन और बुद्धि संयत थे, दृष्टि तत्त्वमयी थी। उनके सारे बन्धन कट चुके थे। अतः जब वे भगवान से अत्यन्त युक्त होकर स्थित हो गये, तब उन्हें बात का पता ही नहीं चला कि शरीर छूट गया है। विश्वकर्मा ने महर्षि दधीचि की हड्डियों से वज्र बनाकर इन्द्र को दिया और इन्द्र ने उस वज्र से वृत्रासुर का वध करके सम्पूर्ण लोकों को भयमुक्त कर दिया।

परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय दुहन्ति गावः।
परोपकाराय बहन्ति नद्यः, परोपकाराय सतां विभूतयः॥

–गोपाल काकड़ा, क.लि.
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

छात्रवृत्ति का वितरण

कुमारी प्रियंका जाखड़ मेमोरियल चेरिटेबल ट्रस्ट अठवास (सीकर) द्वारा गत वर्ष की भाँति इस वर्ष भी प्रियंका स्मृति छात्रवृत्ति का वितरण विभिन्न स्तरों पर किया गया। ट्रस्ट द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर की कक्षा-10 परीक्षा, 2012 में सीकर जिले में छात्रा वर्ग में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाली व राजस्थान बोर्ड मेरिट में 11 वाँ स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी चन्द्रिका पुत्री श्री समीर कुमार, देवीपुरा, सीकर को 15 अगस्त, 2012 को जिला स्टेडियम, सीकर में स्वाधीनता दिवस समारोह में माननीय श्री एमामुद्दीन अहमद दुर्रूमिया, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री राजस्थान सरकार, श्री धर्मेन्द्र भटनागर, जिला कलक्टर, सीकर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा विधायक, श्रीमती रीटा चौधरी, जिला प्रमुख, सीकर के कर कमलों से ट्रस्ट द्वारा उपलब्ध करवाई गई छात्रवृत्ति राशि 3100 रुपये नकद एवं प्रशस्ति पत्र सम्मान स्वरूप प्रदान किया गया। इसी क्रम में फतेहपुर तहसील में छात्रा वर्ग में सर्वोच्च अंक हासिल करने एवं बोर्ड मेरिट में 15वाँ स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा कुमारी पूजा कंवर पुत्री श्री श्रवण सिंह कारगा को ट्रस्ट द्वारा छात्रवृत्ति स्वरूप 2100 रुपये नकद तथा एक प्रशस्ति पत्र ट्रस्टी श्री ईश्वर सिंह जाखड़ ने प्रदान कर छात्रा को सम्मानित किया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अठवास, सीकर में छात्रा वर्ग में सर्वोच्च अंक हासिल करने वाली छात्रा कुमारी शर्मिला पुत्री श्री बुधराम को छात्रवृत्ति स्वरूप 1100 रुपये नकद तथा एक प्रशस्ति पत्र ट्रस्टी श्री ईश्वर सिंह जाखड़ ने प्रदान कर छात्रा को सम्मानित किया।

ट्रस्ट द्वारा उक्त पुरस्कार राशि का वितरण कुमारी प्रियंका की स्मृतियों को चिर स्थायी बनाने के साथ-साथ बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने एवं ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक शैक्षिक एवं सर्वहित जन कल्याण कार्यों को अंजाम देने एवं प्रोत्साहन देने हेतु प्रदान की गई है। ट्रस्ट की अध्यक्षा श्रीमती सावित्री ने बताया कि ट्रस्ट के उद्देश्यों एवं भावनाओं के अनुरूप ट्रस्ट द्वारा लगातार सर्वहित कल्याण कार्यों को अंजाम दिया जा रहा है तथा बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु छात्रवृत्ति का वितरण भी बालिकाओं को प्रोत्साहन देने एवं शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणास्वरूप प्रदान की जा रही है।

अक्सर सामान्य पाठ्यपुस्तकों से हमें अचूक उपदेश मिल जाते हैं। इन दिनों मैं उर्दू की रीडरें पढ़ रहा हूँ। उनमें कोई-कोई पाठ बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसे एक पाठ का असर मुझ पर तो भरपूर हुआ। दूसरों पर भी वैसा ही हो सकता है। अतः उसका सार यहाँ दिये देता हूँ–

पैगंबर साहब के देहांत के बाद कुछ ही बरसों में अरबों और रूमियों (रोमनों) के बीच महासंग्राम हुआ। उसमें दोनों पक्ष के हजारों योद्धा खेत रहे, बहुत से जख्मी भी हुए। शाम होने पर आमतौर से लड़ाई बंद हो जाती थी। एक दिन जब इस तरह लड़ाई बंद हुई तब अरब-सेना में एक अरब अपने चचेरे भाई को ढूँढ़ने निकला कि उसकी लाश मिल जाय तो दफनाए और जिंदा मिले तो सेवा करे। शायद वह पानी के लिए तड़प रहा हो, यह सोचकर उसने अपने साथ लोटाभर पानी भी ले लिया।

तड़पते घायल सिपाहियों के बीच वह लालटेन लिये देखता जा रहा था। उसका भाई उसे मिल गया और सचमुच ही उसे पानी की रट लग रही थी। जख्मों से खून बह रहा था। उसके बचने की आशा थोड़ी ही थी। भाई ने पानी का लोटा उसके पास रख दिया। इतने में किसी दूसरे घायल की 'पानी-पानी' की पुकार सुनाई दी। अतः उस दयालु सिपाही ने अपने भाई से कहा, ''पहले उस घायल को पानी पिला आओ, फिर मुझे पिलाना।'' जिस ओर से आवाज आ रही थी उस ओर यह भाई तेजी से कदम बढ़ाकर पहुँचा।

यह जख्मी बहुत बड़ा सरदार था। उक्त अरब उसको पानी पिलाने और सरदार पीने को ही था कि इतने में तीसरी दिशा से पानी की पुकार आई। यह सरदार पहले सिपाही के बराबर ही परोपकारी था। अतः बड़ी कठिनाई से कुछ बोलकर और कुछ इशारे से समझाया कि पहले जहाँ से पुकार आई है वहाँ जाकर पानी पिला आओ। निःश्वास छोड़ता हुआ यह भाई वायुवेग से दौड़कर, जहाँ से आर्त्तनाद आ रहा था, वहाँ पहुँचा। इतने में इस घायल सिपाही ने आखिरी साँस ले ली और आँखें मूँद लीं। उसे पानी न मिला ! अतः यह भाई उक्त जख्मी सरदार, जहाँ पड़ा था, वहाँ झटपट पहुँचा; पर देखता है कि उसकी आँखें भी तब तक मुँद चुकी थीं। दुःखभरे हृदय से खुदा की बंदगी करता हुआ वह अपने भाई के पास पहुँचा तो उसकी नाड़ी भी बंद पाई, उसके प्राण भी निकल चुके थे।

यों तीनों घायलों में किसी ने भी पानी न पाया; पर पहले दो अपने नाम अमर करके चले गए। इतिहास के पन्नों में ऐसे निर्मल त्याग के दृष्टांत तो बहुतेरे मिलते हैं। उसका वर्णन जोरदार कलम से किया गया हो तो उसे पढ़कर हम दो बूंद आँसू भी गिरा देते हैं; पर ऊपर जो अद्भुत दृष्टांत लिखा गया है उसके देने का हेतु तो यह है कि उक्त वीर पुरुषों के जैसा त्याग हममें भी आये और जब हमारी परीक्षा का समय आये तब दूसरे को पानी पिलाकर पियें, दूसरे को जिलाकर जियें और दूसरे को जिलाने में खुद मरना पड़े तो हँसते चेहरे से कूच कर जाएँ।

मुझे ऐसा जान पड़ता है कि पानी की परीक्षा से कठिनतर परीक्षा एकमात्र हवा की है। हवा के बिना तो आदमी एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। इसी से सम्पूर्ण जगत हवा से घिरा हुआ जान पड़ता है। फिर भी कभी-कभी ऐसा भी वक्त आता है जब आलमारी जैसी कोठरी के अंदर बहुत से आदमी ठूँस दिये गये हों, एक ही सुराख से थोड़ी-सी हवा आ रही हो, उसे पा सके वही जिये, बाकी लोग दम घुटकर मर जाएँ। हम भगवान से प्रार्थना करें कि ऐसा समय आये तो हम हवा को जाने दें।

हवा से दूसरे नम्बर पर पानी की आवश्यकता– प्यास है। पानी के प्याले के लिए मनुष्यों के एक-दूसरे से लड़ने-झगड़ने की बात सुनने में आई है। हम यह इच्छा करें कि ऐसे मौके पर उक्त बहादुर अरबों का त्याग हममें आये; पर ऐसी अग्नि परीक्षा तो किसी एक की ही होती है। सामान्य परीक्षा हम सबकी रोज हुआ करती है। हम सबको अपने-आपसे पूछना चाहिए– जब-जब वैसा अवसर आता है तब-तब क्या हम अपने साथियों, पड़ोसियों को आगे करके खुद पीछे रहते हैं? न रहते हों तो हम नापाक हुए, अहिंसा का पहला पाठ हमें नहीं आता।

'धर्म-नीति' से

बापू की सीख-16

अद्भुत त्याग

□ मो. क. गाँधी

महात्मा गाँधी का व्यक्तित्व बहुआयामी था। राजनीति, अर्थनीति, समाजनीति एवं शिक्षा सभी क्षेत्रों में उनके विचार बहुत उपयोगी हैं। वस्तुतः वे एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक थे। उनकी शिक्षा सम्बन्धी 21 रचनाएं 'बापू की सीख' नामक पुस्तक में प्रकाशित हुई हैं। शिविरा के सुधि पाठकों के लिए उन्हें शृंखलाबद्ध प्रकाशित किए जाने का निर्णय लिया गया है। आशा है पाठक इन विचारों को पठन, मनन के साथ आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। –वरिष्ठ सम्पादक

शिक्षा स्वराज्य की कुंजी है।

***

'राष्ट्रीय शिक्षा का अर्थ राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्रीय शिक्षा का काम छोटा नहीं है, वह समग्र जीवन-व्यापी है। हम समग्र जीवन की ऐसी फिलॉसफी रचें कि जिससे एक नया ही समाज निर्माण हो। जो स्वयंभू, स्वतंत्र, स्वयंशासित, स्वयं प्रेरित हो। नया जीवन-शास्त्र राष्ट्रव्यापी, राष्ट्रोपयोगी, लोक कल्याणकारी और लोक सुलभ होना चाहिए।

–महात्मा गाँधी

अन्तर्राष्ट्रीय गणित वर्ष

वैदिक सूत्रों के अनुप्रयोग

❑ डॉ. के.डी. शर्मा

(अ) संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना

(i) 10 से कम की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए 10 में से संख्या को घटाते हैं तथा शेषफल को उस संख्या में से घटाते हैं एवं शेषफल का वर्ग करते हैं।

उदाहरण– 8^2 ज्ञात करना है।

10 में से 8 को घटाया, शेषफल 2

शेषफल 2 को 8 में से घटाया, शेषफल 6 तथा पूर्व शेषफल 2 का वर्ग किया अर्थात् 4

अतः $8^2 = (8-2)/2^2 = 6/4 = 64$

इसी प्रकार–

$9^2 = (9-1)/1^2 = 8/1 = 81$

$7^2 = (7-3)/3^2 = 4/9 = 49$

$6^2 = (6-4)/4^2 = 2/_16 = 36$

$5^2 = (5-5)/_25 = 0/_25 = 25$

(ii) 10 से अधिक की संख्या का वर्ग ज्ञात करने के लिए संख्या में से 10 को घटाते हैं तथा शेषफल को संख्या में जोड़ देते हैं एवं शेषफल का वर्ग करते हैं।

उदाहरण– 11^2 ज्ञात करना।

11 में से 10 घटाने पर शेषफल 1, शेषफल 1 को संख्या 11 में जोड़ने पर 12 प्राप्त होते हैं तथा शेषफल 1 का वर्ग करने पर 1 प्राप्त होता है। अतः

$11^2 = (11+1)/1^2 = 12/1 = 121$

$12^2 = (12+2)/2^2 = 14/4 = 144$

$15^2=(15+5)/5^2=20/_25 = 225$

$17^2=(17+7)/7^2=24/_49 = 289$

$19^2=(19+9)/9^2=28/_81 = 361$

इस विधि से दो या अधिक अंकों की संख्याओं का वर्ग ज्ञात किया जा सकता है। 20 से अधिक की संख्याओं का वर्ग निम्नलिखित तरीके से ज्ञात करना सुविधाजनक होगा–

उदाहरण– (i) 29^2, आधार 20 लेते हैं। 29 आधार 20 से 9 अधिक है अतः 29 में 9 जोड़ देते हैं, योगफल 38 प्राप्त हुआ, 9 का वर्ग करते हैं, 81 प्राप्त होता है जिसकी हासिल 8 है। चूँकि आधार 20, 10 का दुगुणा है अतः 38×2 = 76 में हासिल 8 जोड़ देने पर 84 प्राप्त होते हैं अतः

29 + 9 (∵ 29, आधार 20 से 9 ज्यादा है।)

29 + 9

38 /81 (∵ आधार 20, 10 का दुगुणा है।)

×2

$= 76/_81 = 76+8/1 = 84/1 = 841$

अतः $29^2 = 841$

अथवा 29^2

29 − 1 (आधार 30 लेते हैं, 29, 30 से एक कम है।)

29 − 1

$28/1^2$ (∵ आधार 30, 10 का तिगुणा है।)

×3

84/1= 841

उदाहरण– (ii) 74^2, आधार 70 लेने पर 74, 70 से 4 अधिक है। अतः

74 + 4

74 + 4

78/16 (∵ 74+4 = 78 तथा 4^2 =16 जिसमें हासिल 1 है।)

×7

$= 546/_16 = 547/6 = 5476$

वर्ष 2012 दुनिया में गणित वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। गत अंक में हमने वैदिक गणित के प्रथम तीन सूत्रों को जाना। इस अंक में वैदिक सूत्रों के अनुप्रयोग दिए जा रहे हैं। शिक्षकों एवं गणित में रुचि रखने वालों के लिए यह सामग्री उपयोगी एवं संग्रहणीय है। हमारे निवेदन पर इतना श्रमसाध्य कार्य कर समय पर हमें उपलब्ध करवाने के लिए हम डॉ. के.डी. शर्मा सर के प्रति आभारी हैं। यह अगले अंकों में भी जारी रहेगा। –व.सं.

अथवा आधार 80 लेने पर, 74, 80 से 6 कम है। अतः

74 − 6 (∵ 74-6= 68)

74 − 6

68/36

×8 $= 544/_36 = 547/6 = 5476$

100 के नजदीक की संख्याओं का वर्ग करने के लिए आधार 100 लेते हैं।

उदाहरण–

(i) $84^2=(84–16)/256=68/_256=7056$

(ii) $91^2=(91–9)/81=82/81=8281$

(iii) $92^2=(92–8)/64=84/64=8464$

(iv) $93^2=(93–7)/49=86/49=8649$

(v) $94^2=(94–6)/36=88/36=8836$

(vi) $95^2=(95–5)/25=90/25=9025$

(vii) $99^2=(99–1)/01=98/01=9801$

(∵ 99^2 में चार अंक होंगे अतः $1^2=01$)

(viii) $98^2=(98–2)/04=96/04=9604$

(ix) $97^2=(97–3)/09=94/09=9409$

इसी प्रकार 1000 की नजदीक की संख्याओं का वर्ग करने के लिए आधार 1000 एवं 10000 की नजदीक की संख्याओं का वर्ग करने के लिए आधार 10000 लेते हैं।

उदाहरण–

(i) $1003^2 = (1003+3)/009$
$= 1006/009 = 1006009$

(ii) $988^2 = (988-12)/12^2 = 976/144$
$= 976144$

(iii) $993^2 = (993-7)/049 = 986/049$
$= 986049$

(iv) $9984^2 = (9984-16)/0256$
$= 9968/0256$
$= 99680256$

(v) $9989^2 = (9989-11)/0121$
$= 9978/0121$
$= 99780121$

(ब) संख्याओं का वर्ग जिनका इकाई का अंक 5

ऐसी संख्याएँ जिनका इकाई का अंक 5 हो उनका वर्ग ज्ञात करने के लिए $5^2=25$ सदैव इकाई एवं दहाई के स्थान पर अभीष्ट वर्गफल में रखें तथा संख्या (जिसका वर्ग ज्ञात करना है) के दहाई के अंक में (प्रथम वैदिक सूत्र ''एकाधिकेन पूर्वेण'') एक जोड़कर दहाई के अंक से गुणा कर 25 के बाएँ ओर लिखने पर अभीष्ट वर्गफल प्राप्त होता है।

उदाहरण–

(i) $15^2 = (2\times1)/25 = 225$ (∵ दहाई के अंक 1 में 1 जोड़ने पर 2 प्राप्त होता है तथा 2×1=2, 25 के बाँईं ओर लिखते हैं)

(ii) $25^2 = (3\times2)/25 = 6/25 = 625$ (∵ दहाई के अंक 2 में 1 जोड़ने पर 3)

(iii) $35^2 = (4\times3)/25 = 12/25 = 1225$

(iv) $45^2 = (5\times4)/25 = 20/25 = 2025$

(v) $55^2 = (6\times5)/25 = 30/25 = 3025$

(vi) $65^2 = (7\times6)/25 = 42/25 = 4225$

(vii) $75^2 = (8\times7)/25 = 56/25 = 5625$

(viii) $85^2 = (9\times8)/25 = 72/25 = 7225$

(ix) $95^2 = (10\times9)/25 = 90/25 = 9025$

(x) $105^2 = (11\times10)/25 = 110/25 = 11025$

(xi) $185^2 = (19\times18)/25 = 342/25 = 34225$

(xii) $195^2 = (20\times19)/25 = 380/25 = 38025$

नोट– उदाहरण (x) में 5 के बाँयें ओर 10 में 1 जोड़ने पर 11 तथा 11×10 करते हैं, (xi) में 5 के बाँयें ओर 18 में 1 जोड़ने पर 19 तथा 19×18 करते हैं तथा (xii) में 5 के बाँयें ओर 19 में 1 जोड़ने पर 20 तथा 20×19 करते हैं।

इस विधि से उन तमाम संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिनकी इकाई का अंक 5 हो। उपरोक्त उदाहरण मौखिक रूप से तुरन्त हल किये जा सकते हैं।

उपरोक्त विधि ऐसी दो भिन्न संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करने के लिए भी संभव है जिनमें इकाई के अंकों का योग 10 हो तथा दहाई के अंक समान हों। इकाई के अंकों का परस्पर गुणा करते हैं तथा दहाई के अंक में 1 जोड़कर दहाई के अंक से गुणा करते हैं।

उदाहरण–

(i) 27×23=(2+1)×2/7×3=6/21=621

(ii) 38×32=(3+1)×3/8×2=12/16=1216

(iii) 44×46=(4+1)×4/4×6=20/24=2024

(iv) 57×53=(5+1)×5/7×3=30/21=3021

(v) 63×67=(6+1)×6/7×3=42/21=4221

(vi) 72×78=(7+1)×7/2×8=56/16=5616

(vii) 86×84=(8+1)×8/24=72/24=7224

(viii) 99×91=(9+1)×9/9×1=90/09=9009

ऐसी दो संख्याओं का गुणनफल भी इस विधि से ज्ञात कर सकते हैं जिनकी आखिर के दो अंकों का योग 100, 1000, इत्यादि हो।

उदाहरणस्वरूप–

$1\underline{91}\times1\underline{09}=20/91\times9=20/819=20819$

यहाँ 91+09=100 तथा सैंकड़ा का अंक 1 दोनों संख्याओं के समान है अतः 1 में 1 जोड़ने पर 2 तथा 2×1 = 2 परन्तु अभीष्ट गुणनफल में 5 अंक होंगे अतः 2 के स्थान पर 20 लिया है। इसी प्रकार–

$7\underline{93}\times7\underline{07}=560/93\times7=560/651$

यहाँ 93+7 = 100 तथा (7+1)×7= 56 को 560 लेते हैं।

$884\times816 = 720/84\times16 = 720/_{1}344 = 721/344 = 721344$

(स) संख्याओं का घनफल ज्ञात करना (घात तीन)

दो अंकों की संख्या का घनफल ज्ञात करने के लिए पहले दहाई के अंक का घनफल करते हैं। इस घनफल को अंकों के अनुपात से गुणा करके तीन संख्याएँ गुणोत्तर श्रेढ़ी में प्राप्त करते हैं। फिर द्वितीय तथा तृतीय पदों को दुगुणा करते हैं।

उदाहरण– (i) $(23)^3$

विधि– सर्वप्रथम दहाई के अंक 2 का घन करते हैं जो 8 है। फिर संख्या 23 के अंकों का अनुपात 3:2 या $3/2$ लेते हैं। प्रथम पद 8 तथा सार्वअनुपात $3/2$ लेकर गु. श्रेढ़ी में संख्याएँ लिखते हैं, तत्पश्चात् द्वितीय तथा तृतीय पदों का दुगुणा करते हैं तथा जोड़ देते हैं।

$2^3= 8,\ 8\times\frac{3}{2},\ 8\times(\frac{3}{2})^2,\ 8\times(\frac{3}{2})^3$

8, 12, 18, 27

24, 36

(द्वितीय तथा तृतीय पद का दुगुणा करते हैं तथा परस्पर जोड़ देते हैं)

8, 36, 54, 27

$8\quad {}_{3}6\quad {}_{5}4\quad {}_{2}7$ (हासिल के रूप में लिखते हैं)

$= 8\quad {}_{4}1\quad 6\quad 7$

(∵ इकाई का अंक 7, दहाई के अंक 4 में 2 हासिल जोड़ने पर 6, सैकड़ा के अंक 6 में हासिल 5 जोड़ने पर 11 जिसकी हासिल 1, हासिल 3 में जोड़ने पर हासिल 4, 8 में हासिल 4 जोड़ने पर 12)

अतः $(23)^3 = 12167$

उदाहरण– (ii) $(34)^3$

4 तथा 3 का अनुपात = 4:3 = $\frac{4}{3}$

$3^3= 27,\ 27\times\frac{4}{3}=36,\ 36\times\frac{4}{3}=48,$

$48\times\frac{4}{3}=64,$

अतः

27, 36, 48, 64

72, 96

27, 108, 144, 64

या $27\quad {}_{10}8\quad {}_{14}4\quad {}_{6}4$ (हासिल के रूप में)

या $3_{1}9\quad {}_{2}3\quad {}_{1}0\quad 4$

अतः $(34)^3=39304$

तीन अंक की संख्याओं का घनफल–

उदाहरण– (i) $(312)^3$

$(312)^3$ = 3/12 का घन

अब 2 अंकों की संख्या के घन ज्ञात करने की विधि का उपयोग करते हैं।

3 का घन $3^3 = 27$ तथा 12 एवं 3 का अनुपात 12:3 = $\frac{12}{3} = 4$

अतः

27 , 108 , 432 , 1728
216 , 864

27 , 324 , 1296 , 1728

जोड़ने पर– 27
324
1296
1728

30371328

अतः $(312)^3 = 30371328$

(द) पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल

विधि– पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम संख्या के अंकों के जोड़े बनाते हैं। यदि अंकों की संख्या विषम है तब प्रथम अंक अकेला ही लेते हैं तथा शेष अंकों के जोड़े बनाते हैं।

उदाहरण– (i) $\sqrt{6889} = \sqrt{68^1 89}$

संख्या 68, $8^2 = 64$ से अधिक तथा $9^2 = 81$ से कम है और संख्या 6889, $80^2 = 6400$ से अधिक तथा $90^2 = 8100$ से कम है अतः

$\sqrt{6889}$ का मान 80 से अधिक तथा 90 से कम होगा। चूँकि 6889 में अन्तिम (इकाई का अंक) अंक 9 है जो 3 के वर्ग में तथा 7 के वर्ग में प्राप्त है अतः अभीष्ट वर्गमूल 83 अथवा 87 होगा।

यदि अभीष्ट वर्गमूल 87 लिया जाय तब

$87^2 = 6889$

87 के अंकों का योग = 8+7 = 15 = 1+5 = 6 और 87^2 के अंकों का जोड़ $6^2 = 36 = 3+6 = 9$ होगा तथा 6889 के अंकों का योग = 6+8+8+9 = 31 = 3+1 = 4, चूँकि 87^2 के अंकों का योग 9, 6889 के अंकों के योग 4 के बराबर नहीं है अतः अभीष्ट वर्गमूल 87 नहीं हो सकता।

यदि अभीष्ट वर्गमूल 83 लिया जाय तो

83^2 के अंकों का योग $11^2 = 121$ के अंकों का योग = 4

चूँकि 6889 के अंकों का योग भी 4 है अतः अभीष्ट वर्गमूल 83 होगा।

$\therefore \sqrt{6889} = 83$

उदाहरण– (ii) $\sqrt{31329} = \sqrt{313^1 29}$

संख्या 313, $17^2=289$ से अधिक तथा $18^2=324$ से कम है।

अतः अभीष्ट वर्गमूल के प्रथम दो अंक 17 होंगे।

चूँकि 31329 में अंतिम अंक (इकाई) 9 जो 3^2 अथवा 7^2 में प्राप्त है। अतः अभीष्ट वर्गमूल 173 या 177 होगा।

173 के अंकों का योग = 1+7+3=11=1+1=2 अतः $(173)^2$ के अंकों का योग = $2^2 = 4$

177 के अंकों का योग = 1+7+7=15 = 1+5 = 6

अतः $(177)^2$ के अंकों का योग = 6^2= 36 = 3+6 = 9

31329 के अंकों का योग =

3+1+3+2+9 = 18 = 1+8 = 9

अतः $\sqrt{31329} = 177$

वैदिक गणितीय सूत्रों की विशेषताएँ

ये सूत्र सहज में ही समझ में आ जाते हैं। इनका अनुप्रयोग सरल है तथा सारी प्रक्रिया मौखिक हो जाती हैं अतः गणना में समय व्यर्थ नहीं होता। अंकगणित, रेखागणित, बीजगणित, ज्योतिषशास्त्र, कलन, त्रिकोणमिति, वैश्लेषिक ज्यामिति आदि सभी क्षेत्रों में वैदिक सूत्रों का अनुप्रयोग किया जा सकता है। अनेक जटिल गणितीय प्रश्नों को हल करने में प्रचलित विधियों की तुलना में वैदिक विधियाँ काफी कम समय लेती हैं। बौधायन शुल्व सूत्र में विभिन्न आकार की वेदियों के निर्माण के लिए ज्यामितीय सूत्र मिलते हैं। भारतीय संस्कृति में वैदिक गणित का महत्वपूर्ण स्थान है।

–सेवानिवृत्त प्राचार्य, कालेज शिक्षा
IV-D-86, जयनारायण व्यास कॉलोनी, बीकानेर

'तू गुलाब बनकर महक, तुझे जमाना जाने'

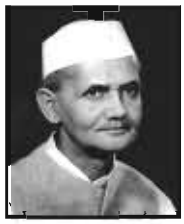

बात उन दिनों की है, जब शास्त्रीजी पाँच-छः वर्ष के ही थे। उनके घर और पाठशाला के बीच आमों का बगीचा था। गर्मियों में पीले-पीले पके हुए रसीले आमों से प्रत्येक का जी ललचाता था। मुँह में पानी भर आता। एक रोज साथी लोग ईंट-पत्थरों से फल तोड़ने लगे, लेकिन बालक लालबहादुर अपने साथियों की गलत हरकतों को देख एक कोने में मौन खड़े रहे। उन्होंने पेड़ पर पत्थर न मारे। वे तो एक गुलाब के पौधे को निहारते रहे और मन में आया– 'तू गुलाब बनकर महक, तुझे जमाना जाने।' लेकिन उत्पाती साथियों ने उकसाते हुए कहा– 'अरे ! नन्हें, तू बुत की तरह व्यर्थ क्यों मूर्ख-सा खड़ा सोच रहा है। तू भी इन दो-चार आमों को क्यों नहीं तोड़ लेता? लेकिन लाल के मन ने चोरी से आम तोड़ने की गवाह नहीं दी। मनमोहक गुलाब का फूल तोड़ा हुआ नन्हें के हाथ में था और बगीचे का मालिक आ धमका। मालिक को देख सभी लड़के भाग गए लेकिन नन्हा तो जहाँ का तहाँ खड़ा ही रहा। मालिक ने नन्हें को एक गाल पर एक चपत (थप्पड़) जमा ही दी। नन्हा रुआँसा होकर बोला– 'मैंने आम नहीं तोड़े। मुझ बेकसूर को थप्पड़ क्यों मारा? तुम्हें मालूम नहीं, मेरे पिताजी नहीं हैं?' तब मालिक बोला– 'तब तो मुझे दो थप्पड़ और लगाने चाहिए। बिन बाप के बच्चों को तो कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तो अच्छा बच्चा ही बनना चाहिए, अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा, इस हाथ में पकड़े गुलाब के फूल की तरह, समझे।' मालिक ने समझाया।

नन्हे ने मालिक की ओर एकटक अपलक नेत्रों से देखा। मालिक की बात को अत्यन्त गंभीरतापूर्वक सुनकर अपने आँसू पी लिए और उसी क्षण संकल्प कर लिया कि वह अच्छा बच्चा बनेगा। फलतः लाल बहादुर शास्त्री बड़े होकर, नेक, अच्छे, शिष्ट इंसान और सच्चे देशभक्त बने। ऐसे अद्भुत, अनूठे, सादगी प्रिय, विशिष्ट प्रतिभा के धनी, व्यक्तित्व के स्वामी गरीबों के सहाय, होनहार सपूत बने कि भारत माता अपने नन्हे से नौनिहाल पर गर्व व उल्लास से फूली नहीं समाई।

राज्य स्तर पर सम्मानित शिक्षकों की नामावली, 2012

1. **श्री शैतानसिंह देवड़ा,** वरिष्ठ अध्यापक, रा.उ.मा.वि., पालड़ी-एम. (सिरोही)
2. **श्री विष्णु कुमार शर्मा,** वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, रा.उ.मा.वि., धमोतर (प्रतापगढ़)
3. **श्री कान्तिलाल जोशी,** शारीरिक शिक्षक, रा.उ.मा.वि., पिण्डिया (नागौर)
4. **श्री नन्दलाल सिंह जोधा,** व्याख्याता (हिन्दी), रा.उ.मा.वि., बाबरा (पाली)
5. **डॉ. मधु गुप्ता,** व्याख्याता (हिन्दी), श्री महेश्वरी उ.मा.वि., तिलक नगर, जयपुर
6. **श्री कमल सिंह मीणा,** व्याख्याता (हिन्दी), रा.उ.मा.वि., साबौरा (भरतपुर)
7. **श्री त्रिलोक चन्द वर्मा,** वरिष्ठ अध्यापक, रा.मा.वि., डूँगरीखुर्द (जयपुर)
8. **श्री लखविन्द्र सिंह,** वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, रा.उ.मा.वि., जैतसर (श्रीगंगानगर)
9. **श्री अरुण कुमार यादव,** वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), रा.उ.मा.वि., काठूवास (अलवर)
10. **श्रीमती सरिता माथुर,** प्रधानाचार्या, रा.बा.उ.मा.वि., बहादुरपुर (अलवर)
11. **श्रीमती सुदर्शन कुल्हार,** प्रधानाचार्या, रा.बा.उ.मा.वि., मालवीय नगर, जयपुर
12. **श्री जसराज सरगरा,** वरिष्ठ अध्यापक, रा.उ.मा.वि., रिंछेड (राजसमन्द)
13. **श्री गोपीलाल रैगर,** वरिष्ठ अध्यापक, रा.उ.मा.वि., आईडाणा (राजसमन्द)
14. **श्रीमती मधुबाला शर्मा,** व्याख्याता (अंग्रेजी), रा.बा.उ.मा.वि., तलवंडी (कोटा)
15. **सुश्री ज्योति बाला गहलोत,** शारीरिक शिक्षिका, राजकीय महारावल उ.मा.वि., डूँगरपुर
16. **श्री रमेश चन्द्र कनेरिया,** शैक्षिक प्रकोष्ठ अधिकारी, व्याख्याता (वाणिज्य), उपनिदेशक (मा.) कोटा
17. **श्री विनोद कुमार शर्मा,** प्रधानाचार्य, श्री ओसवाल जैन उ.मा.वि., अलवर
18. **श्रीमती प्रीति कुलश्रेष्ठ,** वरिष्ठ अध्यापिका (विज्ञान), रा.बा.उ.मा.वि., चन्द्रपोल गेट, बाँसवाड़ा
19. **श्री शंकर लाल पचार,** वरिष्ठ अध्यापक, रा.मा.वि., सिरासना (नागौर)
20. **श्री मानसिंह यादव,** प्रधानाचार्य, रा.उ.मा.वि., बेढम, (डीग) भरतपुर
21. **श्री राजेन्द्रपाल सिंह,** वरिष्ठ अध्यापक (विज्ञान), रा.उ.मा.वि., मण्डाना (कोटा)
22. **श्री नरेश कुमार ओझा,** शारीरिक शिक्षक, रा.मा.वि., बनकाखेड़ा (भीलवाड़ा)
23. **श्री बाबूसिंह शेखावत,** प्राध्यापक (जीव विज्ञान), जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट) जोधपुर
24. **श्री जमनालाल गुर्जर,** शारीरिक शिक्षक, रा.उ.प्रा.वि., नयागाँव, कोटा
25. **श्रीमती सुमिता चाहर,** अध्यापिका, रा.उ.प्रा.वि., भेरड़ा (चित्तौड़गढ़)
26. **श्रीमती गायत्री शर्मा,** प्रधानाध्यापिका, रा.प्रा.वि., बड़ी की ढाणी (मुहाना), पं.स. सांगानेर, जयपुर
27. **श्री संतोष कुमार जैन,** प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., बालापुरा (साँपला), पं.स. अराँई (अजमेर)
28. **श्री बलविन्द्र सिंह बराड़,** अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., 10 जेड (श्रीगंगानगर)
29. **श्री श्रीचन्द,** अध्यापक, रा.प्रा.वि., पूर्वी ढाणियाँ, भुवाला (सीकर)
30. **श्री मुकेश कुमार गुप्ता,** संदर्भ व्यक्ति (व.अ.), ब्लॉक सर्व शिक्षा अभियान, बनेड़ा (भीलवाड़ा)
31. **श्रीमती रजिया खान,** अध्यापिका, रा.उ.प्रा.वि., गोपाल मील, कोटा जंक्शन
32. **सुश्री कान्ति राठौड़,** अध्यापिका, रा.प्रा.वि., मूंगथला (आबूरोड़), सिरोही
33. **श्री सतीश चन्द्र जोशी,** शारीरिक शिक्षक, रा.मा.वि. (पूल मद), रोलाहेड़ा (चित्तौड़गढ़)
34. **श्री नाथूलाल बलाई,** प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., दूदला (बनेड़ा), भीलवाड़ा
35. **श्री बलवीर सिंह यादव,** शारीरिक शिक्षक, रा.मा.वि., (पूल मद) पांसल, सुवाणा (भीलवाड़ा)
36. **श्री जगदीश चन्द्र सैन,** शारीरिक शिक्षक, रा.उ.प्रा.वि., राजोला खुर्द (पाली)
37. **श्री बाबूलाल बैरवा,** प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., सिनोली (सवाई माधोपुर)
38. **श्री संतोष कुमार टेलर,** अध्यापक, रा.बा.उ.प्रा.वि., डूँगरी कलाँ (सांभर लेक), जयपुर
39. **श्री किरणपाल सिंह,** अध्यापक, रा.प्रा.वि., गागरडू (दूदू), जयपुर
40. **श्री तनसुख राम,** अध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., टमकोर (झुंझुनूं)
41. **श्री इच्छा शंकर शर्मा,** शारीरिक शिक्षक, रा.उ.प्रा.वि., औदिच्यवाड़ा (बाँसवाड़ा)
42. **श्रीरामजी मीणा,** प्रधानाध्यापक, रा.उ.प्रा.वि., रणसागर (डूँगरपुर)
43. **श्रीमती मधुबाला ओझा,** अध्यापिका, रा.प्रा.वि., बाबा रामदेव नगर, जयपुर
44. **श्री रामप्रसाद शर्मा,** अध्यापक, रा.आदर्श उ.प्रा.वि., मालपुरा (टोंक)
45. **श्री सूरज प्रकाश भाटी,** अध्यापक, नेत्रहीन विकास संस्थान, उच्च प्राथमिक विद्यालय, डी-सेक्टर, कमला नेहरू नगर, जोधपुर
46. **डॉ. आशा शर्मा,** वरिष्ठ अध्यापक (प्रथम श्रेणी), राजकीय महाराजा वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, जयपुर
47. **डॉ. कृष्ण गोपाल जांगिड़,** वरिष्ठ अध्यापक (प्रथम श्रेणी), राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हमीरगढ़, भीलवाड़ा
48. **श्री रामसहाय मीणा,** वरिष्ठ अध्यापक (प्रथम श्रेणी), राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, हाथौज (जयपुर)
49. **श्रीमती राजश्री रानी भट्ट,** वरिष्ठ अध्यापक (प्रथम श्रेणी), राजकीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय, महापुरा (जयपुर)
50. **श्री मक्खन लाल शर्मा,** वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी), राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, सालासर (चूरू)
51. **श्री सन्तोष कुमार शर्मा,** वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, बासड़ी (जयपुर)
52. **श्री मुरलीधर जाट,** वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, करीरों की ढाणी, चौमूं (जयपुर)
53. **श्री राजेश कुमार शर्मा,** वरिष्ठ अध्यापक (द्वितीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, देवपुरा ढाणी गुजरान (जयपुर)
54. **श्री अशोक कुमार शर्मा,** अध्यापक (तृतीय श्रेणी), राजकीय मानपुरिया वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय, श्रीमाधोपुर (सीकर)
55. **श्री मुरारी लाल शर्मा,** अध्यापक (तृतीय श्रेणी), राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय, चौमूं
56. **श्री अशोक कुमार शर्मा,** अध्यापक (तृतीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
57. **श्री महेश चन्द शर्मा,** अध्यापक (तृतीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, रावण का टीला, दौसा
58. **श्री सुरेश कुमार गुप्ता,** अध्यापक (तृतीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, ढण्ढ (जयपुर)
59. **श्रीमती इन्दिरा शर्मा,** अध्यापिका (तृतीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर
60. **श्रीमती गुरमीत कौर,** अध्यापिका (तृतीय श्रेणी), राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय, हिण्डौली, बूंदी

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक हर सहाय मीणा द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ एज्यूकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, बीकानेर के लिए माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर से प्रकाशित एवं कोटावाला ऑफसेट, 82, सुदर्शनपुरा, इण्डस्ट्रियल एरिया, जयपुर से मुद्रित। © प्रधान सम्पादक : हर सहाय मीणा

राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह, 2012 : पुरस्कृत शिक्षक

डाक पंजीयन संख्या
RJ/JPC/M-29/2011-13

शिविरा पत्रिका (मासिक) अक्टूबर, 2012
प्रकाशन तिथि : 2 अक्टूबर, 2012 पृष्ठ 52
प्रेषण : हर माह की 5, 6 तारीख

समाचार-पत्र पंजीयन संख्या
10350/66